खण्ड-120, अंक-2
गुरूवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(5 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीजइमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइरुल-हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय , श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद कीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय, शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीतराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पर्वतीय इलाकों में ज़मीन की कटान

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि पर्वतीय इलाकों में स्वायल इरोज़न (Soil erosion) दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—ज़मीन की कटान (Soil erosion) पर्वतीय इलाकों में ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर नई तोड़, खेती

वग़ैर मेड़ बांधे की जाती है, मगर यह कहना कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, और किस मात्रा में, बहुत ही मुश्किल है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार का विश्वास है कि स्वायल इरोज़न में वृद्धि नहीं हो रही है या यह कोई आंकड़ों के आधार पर कहा गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चूंकि इसके कोई आंकड़े हमारे सन्मुख नहीं हैं इसलिये सही तौर पर यह कह देना कि हो रहा है मुमकिन नहीं है। हां, मोटी नज़र से यह कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में हो ही रहा होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार जिन जगहों में स्वायल इरोज़न भयंकर रूप ग्रहण कर रहा है वहां कोई आर्थिक सहायता प्रदान करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसके लिये तो वन उगाने का हमारा प्रोग्राम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत है जिसमें अखरोट के पेड़ या ऐश जिनको हिन्दी भाषा में बांज्ञ कहते हैं या और इसी प्रकार के जो ऊंचाई पर पेड़ होते हैं उनको लगाने की योजना है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार स्वायल इरोजेड भूमि में वन विभाग को आदेश करेगी कि वहां वन लगाये जायं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो मैंने कह दिया कि वन विभाग के द्वारा भी हो रहा है और अब पंचायतों के द्वारा भी इस बात का एक आन्दोलन सा चल रहा है कि हर स्थान पर इस प्रकार के वन उगाये जायं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार पहाड़ों के अलावा यमुना के किनारे जहां स्वायल इरोज़न हो रहा है वहां भी कुछ व्यवस्था करेगी उसको रोकने की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है। मलबरी के पेड़ जो शहतूत के और अन्य प्रकार के कई किस्म के पेड़ आपने देखे होंगे लैंड यूटिलाइजेशन सर्किल के अन्दर हर एक जिले को ले लिया गया है और अब जमींदारी उन्मूलन के बाद हर जिले में जंगलात विभाग का कुछ न कुछ अधिकार हो चुका है। इसलिये काफी एक बड़ी योजना है जिसके अन्तर्गत तमाम जंगल लगाये जायंगे और उसमें एक साथ तो सब भूमि नहीं ली जा रही है मगर मेरे ख़याल से करीब ५ हजार पेड़ लगाये जायंगे। उसका डिटेल मुझे ठीक याद नहीं है, अगर आप नोटिस देंगे तो मैं डिटेल बता सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उन्होंने किस सूचना के आधार पर कहा है कि पर्वतीय इलाकों में स्वायल इरोज़न दिन पर दिन नहीं बढ़ रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने यह तो नहीं कहा कि नहीं बढ़ रहा है। "यह कहना मुश्किल है", कहा मैंने।

*२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस आपत्ति को नष्ट करने के लिए सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार के ख़याल में बनों के उगने से और मौजूदा बनों के कायदे से काटे जाने से जमीन की कटान कम हो जायगी। पर्वतीय इलाकों में इसके अलावा और किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं मालूम होती।

टेक्निकल इन्स्टीट्यूट रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट

*३—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बता सकती है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सन् १९४८ में जो Technical Institute Reorganisation Committee (U.P.) बनायी थी उसकी Report कब मिली?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—जी हां, मई, १९५१ में।

श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार बतायेगी कि टेक्निकल रिआर्गेनाइजेशन कमेटी के काम और उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन में कितना खर्चा हुआ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

*४—श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समिति की सिफारिश के मुताबिक राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर के शिक्षार्थी निरीक्षकों को उक्त समिति के रिपोर्ट के पैरा २१५ व २१६ के अनुसार स्टाइपेन्ड नहीं मिल रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां।

श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार बतला सकती है कि रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिश के बाद भी गोरखपुर इंस्टीटयूट को स्टीपेंड क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—तय यह हुआ था कि पहले लखनऊ इंस्टीट्यूट में रिआर्गेनाईजेशन किया जायगा और उसके बाद गोरखपुर में उसी आधार पर काम शुरू किया जायगा और जब वहां पर काम शुरू हो जायगा तो स्टीपेंड भी मिलने लगेगा।

श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसी किस्म का जवाब रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने गोरखपुर इंस्टीट्यूट को दिया था और वही जवाब अब भी दिया जा रहा है तो क्या समझा जाय कि गोरखपुर इंस्टीट्यूट को स्टीपेंड कब से मिलने लगेगा?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—लखनऊ इंस्टीट्यूट के रिआर्गेनाईजेशन के बाद उसका भी काम शुरू हो जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कोई वक्त मुकर्रर कर सकते हैं जब कि लखनऊ के बराबर गोरखपुर इंस्टीट्यूट को भी माना जायगा?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी की जायगी।

*५—श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार गोरखपुर टेकनिकल इन्स्टीट्यूट के शिक्षार्थियों के स्टाइपेण्ड के निमित्त कुछ व्यवस्था कर रही है?

श्री मूहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां।

हाथियों से ट्रैक्टर चलाने की योजना

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने हाथियों से ट्रैक्टर चलाने की कोई योजना बनायी है? अगर हां, तो वह क्या है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी कोई योजना समुचित रूप से नहीं बनाई गई है केवल संपरीक्षा (Experiment) किया जा रहा है।

*७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित भी किया गया है? अगर हां, तो कहां और वह कितनी सफल रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी परीक्षार्थ लालकुआं के पास तराई भावर के बनों में कार्यवाही की जा रही है। अभी तक जो कुछ किया गया है आशाजनक है।

*८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने हाथी अब तक हैं जो कि ट्रैक्टर चलाने के काम में लगाये जा सकते हैं, और फ़ी हाथी ट्रैक्टर की तुलना में कितना खर्च बैठता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तक केवल दो ही हाथियों से हल चलाने का काम लिया जा रहा है परन्तु अनुभव से यह कहा जा सकता है कि सब ही पालतू हाथी बिना किसी विशेष ट्रेनिंग के हल चलाने के काम पर सुगमता से लगाये जा सकते हैं। संपरीक्षण पूर्ण होने पर ही हाथियों द्वारा हल चलाने पर जो व्यय होगा उसकी तुलना ट्रैक्टरों के साथ ठीक सही तरीके पर की जा सकेगी, परन्तु अनुमान यह है कि वह बहुत कम होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि हाथी जो इस परीक्षण में रखे गये हैं उनके रखरखाव पर कितना व्यय होता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ये हाथी वन विभाग के ही हैं इसलिये उन पर खर्चा वैसे भी होता ही फिर भी १,६०० से लेकर २,५०० रुपये वार्षिक तक खर्चा उनके ऊपर होता था लेकिन चूंकि यहां उनसे एक विशेष कार्य लिया जा रहा है इसलिये लगभग १० रुपया रोज के करीब खर्चा उन पर किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन हाथियों से लालकुएं के पास कितनी जमीन कितने दिनों में तोड़ी जा चुकी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी पूरी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे जहां तक पता चला है दो तीन घंटे काम लेकर लगभग पौन या एक एकड़ के जमीन जोती जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट वन विभाग की तरफ से आयी है कि हाथी बार-बार बैठ जाते हैं और काम नहीं करते?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं, ऐसी रिपोर्ट तो कोई नहीं आयी, लेकिन यह जरूर इत्तिला मिली है कि जो हल हैं वे जरूर ऐसे हैं, जो सही नहीं बने। इसके बारे में कानपुर की एक फैक्टरी ने हमारे विभाग को लिखा है कि जिस प्रकार के हल इंगलैण्ड और अन्य देशों में बड़े-बड़े मजबूत घोड़ों से काम कराने के सिलसिले में काम में लाये जाते हैं उसी तरह के हल वह अपने खर्चे पर बनाने को तैयार हैं। इसके लिये वे वहां देखने को भी गये थे और शायद वे इस प्रकार का कोई हल बनाने जा रहे हैं।

कुटीर उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता

*९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या उद्योग मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग के लिए भारतीय सरकार से कितनी आर्थिक सहायता १९५२-५३ में प्राप्त हुई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार या और कोई प्रयत्न हो रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस सिलसिले में सहायता प्राप्त करने के सिलसिले में तो पत्र व्यवहार होता ही रहता है। हम लोग हमेशा ही मांग करते हैं। मगर यह कि कर्जा मांगने की जहां तक बात है, फाइनेंस कारपोरेशन से इसकी जरूरत नहीं मालूम हुई कि मांगा जाय।

*१०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में Industrial Financial Corporation की शाखायें भारतीय सरकार द्वारा खोली जा रही हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में भी कोई लिखा-पढ़ी या और कोई कोशिश हुई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसके लिये यानी उनको यहां शाखा खोलने के लिय कहा तो नहीं गया है, लेकिन यह नियत है कि उनसे कहा जाय कि यहां कानपुर में भी खोलें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस गृह-उद्योग की कौन कौन योजना इस साल सरकार समाप्त करने जा रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जो योजनायें बतलायी गई हैं वे सब चालू रहेंगी।

वृज विहारी मेहरोत्रा—क्या गुड़ की योजना भी चालू रहेगी या बन्द हो जायगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—जी हां।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो योजनायें हैं उनमें कोई मारकेटिंग की भी योजना है जिस पर सरकार विचार कर रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, मारकेटिंग के लिये भी इंतजाम किया जायगा, कुछ हो भी रहा है।

श्री गेंदासिंह—गुड़ उन्नति योजना के बारे में सरकार की क्या नीति है

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—गुड़ उन्नति योजना चूंकि एक मुफ़ीद योजना समझी जाती है इसलिये वह चालू रखी जायगी। जहां उसकी जरूरत होगी वहां वह चलायी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सत्य है कि गुड़ योजना का अनुदान कम किया जा रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जब कोई योजना चलाई जाती है तो उसका जो ध्येय होता है वह जहां पूरा हो जाता है उस जगह उसे फिर चालू नहीं रखा जाता। इसी सूरत से गुड़ उन्नति योजना का काम बाज़ जगह पूरा हो चुका है। जहां उसकी जरूरत होगी वहां उसे चलाया जायगा।

*११—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग बढ़ाने और उसे देहातों में फैलाने के लिये सरकार की क्या योजना है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कुटीर उद्योग बढ़ाने और उसे देहातों में फैलाने के लिये इस सरकार की कई योजनायें चल रही हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१. पर्वतीय ऊनी उद्योग योजना,
२. खादी विकास योजना,
३. करघा योजना,
४. औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास,
५. औद्योगिक शिक्षालय योजना,
६. पाइलट वर्कशाप योजना,
७. गुड़ उन्नति योजना,
८. ताड़ गुड़ योजना और,
९. ऋण तथा अनुदान योजना।

*१२—१४—श्री महाराज सिंह (जिला मौनपुरी)—[२ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५—१७—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—[२७ मार्च, १९५३ के लिये संख्या ६–८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अमरीकी सरकार द्वारा हैन्डीक्राफ्ट एम्पोरियम को बैजों का आर्डर

*१८—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीकी सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा संचालित हैन्डीक्राफ्ट एम्पोरियम के बीस लाख बैजों के आर्डर को नामंजूर कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—(अ) अमरीकी सरकार ने इन बैजों के लिये अभी आर्डर नहीं दिया है,

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन बैजों के संबंध में अमरीकी सरकार से कोई नेगोशियेशन हुआ था और यदि हां, तो वह क्यों खत्म हो गया?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अमरीकी सरकार से नहीं बल्कि यहां पर नमूने बनाये गये और वहां अमरीकी फौज के जो अधिकारी थे उन्होंने उसको पसन्द किया, लेकिन अभी तक अमरीकी सरकार ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। बातचीत जारी है।

*१९—२१—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[२६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट से खेतीखान व देवी धुरा मोटर सड़क के निर्माण में सरकारी सहायता

*२२—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट से खेतीखान व देवी धुरा को जो मोटर सड़क स्थानीय जनता के उद्योग से बन रही है कोई सहायता प्रदान करने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर)---इस वर्ष Self help अनुदान District Plannig Committees को दे दी गई है और उन्हें अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं कि जिला प्लान से Priority के अनुसार ऐसे कार्यों के लिये सहायता दे सकें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार जिला नियोजन कमेटी को आदेश देगी कि सरकार द्वारा दी गई धनराशि सम्पूर्ण जिले के विकास में बराबर बांट दी जाय?

श्री कृपाशंकर---सरकार की तरफ से जो रुपया दिया गया है उसके लिये यह आदेश है कि प्लानिंग कमेटी की इजाजत से वह कामों के लिये खर्च कर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस प्रपोर्शन से जनता को सैल्फ हैल्प स्कीम के अन्तर्गत मदद दी जायगी?

श्री कृपा शंकर---वहां की जनसंख्या और वहां की अवस्था के अनुसार उनको रुपया दिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मेरा मतलब यह नहीं है कि जनसंख्या के आधार पर दिया जाय बल्कि यह है कि यदि कोई सड़क एक लाख रुपये में बनती है तो उसके लिये किस प्रपोर्शन से गवर्नमेंट मदद देगी?

श्री कृपाशंकर---यह सवाल के जवाब में कहा गया है कि रुपया हरएक जिला प्लानिंग कमेटी को दिया गया है और जो रुपया उनके पास है उसके लिये यह आदेश है कि वहां जो जिले की प्लानिंग कमेटी है वह वहां की अवस्था को समझकर जिस तरह से मुनासिब समझे उस रुपये को लगावे।

४ मार्च, १९५३ को सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल द्वारा अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री रामप्रसाद देशमुख ने एक प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है---

'कल की सभा में सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल ने स्पीकर महोदय के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना भवन के सम्मुख करके भवन की मान-मर्यादा का अपमान किया है। अतएव यह भवन यह प्रस्ताव करता है कि उनके इस अनुशासन हीनतापूर्ण व्यवहार पर सभा में विचार किया जाय।'

इस संबंध में श्री राम प्रसाद जी से मैं यह कहूंगा कि कल मैंने अपना यह विचार प्रकट किया था कि मैं यह चाहता हूं कि यह जो सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना का प्रश्न है उसको प्रिवेलेज कमेटी (विशेषाधिकारों की कमेटी) के सिपुर्द करूं। मैं सदन के इस अधिकार का मान्य करता हूं कि सदन को हर हालत में पूर्ण अधिकार है कि कोई भी मामला जो सदन के सामने होता है उसको स्वयं विचार में लेकर उसका निर्णय करे और उसको कमेटी के सम्मुख न भेजे। इस पर भी कल चूंकि मैं अपना यह निश्चय जाहिर कर चुका हूं कि यह प्रश्न विशेषाधिकार कमेटी के सामने जाना चाहिये, इसलिये, मैं उनसे यही कहूंगा कि वही तरीका उचित समझकर इस समय अपने इस मोशन को पेश करने का आग्रह न करें। मैं इसका कारण भी बतलाना चाहता हूं क्योंकि कोई भी प्रथायें जो इस सदन में कायम होती हैं उनके संबंध में कभी कभी कुछ नवीनता भी उत्पन्न हो जाती है जिसका विचार ठंडे दिल से और सब नियमों को विचार करके किया जाना चाहिये। हमारे यहां जो विशेषाधिकार इस सदन के हैं वह संविधान के अनुसार वही हैं जो बृटिश पार्लियामेंट के वहां मौजूद हैं। ऐसी अवस्था में जब कोई नया प्रश्न सामने आये, और उस संबंध में नियमों की बहुत सी बातें स्पष्ट हो जायं तो वह प्रश्न तत्काल उठा लिया जाता है। इसी कारण से ही माननीय सदस्य ने कल कोई इस प्रकार का संकल्प पेश नहीं किया। फिर विचार उन को करना पड़ा और नियम देखने पर ही इस वक्त प्रस्ताव के लानेका विचार उन्होंने किया। इस तरह से और भी कई प्रश्न उठ सकते हैं। यदि इस पर विचार तत्काल किया जाय, तो देखना यह है कि कहीं ऐसी प्रथा न

कायम हो जाय जो बाद में अनुचित मालूम हो और कहीं यह भी भावना न उत्पन्न हो कि आवेश में आकर सदन में कोई निर्णय हो गया है। विशेषाधिकार कमेटी इसलिये बनी है कि अवहेलना हुई या नहीं, इस विषय पर कमेटी में नियमों का अध्ययन कर शांत वातावरण में विचार विनिमय हो सके, जहां कि सदन के सब तरफ के सदस्य मौजूद रहेंगे और जो वह तै करेंगे और कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उस पर विचार कर के निर्णय देने का सदन को पूर्ण अधिकार होगा। इसलिये मैं श्री देशमुख जी से कहूंगा कि वह अपने संकल्प को पेश करने का आग्रह न करें।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक के अनुदानों पर अब बहस जारी रहेगी।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस सदन में कह रहा था कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिये न्यू ब्लड का रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें भी माकूल होना चाहिये। रिश्वत इन्सान दो वक्त में लेता है, एक तो जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती या जब वह लालची होता है। इसी तरह से पुलिस सब-इन्सपैक्टर साहबान पर इस सदन में जो बौछार फेंकी गयी है उसकी खास वजह यही है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, और खर्चे ज्यादा हैं, हम उन से बहुत काम चाहते हैं इसलिये वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये रिश्वत लेते हैं। अगर उन की तनख्वाहें माकूल कर दी जायं तो शायद वह रिश्वत न लें क्योंकि वह अब अपने देश की हुकूमत के अन्दर काम कर रहे हैं। उन को भी इस का गुमान है कि हम अपने स्वतंत्र राज्य में नौकरी कर रहे हैं परन्तु उन की जरूरतें पूरी न होने के कारण वह रिश्वत लेते हैं। मेरा सुझाव है कि उन का वेतन कम से कम १५० रुपये से शुरू होना चाहिये और २०० रुपये तक तो आमतौर से सब-इंस्पेक्टर को जाना चाहिये, उनके बाद सेलेक्शन ग्रेड कर दिया जाय यानी जो २५० रुपये तक पहुंच जाय उन्हीं में से जो अच्छे हों वह ५० फीसदी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट बनाये जायं। उन को भी यह आशा हो जायगी कि उनको तरक्की मिलेगी, उन की तनख्वाहें अच्छी होंगी तो मैं समझता हूं कि वह रिश्वत न लेंगे। इस तरह से ५० फीसदी लोग तरक्की से और ५० फीसदी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिये जाने चाहिये और तरक्की देने के वक्त उन की ईमानारी पहले देखना चाहिये और केवल लैंग्थ आफ सर्विस पर ही तरक्की न दी जाय, अगर कोई जूनियर भी ईमानदार है तो उसी को पहले तरक्की दी जाय।

अब पुलिस के पुराने कर्मचारियों को जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से इस भ्रष्टाचार में निपुण हैं, लेन देन के मामले में माहिर हैं उनको अगर हटा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि नये सब-इन्सपेक्टर साहबान जो लिये जाते हैं वह उन्हीं के साये में पलते हैं, उनकी अफसर डोयमी में काम करते हैं और उनके तरीके के मुताबिक काम करते हैं, तो उनकी रही सही ईमानदारी भी चली जाती है। इसलिये हम अनुरोध करेंगे कि २५ साल जिनकी सर्विस हो गयी है उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाय। इसके कर देने से पुराने फन में माहिर जो लोग हैं उन का असर नये रिक्रूटमेंट पर नहीं पड़ेगा और वह ईमानदार होने की कोशिश करेंगे।

यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि १२० सब-इन्सपेक्टर्स को पुलिस ट्रेनिंग कालिज के लिये चुना है। इनकी ट्रेनिंग मुरादाबाद स्कूल में होती है। अगर इनकी ट्रेनिंग वहां पर ठीक रूप से हो तो शायद यह इतने रिश्वतखोर, इतने बुरे न हों। लेकिन मुरादाबाद के ट्रेनिंग कालिज में एक हमारे साथी जो वहां सब-इंसपेक्टरी में गये थे उन्होंने बताया कि वहां तो वाकई उनको गालियां देना सिखाया जाता है। उनकी और कुछ नहीं, यही ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके

[श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह]

से जाकर पब्लिक के साथ व्यवहार करना चाहिये। यह पुराने अंग्रेजी जमाने का खुला हुआ है और अंग्रेजों को, जिनको इस मुल्क से हमदर्दी नहीं थी वह तो हमें डिमारेलाइज्ड करना चाहते थे। इसलिये वह इस किस्म की ट्रेनिंग देते रहे। इसलिये अब हम अनुरोध करेंगे कि वहां पर जो प्रोफेसर रखे जायं तो वह ऐसे रखे जायं जिनका देश की उन्नति की तरफ खयाल हो, जो देश सेवक हों, तो हम समझते हैं कि सब-इन्सपेक्टरों का रिश्वत का मसला बहुत कम हो जायगा।

साथ ही साथ हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जनता को यह बतावें कि वह रिश्वत न दें। इसमें कुछ तो दोष सब-इन्सपेक्टर और पुलिस वालों का है और उस से ज्यादा ही हमारी जनता का है। अगर किसी मुकाम पर किसी थाने के अन्दर बलवा हुआ तो दोनों पार्टी थाने पर जाती हैं और जा करके दोनों खुशामद करना शुरू कर देते हैं। एक पार्टी कहती है कि तुम दो सौ रुपया लो और हमारी रिपोर्ट पहले लिख लीजिये। दूसरी पार्टी चार सौ रुपया देकर पहले रिपोर्ट लिखाना चाहती है। रिश्वत देने वाले तो हम हैं। अगर हम रिश्वत न दें तो शायद उन को रिश्वत लेने का मौका भी न मिले।

सरकार से भी हमें यही अनुरोध करना है कि सब-इन्सपेक्टर साहबान जो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, सही रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं, अगर उसकी खबर ठीक तौर से हमारी सरकार को मिले कि फलां सब-इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट सही दर्ज नहीं की या मुकदमे की तफतीश ठीक तरह से नहीं की तो बजाय तबादला करने के उन को डिग्रेड कर दिया जाय, सख्त से सख्त सजा उनको दी जाय। अगर दो-चार मामलों में इस किस्म की सजा सरकार देगी तो एक आतंक हो जायगा और लोग सही रास्ते पर चलने लगेंगे।

अब कुछ हमारे सदस्यों ने यह कहा है कि अब पुलिस हम से डरती नहीं है। ये तो अपने-अपने तजुर्बे हैं। यदि हम उन से नाजायज तरीके से कोई काम कराना चाहेंगे तो खामख्वाह हम पर वह हावी होंगे और हम अपनी पोजीशन को और अपने पद को ठिकाने से निभायेंगे तो खामख्वाह वह हमारा अदब करेंगे, लिहाज करेंगे।

इसी सदन में कुछ भाइयों ने यह कहा कि साहब जुल्म बहुत बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिये कोई उपाय सरकार नहीं करती है। कानून के अन्दर १०९ और ११० क्रिमिनल प्रोसीडयेर कोड के जो सेक्शंस है वह क्या हैं, उनकी जानकारी उनको होगी और जानकारी होते हुये उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे अफसोस है। अगर जानकारी नहीं है कि यह सेक्शंस किस लिये बनाये गये हैं तो उनका कहना उचित है। यह प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस का काम जुर्मों को रोकना है। तो एक तरह से यह कंट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट सुनने में आया कि जुर्म तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेक्शंस १०९ और ११० को हटा दिया जाय। इन दफात के रहते हुये अगर क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो इसके मानी यह हैं कि इन सेक्शंस की पाबन्दी ठिकाने से नहीं हो रही है। बहुत से बदमाश ऐसे होते हैं जिनको हम चोरी करते, डकैती करते पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वह चोरी डकैती करते हैं। तो इसके लिये हम को १०९ और ११० की शरण लेनी पड़ती है। अगर यह सेक्शंस निकाल दिये जायं तो उनको पूरी आजादी हो जायगी कि वह जो चाहें कर सकते हैं। इन सेक्संश के होते हुये भी अगर आजकल जुर्म बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इन सेक्शंस की पाबन्दी ठिकाने से नहीं हो रही है। एक भाई ने कल यह कहा कि दफा ११७ जाब्ता फौजदारी जो है इसका प्रयोग सब इंस्पेक्टर साहबान बहुत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उनका बिलकुल गलत स्टेटमेंट है। इसके होने से यह साफ जाहिर होता है कि सब-इन्सपेक्टर साहबान अपने थाने के अन्दर अमनोअमान रखने की चेष्टा करते हैं। हमको तो इसको देख कर खुशी होनी चाहिये कि वह सब-इन्सपेक्टर्स जो इसकी पाबन्दी की कोशिश कर रहे हैं वही हमारे लिये भलाई कर रहे हैं। हमको आजादी मिली लेकिन हम आजादी के सही मानी न जान सके। हर शख्स ने अपनी तरह से आजादी के मानी लगाये हैं। चोर समझता है कि चोरी करने की आजादी है। डाकू समझता है कि डकैती करने की आजादी है। इसलिये जुर्म ज्यादा बढ़ गये हैं। जुर्मों के बढ़ने की कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। पुलिस ने किसी बदमाश का चालान ११० में किया। पब्लिक जानती है कि वह बदमाश

आदमी है। लेकिन उसके खिलाफ शहादत देने नहीं जाती। जब तक जनता का कोआपरेशन पुलिस के साथ नहीं होगा तब तक पुलिस कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जनता बजाय सबूत की तरफ से पेश होने के सफाई की तरफ से पेश होती है और कहती है कि यह शख्स निहायत अच्छा है, बहुत अच्छे चालचलन का है। इसलिये अदालतों को मजबूर हो कर उन्हें छोड़ देना पड़ता है और जब वह छूटते हैं तो और भी ज्यादा आजाद हो जाते हैं। गुण्डागीरी पर तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने कहा कि कानपुर में गुंडागीरी बहुत है। उसकी खास बानी मुबानी पुलिस ही नहीं है। जनता भी है। जनता गुण्डों को बढ़ावा देती है। उनकी पैरवी करती है। और चूंकि मैं खुद भी वकील हूं। मैं वकील भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि जमानत के मामले में उनको बहुत सतर्क रहना चाहिये। किसी ने कहा कि जमानतें अदालत में होजाती हैं। जमानत अदालत नहीं करती है बल्कि जमानतें हम कराते हैं। हम जमानत मूव करते हैं अगर कोई मैजिस्ट्रेट जमानत नहीं करता है तो हम बार असोसियेशन में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं। तो यह जिम्मेदारी हमारी भी हुई। हम क्यों ऐसा करते हैं रुपये की वजह से करते हैं। अगर रुपया सबसे प्रधान हो गया तो फिर अगर सब-इंस्पेक्टर के लिये भी वह प्रधान हो गया तो हमें क्यों जलन होती है। रुपया सभी कमाना चाहते हैं। अगर सब लोग सही तरीके से अपने फरायज को अंजाम दें तो सब दिक्कतें हल हो जायं।

साथ ही साथ मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं को उनके सामने रखना हमारा कर्त्तव्य है और सरकार का कर्त्तव्य है कि हमारी भावनाओं को सुनें, उस पर मनन करे और दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करे। बहुत नम्रता के साथ एक चेतावनी क्या एक अर्ज करना चाहता हूं मैं सरकार से कि उन अफसरान की बातों में आ कर के अपना जो हाथ है उस हाथ को न काटें। मिसाल के तरीके पर यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं। गोरखपुर में भूख के मुताल्लिक गोरखपुर के जितने जनता से चुनकर आये हुये १६ एम० एल० ए० थे सबों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास लिखकर के भेजा कि हमारे यहां स्कैसिटी आफ फूड हो रही है। परन्तु हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक सी० बी० दुबे जी थे उन्होंने लिखा कि यहां कोई ऐसी बात नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि जो आप सब लोगों ने अखबारों में देखा। वहां के एक नेता शिब्बन लाल जी ने वहां कुछ प्रोपोगंडा शुरू किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप नामों को जरा अवायड करें।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—तो मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि ऐसे गलत इंफारमेशन देने वाले अफसरों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखें और उन्हें कड़े से कड़ा दंड दें। यदि यह मालूम हो गया कि वहां स्कैसिटी आफ फूड थी और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गलत इंफारमेशन दी तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिये था। अगर ऐसे लोगों को छोड़ेंगे तो जिन अफसरों ने अंग्रेजों का बिस्तर यहां से गोल कर दिया वह हमारा भी कर देंगे। लिहाजा हम उन्हें बहुत कड़ी निगाह से देखें। उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी देते हुये भी हमको अगर यह नहीं मालूम होगा कि सही बात क्या है और उनकी गलत इंफारमेशन के आधार पर काम करेंगे तो शायद हमको फिर बाद में पश्चाताप करना पड़े। अन्त में मैं केवल यह कह करके सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग सदन में चुनकर जनता की तरफ से आये हैं उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का और उनके कहने का भी जरा ख़याल रखा जाय।

१९५३–५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय–विभाजन

श्री अध्यक्ष—(खड़े हुये सदस्यों से) आप जरा कृपा करके बैठ जायं क्योंकि बहुत से लोग बोलने की इच्छा रखते हैं और अनुदान हमारे सामने ४ हैं। जो कल शाम तक समाप्त हो जाने चाहिये। मैं यह देख रहा हूं कि कहीं यह न हो जाय कि अनुदान पर लोग ज्यादा महत्व देते हों उस पर वादविवाद होने से रह जाय। इसलिये अगर सदन यह ठीक समझे तो प्रत्येक अनुदान के लिये समय मुकर्रर कर दे और यह भी समय मुकर्रर हो जाय कि जो कटौती का प्रस्ताव लायें उनको कितना समय दिया जाय और दूसरे सदस्य कितना-कितना समय लेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि जो अनुदान पुलिस इस वक्त चल रहा है उसको लंच टाइम तक रखा जाय। इसके बाद श्रम और फिर बाकी कल।

श्री अध्यक्ष—पुलिस के बाद श्रम के लिये आज ५ बजे तक और फिर दूसरे दिन के लिये एजुकेशन और पिछड़ी हुई जातियों का अनुदान आप चाहते हैं।

इसके विषय में और किसी माननीय सदस्य को कुछ सुझाव देना है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा के संबंध का अनुदान पेश आज हो जाय और बहस कल हो।

श्री अध्यक्ष—आज शाम को पेश हो जाय यानी साढ़े चार बजे तक श्रम के लिये समय रहता है। तो यही रहा कि लंच टाइम तक तो पुलिस अनुदान होगा इसके बाद साढ़े चार बजे तक, सवा दो बजे से साढ़े चार बजे तक श्रम।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—आज हम चाहते थे कि शाम तक लेबर चले और शिक्षा का कल पेश हो।

श्री अध्यक्ष—तो अन्त में मैं समझता हूं कि कल ही शिक्षा को ले लिया जाय तो ठीक होगा। आज शाम तक अनुदान संख्या ३०—श्रम पर लंच के बाद विचार होगा और कल लिये जायेंगे शिक्षा मंत्री जी के दोनों अनुदान। इसके लिये अब मैं समय मुकर्रर करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—पुलिस के लिये तीन बजे तक रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं अब समझता हूं कि उचित वही होगा जो अन्त में निश्चय किया गया है। क्योंकि श्रम के सम्बंध में भी बहुत से लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। यह भी निश्चय रहा कि जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश करें १५ मिनट बोलें और १० मिनट बाकी सदस्य बोलें।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (क्रमागत)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय स्पीकर महोदय, जो इस भवन में कल से पुलिस पर विचार हो रहा है, मैं भी अपने विचार इसके संबंध में प्रकट करना चाहता हूं। मैं कई साल से देख रहा हूं कि हमारी सरकार का बजट पुलिस के ऊपर घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मैं यह जानता हूं कि हर सरकार को अपना प्रबन्ध चलाने के लिये पुलिस के लिये बजट बनाना पड़ता है और इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार है। मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जब जनता का इतना रुपया पुलिस के ऊपर खर्च होता है, तो हम को यह देखना चाहिये कि उस से अधिक से अधिक लाभ जनता को हो। मुझे आज बड़ी खुशी है कि इस विभाग का चार्ज हमारे नये मंत्री सम्पूर्णानन्द जी ने संभाला है। उनका हम स्वागत करते हैं और वे एक ऐसे मंत्री हैं कि हम उनके दल के न होते हुये उन पर विश्वास करते हैं कि वे निष्पक्षता के साथ इस विभाग का काम चलायेंगे। इसी तरह से जो पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जेनरल बनाये गये हैं वे भी एक अनुभवी आदमी हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जो सुझाव हम यहां देंगे उन पर वे विचार करेंगे और ऐसा कार्य करेंगे जिस से पुलिस की तरक्की अवश्य होगी।

श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि पुलिस के ऊपर हर साल यह इल्जाम लगाया जाता है और सत्य भी है कि इसमें से भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। आप के जरिये श्रीमान्, मैं सरकार से

यह बतलाना चाहता हूं कि उसका मूल कारण यह है कि पुलिस का तरीका जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उसी ढंग को सरकार आज भी अपनाये हुये है, यानी जिस तरीके से अंग्रेज देहात में जनता के ऊपर आतंक के द्वारा भय दिखला कर काम कराना चाहते थे, पुलिस के ढंगों को देखते हुये श्रीमन्, मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये कि वही तरीका आज भी बरता जारहा है। अब वह समय नहीं है, अब हम स्वतंत्र हो गये हैं, इसलिये हम को उस ढंग को बदलना चाहिये। मैं एक सुझाव आप के जरिये सरकार को देना चाहता हूं। आज क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट थाने में की जाती है वे या तो ज्यादातर झूठी होती हैं या सही नहीं लिखी जाती हैं। इस वजह से मेरा सुझाव यह है कि जब आप ने ग्राम सभायें और ग्राम समाज देहात में बनाये हैं तो देहात में जहां पर जुर्म होता है, जहां पर यह चीज शुरू होती है, वहीं पर क्राइम रजिस्टर रखा जाय और पहली रिपोर्ट उसी गांव सभा में लिखी जाय। सरकार इस नयी चीज को एक भय की निगाह से जरूर देखेगी लेकिन जिन की आप सेवा करना चाहते हैं यदि उन्हीं पर जिम्मेदारी डालदें, तो आप का कार्य बहुत सहल हो सकता है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार क्राइम रजिस्टर को थानों में न रख कर, ग्रामों में रखें और ग्राम सभा की कार्य-कारिणी या किसी कमेटी के जरिये इब्तदाई रिपोर्ट लिखी जाय। वहां पहली रिपोर्ट लिखने से यह होगा कि जिस तरह से हमारे अभी बहुत से सदस्यों ने बतलाया कि वहां झूठी रिपोर्ट लिखी जाती है। पार्टीबन्दी से रिपोर्ट लिखी जाती है, तरह तरह से जो घूस का मौका आप थानेदारों और दूसरे पुलिस वालों को देते हैं, इन सब बातों का मौका नहीं रहेगा। एक तो मेरा सुझाव यह है।

दूसरे मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में भूतपूर्व जमींदार या चन्द आदमियों के गुट पुलिस की साजिश से हुकूमत करते थे, उसी तरह से आज भी हो रहा है मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार की पार्टी या राजनीतिक पार्टी जो हैं वह भी इस तरीके से गुट बांध कर थानेदारों से और वहां के लोगों से मिलकर गलत रिपोर्टें लिखाती हैं और गलत जुर्म लिखाये जाते हैं और यह कार्रवाइयां अमल में आती हैं। मैं यह सरकार को बतलाना चाहता हूं और सबूत भी पेश कर सकता हूं कि जहां पर नेताओं ने थानेदारों को लिखा कि यह फलाने जुर्म में आदमी है, मेरी राय में यह चलने वाला नहीं है इस लिये उस को माफ कर दिया जाय। ज्यादातर लोगों ने थानेदारों के पास लिख कर भेजा और इस तरह से हम हर मामले में दखलअन्दाजी करते हैं। मैं नहीं कहता कि अकेले कांग्रेस पार्टी के लोग ही ऐसा करते हैं, सब ही पार्टी के लोग ऐसा करते हैं परन्तु ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो कांग्रेस के कार्यकर्त्ता बताये जाते हैं हमेशा थानेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर सरकार यह बन्द करना चाहती है तो सरकार पुलिस के हाई आफिसर्स को दूसरे जिले के आफिसर्स को हिदायत दे कि जब कोई राजनीतिक पार्टियां या कोई दल किसी विशेष थानेदार को या किसी कर्मचारी को तब्दील या उसके हटाने के बारे में रिपोर्ट दें तो आप को विचार करना चाहिये न कि किसी आदमी के कहने पर कि फलाना थानेदार काम ठीक नहीं करता है लिहाजा उसको तब्दील कर देना चाहिये, उसको तब्दील कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि छोटा सा मुलाजिम स्टेट का मुलाजिम है, किसी पार्टी का मुलाजिम नहीं है। आज जो हम विरोध करते हैं वह कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं, हम इस इस्टेट का विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इस स्टेट की तरक्की हो और हर आदमी यही चाहता है कि स्टेट की तरक्की हो। इस के माने यह नहीं कि कांग्रेस का विरोध करने से स्टेट का विरोध करते हैं। हर कर्मचारी को मालूम होना चाहिये कि वह स्टेट का कर्मचारी है, कांग्रेस गवर्नमेंट का नहीं है। कांग्रेस जो आज पावर में है उसके वह कर्मचारी नहीं हैं। तो श्रीमन्, मैं आप के जरिये से बतला देना चाहता हूं कि उनमें यह शक्ति दी जाय कि वह यह समझ सकें कि हम स्टेट के मुलाजिम हैं, हम जो कुछ करें वह न्यायपूर्वक और सही तरीके से करें।

श्रीमन्, एक तो उनका यह भय हटाने की कृपा की जाय दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि आपने इतना खर्चा किया लेकिन देहात में जो पुलिस का इंतजाम है, श्रीमन्, मैं

[राजा वीरेन्द्र शाह]

आप के जरिये बतला देना चाहता हूं कि एक-एक थानेदार के लिये ८०,८० गांव है। वह एक दफा भी महीने में अपनी सर्किल में नहीं घूम सकता। इसलिये यह स्टाफ बढ़ाना चाहिये। अगर आप को क्राइम रोकना है तो वहां का स्टाफ बढ़ाइये। इसी तरीके से कहा जाता है कि जनता सहयोग नहीं देती है। जनता सहयोग इसलिये नहीं देती क्योंकि वह पुलिस का आतंक देखती है और 'जब पुलिस उसे' परेशान करती है तो जनता किसी तरह से सहयोग नहीं दे सकती। अगर जनता यह समझ जाय कि पुलिस ठीक तरह से काम करेगी, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्राइम बहुत कम होंगे और जनता का सहयोग आपको मिलेगा। जनता केवल आतंक की वजह से सहयोग नहीं देती है। उनको यह विश्वास नहीं है कि अगर हम किसी चीज को बतायेंगे तो पुलिस हमारी सहायता करेगी। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से बतला देना चाहता हूं सरकार को कि आप पुलिस के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं अगर वह खर्चा इस ढंग से हो कि उससे जनता का लाभ हो तब तो यह कहना ठीक है कि पुलिस पर खर्चा बढ़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग के अनुदान के संबंध में बहस चल रही है यह विभाग निस्सन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विभाग पर हमारे राज्य में शान्ति व्यवस्था क़ायम रखने की जिम्मेदारी है। हमारे प्रदेश में कहां तक सरकार ने इस जिम्मेदारी को निभाया है, सरकारी आंकड़ों द्वारा इन बातों को स्पष्ट करना जरा मुश्किल सी चीज हो गयी है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के शासन काल में पुलिस का नैतिक स्तर कुछ ऊंचा उठा है और उसके रवैये और व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। न केवल यही बल्कि उसके दृष्टिकोण और भावना में भी परिवर्तन हुआ है और भ्रष्टाचार में भी कमी हुई है। मगर जहां तक हमारे प्रदेश में अपराधों की कमी का प्रश्न है मैं नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके आंकड़े सही नहीं हैं। मेरे संदेह का कारण है। जिन आंकड़ों की कमी बेशी के ऊपर आंकड़े तैयार करने वाले की तरक्की या तनज्जुली निर्भर हो क्या वे आंकड़े सही हो सकते हैं? सरकार के जन-संख्या पशु संख्या पर इस प्रकार के अन्य आंकड़ों पर यक़ीन किया जा सकता है क्योंकि उनकी गणना करने वालों को उनकी कमीबेशी से क्या संबंध है? किन्तु एक पुलिस आफीसर जो अपने इलाक़े में शान्ति क़ायम रखने का जिम्मेदार है वह या उसका मातहत हैड मुहर्रिर जो रिपोर्ट दर्ज करता हो जरायम के आंकड़े कैसे सही रख सकता है? नतीजा यह होता है कि अनेक अपराधों में से केवल वे जिनमें मुल्जिम नामजद होता है या जिनमें तफतीश में कामयाबी होने की पूरी सम्भावना होती है दर्ज किये जाते हैं। कितनी ही चोरियां, बलवे, राहजनी और डकैतियों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मुल्जिमान संख्या घटाकर ग़ैरदस्त-अन्दाजी पुलिस बना कर दिया जाता है। सरकार मेरे इस कथन पर विश्वास करे। मैं अपने जिले झांसी के उस अनेक अभियोग पत्र दिखा सकता हूं जिनमें फ़रियादियों ने इस बात का जिक्र किया है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी या ठीक नहीं लिखी। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो इब्तदाई रिपोर्ट बिगड़ जाने से मुक़द्दमा बेचारे फ़रियादियों का कमजोर पड़ जाता है और दूसरे अपराधों की रोकथाम नहीं होती है और तीसरे हमारी सरकार को इस प्रान्त की वास्तविक स्थिति से जानकारी नहीं होती। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो क़ायदा उसने यह बनाया था कि जनता कप्तान साहब के पास रिपोर्ट लिखा सकती है। वह ज्यादातर कारगर नहीं हुआ क्योंकि जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और दूसरे वह कप्तान साहब के पास रिपोर्ट भेज कर अपने इलाक़े के दरोग़ा जी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। यह उचित नहीं है कि सरकार ग़लत आंकड़ों के आधार पर इस भवन में बैठ कर शान्ति और संतोष की सांस ले जब कि वास्तव में उसके राज्य के किन्हीं क्षेत्रों में असंतोष फैल रहा हो, जरायम बढ़ रहा हो, मेरा सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है कि उसके लिये सही आंकड़े प्राप्त हों तो जरायम रजिस्टर्ड करने वाली एजेंसी को पुलिस विभाग से बिल्कुल अलहदा कर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम जो लोग इस इलाके में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के जिम्मे-

दार हैं उनसे जरायम का इन्दराज करने वाली एजेंसी इन्डिपेंडेंट कर दी जाय। जहां तक अपराधों की कमीबेशी की जिम्मेदारी का प्रश्न है हमारा एक दूसरा दृष्टिकोण है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि इस अपराधों के प्रश्न पर उस दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जाय। मेरी धारणा है कि अपराधों की कमीबेशी पुलिस विभाग की कार्य-क्षमता का कोई विश्वसनीय माप नहीं है। अपराधों के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी, इत्यादि। इन कारणों से मुसीबतजदा लोगों को हुकूमत के दबाव से हमेशा के लिये शान्त नहीं रखा जा सकता। यह हो सकता है कि दंड के भय से, राज्य भय से या धर्मोपदेशों से चन्द लोगों का जीवन भले ही आदर्श बन जाय लेकिन वे हर इन्सान को हर समय के लिये काबू में नहीं रख सकते। अगर ऐसा हो सकता हो तो अपराध कभी के इस दुनिया से खत्म हो गये होते राज्य में कितनी ही जेलें बनी हुई हैं, भारतीय दंड विधान और कितने ही अन्य दंड विधान बने हुये हैं लेकिन क्या अपराध रुके? क्या मौत की सजाओं ने जनसाधारण को हत्यायें करने से रोक पाया? सरकार की अपराधों से भरी हुई जेलों ने लोगों को जुर्मों से कब रोका? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन तो अपराधों को रोकने के लिये महज बाह्य उपचार है असली इलाज तो हमारी सरकार को उन समस्याओं को सुलझाना है जिनके कारण आये दिन अपराध होते हैं। जब हमारे विरोधी पक्ष के भाई अपराधों के संबंध में पुलिस की आलोचना करते हैं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को ही दृष्टि से ओझल कर दिया है और यह विश्वास करने लगे हैं कि सरकार अपराधों को दमन से बन्द करे। मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार ही ऐसी है जो इन अपराधों को रोक सकती है और उन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझा सकती है जिनके कारण अपराध होते हैं। बशर्ते उसके पास सही आंकड़े हों और यह भी मालूम है कि किन्हीं क्षेत्र में किन कारणों से अपराध होते हैं। इसके लिये मैं सुझाव दे चुका हूं कि अगर इस प्रकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष साधन इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये मिल जांय तो वाक़ई अपराध रोके जा सकते हैं और सरकार सही स्थिति से हमेशा वाक़िफ रह सकती है। जहां तक हमारे मित्र माननीय वीरेन्द्र-शाह जी ने इस हाउस में अभी बताया है कि कांग्रेस पार्टी के आदमी पुलिस विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मैं परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह बैठना नहीं चाहते। आप बाद को उनसे कह लीजिये।

श्री रमानाथ खैरा—मुझे इस बात का दुख है और मैं कह सकता हूं कि इस बात को सब से ज्यादा अहतियात अगर कोई रखता हो तो वह कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं। वह किसी तरह से भी पुलिस कार्यों में दखल नहीं देते। इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य को समझाना चाहिये कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुचारु रूप से चलाने का सबसे ज्यादा खयाल अगर किसी को है तो वह कांग्रेस पार्टी को ही होगा और अगर कांग्रेस मैन पुलिस को कभी ग़लत रास्ते पर जाने से आग्रह करता है तो किसी को शिकायत क्यों होनी चाहिये? लेकिन अगर कांग्रेसमैन किसी पुलिस आफिसर को ग़लत रास्ते पर जाने से रोकने के लिये कोई सुझाव देता है क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा सुचारु रूप से चलाने के लिये सब से ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है इसलिये अगर कांग्रेस का आदमी कोई सुझाव देता है तो उसके लिये एतराज नहीं होना चाहिये। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं सरकार जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको कार्यरूप में परिणित करेगी।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस का अनुदान है और सरकार ने इस अनुदान के लिये जो उदारता दिखलाई है उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मुझे यह कहना पड़ता है कि आज पुलिस के ऊपर जितनी आलोचनायें हुई हैं वह हमारे स्टेट के लिये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आज हमारे स्टेट में पुलिस के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, जितनी घटनायें हुयी हैं उसमें पुलिस ने जितनी मदद की है उसके लिये वह प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां भी हैं उन्हें दूर करना हमारा कर्तव्य है। हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि उसको उन्हें दूर करने के लिये जल्द प्रयत्न करना

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

चाहिये। हमारे माननीय सदस्य ने यह बतलाया है कि बहुमत पार्टी के लोग जा कर पुलिस पर अपना प्रभाव दिखलाते हैं और दूसरी पार्टी के लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं। यह कहना बिलकुल ग़लत है। पुलिस का काम किसी पार्टी बन्दी में फंसना नहीं है और न वह फंसती है। पुलिस को किसी भी पार्टी की बात नहीं सुनना चाहिये और यह प्रसन्नता है कि उसने पार्टियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि इस पार्टी ने ऐसा किया है या उस पार्टी ने ऐसा किया है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ त्रुटियां अवश्य पुलिस में पार्टीबन्दी की वजह से आगई हों ऐसा हो सकता है। क्योंकि आज पार्टीबन्दी चल रही है और इस पार्टीबन्दी के नाते पुलिस में त्रुटि आ गयी है और मैं समझता हूं कि पुलिस वाले पार्टीबन्दी में कुछ सहयोग देते हैं और पुलिस में पार्टीबन्दी है और पुलिस में उनके रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारी सरकार को कुठाराघात पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। इन चीजों को देखना चाहिये। अगर वह अपने देश की खातिर पुलिस में भर्ती होने के लिये आये हैं उनका कर्त्तव्य है कि वह इस गवर्नमेंट के साथ वफादारी दिखायें और पार्टीबन्दी को छोड़ें।

दूसरे देहातों में देखने में आता है कि पुलिस घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच नहीं पाती है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुलिस के लिये ट्रैफिक की ज्यादा सुविधा दी जाय। जब तक उनके लिये ट्रैफिक में सुविधायें नहीं होंगी तब तक वह अराजकता रोकने में असमर्थ हैं। देखने में आता है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि पुलिस वालों के लिये ट्रैफिक की ज्यादा से ज्यादा सुविधायें पहुंचाई जायं जिससे वह समय के अन्दर मौके पर पहुंच सकें।

रिपोर्ट के बारे में जो बातें कही गयी हैं उनको मैं मान लेने के लिये तैयार हूं। पुलिस ज्यादातर रिपोर्ट्स में उन बातों को लिखने की कोशिश नहीं करती है जो उसको बतायी जाती है और अपनी जांच की हुई बात पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वह तो यह देखते हैं कि हमारा मतलब किससे निकलता है। वह सही बातों को नहीं लिखते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह रिपोर्ट सही मानों में लिखें और जब वह सही मानों में रिपोर्ट लिखेगी तभी कल्याण हो सकता है। क्योंकि मुकदमों में देखा जाता है कि ज्यादातर एफ० आई० आर० पर ही केसेज छूट जाते हैं। जो पुलिस रिपोर्ट लिखती है उसके ही आधार पर केस चलता है। पुलिस के जो दफा १०७,१०९ और ११० के मुकद्दमे चलते हैं उनमें पुलिस के लिये आर्डर होता है कि वह जांच करे कि जामिन मोतबिर है या नहीं। पुलिस से यह आशा की जाती है कि वह सही जांच करे कि आया जामिन मोतबिर है या नहीं। मैं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है। इसकी जांच किसी भी अथारिटी, तहसीलदार या एस० डी० ओ० से करायी जानी चाहिये यदि यह हो जाय तो करप्शन रुक सकता है। ज्यादातर दफा १०७,१०९ और ११० के मुकद्दमे इसलिये चलाये जाते हैं कि उनमें पुलिस को आमदनी होती है क्योंकि जानते हैं कि जब उनके पास हुक्म आयेगा तब वह देखेंगे कि जामिन मोतबिर है या नहीं। ऐसे भी जामिन होते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता है वह जामिन बन जाता है और लोग पुलिस को रुपया भी दे देते हैं। पुलिस उनको लिख देती है कि जामिन मोतबिर है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जब १०७,१०९,११० में चालान किया जाय तो पुलिस के लिये यह हुक्म न भेजा जाय कि वह जांच करे कि जामिन मोतबिर है या नहीं।

एक बात और यह है कि शहरों में यह देखने में आता है कि जुये और सट्टे की बहुत ज्यादा शिकायत है और उसमें यह सुनने में आता है कि पुलिस अपना शेयर रखती है। जब देखने में यह आता है कि शहरों में जुआ और सट्टा दिन बदिन ज्यादा जोर कर रहा है तो क्या वजह है कि पुलिस ढिलाई दिखाती है। मैं समझता हूं कि पुलिस का इसमें हाथ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि उसके वेतन में कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति करने की वह कोशिश करे। आज उनका कहना यह है कि उनको पेट भर नहीं मिलता है, उनका कहना ठीक है। लेकिन उनको ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट से एप्रोच करना चाहिये और हम लोगों का कर्त्तव्य है कि उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें।

मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि हर डिपार्टमेंट में अछूतों के लिये १० प्रतिशत के रिजर्वेशन की सरकार ने योजना बनाई है। लेकिन ज्यादातर हमारे यहां यह देखने में आया है कि उनको कैसे किया गया है किसी न किसी बहाने उन पर इल्जाम लगा कर सब-इंस्पेक्टर को मोअत्तिल किया गया है। मेरा निवेदन है कि ऐसी सूरत में जांच करने के साथ साथ हमदर्दी दिखाई जाय और उनको मौक़ा दिया जाय क्योंकि यह खास बात है कि कमजोर आदमी किसी न किसी रूप में फांसा जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय।

अगली बात यह है कि जो वातावरण हमारे प्रदेश में फैल रहा है वह बहुत शोचनीय है। पुलिस ज्यादा करप्शन कर रही है, हर तरफ से उसकी शिकायतें आती हैं। उसका कारण यह भी होता है कि लोग उसमें सहयोग देते हैं। जब पुलिस को मालूम होता है कि फलां मुक़द्दमा छटने वाला है तो वह गवाहों को बरगलाती है, उन पर दबाव डालती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सच्ची घटनायें हों तो उसमें किसी किस्म की हठधर्मी न दिखायी जाय, किसी गवाह को ग़लत न बरगलाया जाय। मेरा यह अनुभव है क्योंकि मैं भी ५ साल आनरेरी मैजिस्ट्रेट रह चुका हूं कि १०९ के केसेज झूठे बनाये जाते हैं। १०९ में जो एक दफे जेल काट आता है उसी को बार बार १०९ में पुलिस पकड़ लेती है। इस तरह से १०९ के केसेज ९९ प्रतिशत झूठे होते हैं। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें ताकि पुलिस वाले किसी से दुश्मनी निकालने के लिये या झूठे मुक़दमें चलाने के लिये १०९, १०७ और ११० का ग़लत इस्तेमाल न कर सकें।

तीसरी बात यह है कि पुलिस के ऊपर जो आक्षेप लगाये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो त्रुटियां हैं उनकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिये। दूसरे मुल्कों में यह होता है कि जो सरकार पावर में होती है गवर्नमेंट के अधिकारी उसके पीछे होते हैं लेकिन यहां देखने में यह आता है कि पुलिस वाले सरकार की आलोचना ही किया करते हैं। कांग्रेसियों की या जो खादी टोपी पहने हों उनकी आलोचना करते हैं। आगे तो नेता जी, आइये, लेकिन पीछे उनकी बुराइयां किया करते हैं। उनको ईमानदारी और वफादारी से काम करना चाहिये। हम हाउस में जो चिल्ला कर कहते हैं उनको उसे जनता की आवाज समझनी चाहिये। उनको इसलिये क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वह अपना कर्त्तव्य भुला चुके हैं। वह यह सोचते हैं कि यहां की सरकार का कोई महत्व नहीं लेकिन उनको समझना चाहिये कि वह अपनी सरकार है। उसमें उनको फेथ रखना चाहिये और जनता के साथ सहयोग करना चाहिये। इसी में उनकी भलाई है। जयहिन्द।

श्री कमाल अहमद रिज़वी (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता तो यह था कि अपने गृह मंत्री को पहले धन्यवाद दे दूं लेकिन अब तो जी यह चाहता है कि अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूं क्योंकि दो दिन के उठने बैठने के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। हमारे हाउस में और हाउस के बाहर जो पुलिस की आलोचना होती है उसको हम ध्यान से सुनें और समझें तो ऐसी भयानक तस्वीर है और समझ में नहीं आती कि कैसे लोग उसमें जिन्दा हैं और अपनी इज्जत और आबरू सम्भाले हुये हैं। मेरा कहना यह है कि कुछ ज्यादती के साथ हाउस के अन्दर और बाहर उन बातों को कहा जाता है। सन् ४७ के पहले जो कुछ हुआ वह दूसरी बात है। जनता को कोई शिकायत नहीं होती थी क्योंकि वह यह समझती थी कि विदेशी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह हमारी हालत सुधारे। हमारे यहां जो तरह तरह की खराबियां हैं, लेकिन आज जब अपनी सरकार आई है, तो वे कम होते हुये भी ज्यादा मालूम होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि बुराइयां नहीं हैं, बुराइयां जरूर हैं, लेकिन हमारे सोचने और समझने के तरीक़े में थोड़ा फ़र्क़ है। जो आशा हम विदेशी सरकार से नहीं रखते थे आज अपनी सरकार से जरूर रखते हैं। इसलिये थोड़ी बुराई भी हमें ज्यादा मालूम होती है। मैं तो यह कहता हूं कि काफी तब्दीली हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में लेकिन बहुत काफ़ी फ़र्क़ अभी होना है और जो कुछ अभी नहीं हुआ है और जो अभी होना है

[श्री कमाल अहमद रिज़वी]

वह हालांकि कम है लेकिन चूंकि अपनी सरकार है इसलिये बहुत ज्यादा मालूम होता है। एक बात बहुत साफ़ है जिससे बहुत कम लोगों को इन्कार होगा वह यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े आफ़िसर्स थे जैसे एस० पी०, डी० एस० पी० इनमें पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में भी बहुत करप्शन था लेकिन आज यह पूरे तरीक़े से साफ़ है। मैं यह नहीं कहता कि कोई भी नहीं लेता लेकिन ज्यादातर पुलिस के बड़े आफ़िसर्स रिश्वत वग़ैरह से साफ़ हैं, यह कोई छिपी बात नहीं है। मैं तमाम जिलों की बात तो नहीं जानता लेकिन अपने ही जिले में बहुत काफ़ी तजुर्बा मुझे रहा है, बहुत से लोग वहां आये और गये, और लोगों से मेरी बातचीत भी हुई लेकिन उनमें ऐसी चीज पायी नहीं गयी। जो दो चार परसेंट ऐसे होंगे उनमें भी यह चीज दूर हो जायगी।

एक बात ख़ास कही गयी और जिसे बहुत से भाइयों ने कहा कि आमतौर पर थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मेरे ख़याल से ऐसा तो नहीं है, रिपोर्ट तो लिखी जाती है लेकिन ग़लत तरीक़े से लिखी जाती हैं, डकैती की चोरी में और चोरी की किसी और चीज में इस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है। और जब रिपोर्टें लिखी जाती हैं तो ऐसा है कि रुपया ज़रूर पड़ता है। इस बात को दूर होना चाहिए काफ़ी अर्सा लगेगा इस बात को दूर करने में भी, लेकिन मैं समझता हूं कि गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ ज़रूर होगा कि कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे इस क़िस्म की बातें दूर हो सकें।

एक और बात कल हाउस में कही गयी कि सब नये सब-इंस्पेक्टर्स भर्ती किये जायं और पुराने लोगों को पेंशन दे दी जाय। लेकिन मेरा अपना जाती तजुर्बा तो यह है कि नये सब-इंस्पेक्टर्स हालांकि तालीम में ज्यादा हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं लेकिन जहां तक रिश्वत का सवाल है तो अगर पुराने जमाने का सब-इंस्पेक्टर किसी काम को २०० रुपये ले कर करता था तो नया सब-इंस्पेक्टर, मेरा अपना विचार है, एक हजार और ५०० रुपये से कम में नहीं करता। इसलिये पुरानों को रिटायर कर दिया जाय और सब नये भर्ती किये जायं यह मेरी समझ में कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है।

दूसरी बात मुझे माडल थानों के मुताल्लिक़ कहनी है। जब शुरू में ये माडल थाने बने थे तो बड़ी आशायें बंधी थीं कि यह एक नमूना हमारे जिले में होगा और इसको देख कर दूसरी जगह भी असर पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा हुआ नहीं। हमारे जिले में जो माडल थाना बनाया गया उसमें जो सब-इंस्पेक्टर तैनात किये गये उनके बारे में बाद में यह मालूम हुआ कि जिले के सब से ज्यादा रिश्वत लेने वाले वही थानेदार हैं। इसलिये जाहिर है कि जो आशा जनता को थी वह पूरी नहीं हुई। इससे बुरा असर भी पड़ता है, सरकार की भी बदनामी होती है और पुलिस की बदनामी तो जाहिर है कि हुई ही।

एक बात मुझे और कहनी है। जहां तक ज़मानत वग़ैरह का सवाल है, मेरा अपना तजुर्बा यह रहा है, इसको किसी भाई ने नहीं कहा कि कुछ दिनों से मैं इस टेंडेंसी को देख रहा हूं कि हमारे प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर्स जो कहलाते हैं उनके अन्दर भी यह चीज शुरू हो गयी है। देहात के लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे मुक़द्दमे की बातें पूछता हूं और अपनी मजबूरी जाहिर करता हूं कि भाई, यह अदालत का मामला है इसमें क्या हो सकता है। दूसरे दिन वह बताते हैं कि फ़लाने की ज़मानत हो गयी। मैं पूछता हूं कि कैसे, उनकी ज़मानत तो हो ही नहीं सकती थी। तो वह कहते हैं कि कोर्ट साहब से मिल लिये रहन और थोड़े बहुत में मामला तय हो गया। तो इस बात की तरफ़ ध्यान देने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट इंस्पेक्टर का अच्छा ग्रेड भी होता है और कुछ वकीलों में से भी लोग लिये जाने लगे हैं लेकिन उसके साथ-साथ यह बात है जिसे हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

कल इसी सदन में एक भाई ने यह बात कही थी लखीमपुर में एक एम० एल० ए० ने १०० रुपये पुलिस को दिये तब उनका काम बन पाया। मैंने इस बात की पूछतांछ की और पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह बात सरीहन ग़लत है और ऐसा नहीं हुआ। चूंकि

यह हुआ कि यह बात मेरे जिले के बारे में कही गयी थी जिससे हमारे जिले की और एम० एल० एज० की बदनामी होती थी इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी का ऐसा खयाल हो तो वह सब लोगों से पूछ सकता है और उसकी जांच कर सकता है। मैंने इस बात को इसीलिये साफ़ कर दिया ताकि उसका सुधार हो जाय।

आखिर में मुझे एक बात और कहना है। कल मेरे एक मित्र ने कहा कि लाइसेंस जो असलाहात के दिये जाते हैं उनको कम कर दिया जाय, लेकिन मेरी तो यह राय है कि कम से कम हर गांव में एक लाइसेंस बंदूक वगैरः का जरूर दिया जाय। अगर रिकार्ड को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि जिस गांव में एक दो बंदूक के लाइसेंस हैं वहां पर चोरी और डकैती कम होती है बनिस्बत उन गांवों के जहां ऐसे लाइसेंस नहीं हैं। यों तो इंपीरियल बैंक तक में चोरी हो जाती है जहां कि काफी पहरा रहता है लेकिन देहातों में जहां एक भी बंदूक रहती है वहां लोगों को खौफ रहता है और वहां चोरियां कम होती हैं। मेरा कहना यह तो नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेटली लाइसेंस दिये जायं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जो इसके मुस्तहक हैं उनको अवश्य दिये जायं। आखिर में मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो बजट उन्होंने पेश किया है और जिस अनुदान की उन्होंने मांग की है उसका सही उपयोग किया जाय।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—इस संबंध में कल से जो कुछ पुलिस की बाबत कहा जा रहा है उसको भवन के अन्दर बैठे सुनते हुये यह खयाल होता है कि अगर इस देश से और कम से कम हमारे प्रांत से पुलिस को निकाल दिया जाय तो यहां रामराज्य हो जाय। बहुत से सज्जनों ने कहा कि पुलिस वाले रिपोर्ट गलत लिखते हैं, इंक्वायरी ठीक नहीं करते, पैसा भी लेते हैं और काफी उपद्रव करते हैं। लेकिन अगर हम इस भवन के बाहर भी देखें कि हमारे बीच में जो आम आदमी हैं और उनकी जो हालत है, जिनमें ये लोग भी शामिल हैं तो आपको मालूम होगा कि पुलिस वाले भी हमारे जैसे ही देशभक्त हैं, वे भी यहीं के नागरिक हैं और उनमें भी बहुत से अच्छे आदमी हैं, जो अपने देश की या अपने प्रांत की भलाई सोचा करते हैं।

अगर आप आम आदमी की तरफ नजर डालें तो आपको मालूम होगा कि वह क्या करते हैं, आप दूकानदार को देखें कि वह कितनी सच्चाई से काम लेता है, कितने दूध वाले हैं जो दूध को बिना पानी मिलाये बेचते हैं, कितने नमक बेचने वाले हैं जो बिना मिट्टी मिलाये नमक बेचते हैं, कितने व्यापारी ऐसे हैं जो इन्कम टैक्स बचाने के लिये डबल बही खाते नहीं बनाते, आज हमारे यहां भी बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो वकील हैं, वे जरा अपनी तरफ भी ध्यान से देखें कि अपनी प्रेक्टिस को चलाने के लिये यह जानते हुये कि यह मुकदमा बिलकुल झूंठा है उसकी वकालत करते हैं।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, इस वक्त पुलिस के ऊपर बहस हो रही है और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह वकीलों के बारे में कह रहे हैं। मेरे खयाल से यह रेलवेन्सी से बाहर की चीज है उनको अपने विषय के बाहर नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह प्वाइंट आफ आर्डर उचित नहीं है। आप जारी रखें।

श्री तेजासिंह—मैं अपने माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि मेरा मतलब वकीलों या किसी और पर इल्जाम लगाने का नहीं है, मैं सिर्फ अपनी हालत बयान कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि इस वक्त हमारे देश के आम आदमी की हालत कैसी है और पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। हम कहते हैं कि पुलिस वाले बेईमान हैं क्योंकि पुलिस का अनुदान हमारे सामने पेश है। मैं पुलिस वालों की वकालत नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपके सामने एक समस्या रख रहा हूं कि हमारे देश की क्या हालत है और उसमें केवल पुलिस वालों को भला बुरा कह कर सुधार नहीं किया जा सकता। हमें देश

[श्री तेजा सिंह]

के हर एक वर्ग की तरफ खंयाल करना चाहिये और देशवासियों के आचरण को ऊंचा उठाकर अपने देश को ऊंचा उठाना चाहिये। तो मैं अगर वैसे गिनाना शुरू करूं तो अभी वकील साहब नाराज हो जायेंगे हो सकता है कि कोई डाक्टर भी यहां बैठे हों जो ५ रु०, ६ रु० और १० रु० लेकर बहुत से डाक्टर साहबान झूठी सार्टिफिकेट दे देते हैं। आप किसी सिविल सर्जन के पास चले जाइये और १६ रु० फीस देकर सिक लीव ले लीजिये। इसी तरह से टीचर्स के पास चले जाइये हेडमास्टर के पास, प्रोफेसर जो पढ़े लिखे माने जाते हैं उनके पास कोई लड़का जाता है और कहता है कि मुझे पुलिस में भर्ती होने के लिये सार्टिफिकेट की जरूरत है तो चाहे वह भले ही फुटबाल या हाकी का खिलाड़ी न हो लेकिन प्रिंसपल साहब सार्टिफिकेट दे देते हैं कि यह लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यह मैं नहीं कहता हूं कि यह आम बुराई नहीं है, यह सभी में है। लेकिन जो कुछ मेरा अनुभव है वह यह है कि यह बुराई हमारी आम सोसाइटी के अन्दर है जिसको हमें दूर करना है। मैं अपनी ही एक मिसाल सुना कर अपने कथन को खत्म करता हूं। मेरे पास एक व्यक्ति एक सज्जन को लेकर आये कि इनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ये बहुत गरीब हैं इसलिये बच्चे की फीस माफ होनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि वे एक ऐसे सज्जन को लेकर आये जिसने गलती से कहूं या खुशकिस्मती से एलेक्शन में काफी काम किया था और उन्होंने कहा कि लड़के की फीस माफ होनी चाहिये। तो मुझे भी कुछ लालच हुआ कि इनसे मुझे वोट मिले हैं और हो सकता है अगर अगली बार भी यहां आने के लिये वोट के लिये कहना पड़े, मैंने लिख दिया कि इसकी फीस माफ होनी चाहिए मैं नहीं जानता कि उसकी फीस माफ हुई या नहीं। चार महीने के बाद वही सज्जन एक और आदमी को लेकर मेरे पास आये और बदकिस्मती से उसने भी एलेक्शन में काम किया था। उसने कहा कि इनको पिस्तौल का लाइसेंस लेना है, ये बहुत बड़े अमीर हैं। अपना बही खाता भी साथ साथ लाये हैं। ये ५० हजार रु० के करीब इनकम टैक्स देते हैं। आप लिख दीजिये कि ये अमीर हैं और इनको पिस्तौल का लाइसेंस मिलना चाहिये। चार महीने पहले मैं कह चुका हूं कि यह आदमी गरीब है, और बाद में फिर लिखता हूं कि यह बड़ा अमीर है, इसको लाइसेंस जरूर मिलना चाहिये। तो इसमें मैं अपने को बुरा कहूं या जिसने मुझसे ऐसी बात कराई उसको बुरा कहूं? मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे भी सदस्य हैं जो कि चीज को ठीक समझते हुये भी इस सोसाइटी में मजबूर हो जाते हैं कि वे गलत काम करें। तो मेरी प्रार्थना यह है कि हम सिर्फ पुलिस अधिकारियों और मुलाजिमों को ही टार्गेट न बनायें बल्कि अपनी तरफ भी जरा खयाल करें कि जहां हमारी सोसाइटी की बुराई दूर करनी है वहां हम कोशिश करके अपना भी सुधार करें।

एक बात यहां यह भी सुनने में आयी कि क्राइम में कोई कमी नहीं हुई है। अगर आप अपनी तरफ ध्यान मारें तो आप सब अनुभव करेंगे कि जब किसी के यहां चोरी हो जाती है और वह पुलिस के यहां जाकर रिपोर्ट लिखवाता है तो रिपोर्ट लिखवाने वाले से पुलिस वाले कहते हैं कि किसी का नाम लिखाओ जिसके ऊपर तुम्हें शक हो। उस शख्स को शक है कि फलां आदमी ने चोरी की है लेकिन वह मुहल्ले का बदमाश है इसलिये वह उसका नाम नहीं लेता और उस पुलिस से कहता है कि आप ही अपने अनुभव से किसी का नाम लिख लीजिये और मेरी चोरी का पता लगा दीजिये। चोरी का माल पकड़ा जाता है, चोर भी पकड़ा जाता है लेकिन चूंकि अदालत कहती है कि मौके का गवाह लाओ। एक या दो बजे रात में चोरी हुई है, कोई गवाह नहीं है इसलिये पुलिस वाले झूठे गवाह करते हैं। कोई भला आदमी झूठ बोलने के लिये तैयार नहीं होता लिहाजा पुलिस वाले उससे कहते हैं कि बिना झूठ बोले हुये अदालत उसे सजा नहीं दे सकेगी इसलिये इतना झूठ तो आपको जरूर बोलना पड़ेगा। इसलिये इंसाफ का जो तरीका है उसको बदलने की जरूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि जो सही मुलजिम होता है वह बच जाता है और उसे सजा नहीं हो पाती और जो बेकसूर होता है उसे सजा हो जाती है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और मद्रास में कोई मुकद्दमा करता है। तो वहां शहादत हो जाती है,

आप जानते भी नहीं और हो सकता है कि आपको सजा हो जाय। इसलिये जहां और बुराई है क्राइम न रोकने की वहां मैं समझता हूं कि जो तरीका इंसाफ है उसमें कोई न कोई ऐसी तब्दीली करनी चाहिये जिससे कि सही मुलजिम बच नहीं सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों से भी प्रार्थना करता हूं कि वे भी अपनी बुराइयों को दूर करें। कम से कम इससे न घबड़ायें कि केवल वे ही बुरे हैं। दूसरे भी बुरे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से बहुत ग़ौर से इस महत्वपूर्ण विभाग पर हो रहे विवाद को सुन रहा हूं। मुझे अफ़सोस होता है कि सिवाय कुछ के, सरकारी बेंचों के माननीय सदस्यों ने भी एक मत से इस विभाग की निन्दा की है चाहे वह दबी जबान से हो या खुली जबान से लेकिन की। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि अपराधों की संख्या के संबंध में उधर के भी माननीय सदस्यों की यह राय है कि उनको छिपाया गया। मैं नहीं कह सकता कि इसको छिपाने से क्या फ़ायदा है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि एक मामूली थानेदार, मुंशी या मुहर्रिर गलती करता है और वह अपराधों को छिपाने की कोशिश करता है वैसी हालत में जब यहां इतने ऊंचे स्तर पर आने के बाद उन अपराधों को छिपाने की कोशिश की जाय तो मैं समझने से मजबूर हो जाता हूं कि इसका दोषी कौन है? वह मुंशी लोग जो रिश्वत लेते हैं जब हम उनको यह कहते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और वह डिमोरलाइज होते जा रहे हैं तो जिनकी बुद्धि बहुत ठीक है और जिन लोगों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह डिमोरलाइज हो गये हैं उन्होंने अपराधों को छिपाने की क्यों कोशिश की यह समझ में नहीं आता है? मैं अपराधों के आंकड़ों को इस सदन के सामने न बताकर कुछ समय बचाना चाहता हूं कि उनके देने में ज्यादा वक्त सरफ न करूं, लेकिन अगर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट दोनों की तुलना की जाय और उसको गौर से पढ़ा जाय तो दोनों को देखने से मालूम होगा कि कितना अन्तर पड़ता है? जब आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जाती है और किसी गलत बात को कहने की कोशिश की जाती है तो उसमें यह हमेशा हुआ करता है कि उसमें कुछ गलती हो जाय और उस गलती के पकड़े जाने की गुंजाइश होती है। अभी कुछ आंकड़े माननीय नारायण दत्त जी ने आपके सामने रखे। मैं बहुत ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता हूं इस संबंध में क्योंकि श्रम और संख्या पर अभी विवाद होने वाला है तब मैं कुछ आंकड़े रखूंगा। मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा विभाग में जिसका संबंध माननीय गृह मंत्री से है उसमें भी कोई भेद हो सकता है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह एक वह बीमारी है जिससे सरकार मर सकती है। जैसे कोई गुप्त रोग होता है और रोग वाला जो आदमी होता है अर्थात् अगर किसी को सुजाक और गनोरिया गुप्त रोग होता है चाहे वह किसी पुरुष को हो या स्त्री को, तो वह किसी डाक्टर या वैद्य को बताना नहीं चाहता है। उसी तरह से यह हालत हमारी सरकार की है और वह अपराधों को एक गुप्त रोग समझती है कि अगर अपराधों की संख्या को ठीक ठीक यहां सदन के सामने रखा जायगा तो उसका भंडाफोड़ हो जायगा। यह पाप है और इस पाप का नक्शा लोगों के सामने आ जायेगा। तो जो हालत उस गुप्त रोगी स्त्री या पुरुष की होती है वही हालत इन आंकड़ों को छिपाने की हमारी सरकार की है और इससे दूसरी हालत सरकार की नहीं हो सकती। मेरा यह निवेदन है माननीय गृह मंत्री से कि बड़ी तादाद में आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की है और इन आंकड़ों को छिपाने के बाद मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी किस प्रकार से अपनी सुबुकदोशी साबित करेंगे और उसे छिपाने में कैसे यह बात मानी जा सकती है कि ऐसा होने में वह साजिश नहीं रखते हैं। मैं साजिश लब्ज का ख़ासतौर से प्रयोग करता हूं माननीय गृह मंत्री के सिलसिले में, क्यों कि उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं और उनसे हमको बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ी बड़ी उम्मीद रखने के बाद यह बात

[श्री गेंदा सिंह]

कहता हूं। इसलिये मैं साजिश लब्ज का इस्तेमाल करता हूं। वह मुझे इस गुस्ताखी के लिये क्षमा करेंगे। अभी कुछ आदर्श थाने बनाये गये हैं। कल से उन आदर्श थानों की बाबत मेरे सामने ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों के सामने उन आदर्श की बात कही गई। आदर्श के माने यह होते हैं कि आदर्श आगे चलने वाला है दूसरे उसके पीछे चलें। आदर्श थानों के बारे में शिकायत यह है कि वह झूठे मुकदमें बना लेते हैं और घूस लेते हैं जब कि उनको इसके खिलाफ़ काम करना चाहिये था। मैं एक आदर्श थाने की बात जो हमारे जिले की है इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तरकुलवा थाने में जो थानेदार साहब वहां पर गये, मैं यह समझता हूं कि वह झूठे मुकदमे बनाने में सबसे ज्यादा माहिर थे। उस आदर्श थाने के वह थानेदार साहब एक गांव छितौनी में २७ तारीख को गये और २८, २९ तारीख में उन्होंने पूरे गांव को लूट डाला। उस आदर्श थाने के थानेदार की उस कार्यवाही की जांच करके उस गांव से माननीय राम सुभग वर्मा और माननीय राजवंशी राय आये हुए हैं और उन्होंने जाकर उस गांव को देखा और वहां की औरतों ने लड़कियों ने, और मर्दों ने जो बयान दिये हैं उनको इस सदन के सामने रखना बहुत ही जरूरी होगा। मेरा ख्याल गलत हो सकता है चूंकि मैं प्रत्यक्ष-दर्शी नहीं हूं लेकिन अगर माननीय राम शुभग वर्मा की बात सुन ली जायगी कि एक स्त्री का क्या बयान है और उसने क्या कहा है तब आपको मालूम होगा। उसने कहा है कि, पुलिस के लोग कुछ गुंडों को लेकर उस के घर में घुसे और उसके बाद उसके कपड़े उतारे लेकिन जब उसने कहा कि मैं तो बुड्ढी औरत हूं तब उन्होंने उसको छोड़ा। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। यह आदर्श कार्य आदर्श थाने के हैं और इस तरह के काम आदर्श थानों में होते हैं। तो इस प्रकार के आदर्श काम करने की दूसरे लोग क्यों न कोशिश करें क्योंकि इससे उन की तरक्की होती है, वह इंस्पेक्टर और एस०पी० बनते हैं और मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है की वह तरक्की चाहता है और जिस तरह से भी तरक्की हो सकेगी वह करेंगे। केवल इतनी बात कहने के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमें यह देखना चाहिये कि वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें मनुष्य किसी अनुचित काम को करने के लिये विवश होता है। हम इंगलैंड और स्काटलैंड की पुलिस से अपने यहां की पुलिस की तुलना तो करते हैं लेकिन कभी सरकार यहां के आर्थिक ढांचे को भी समझने की कोशिश करती है कि जिसमें आर्थिक मजबूरियों के कारण तमाम चोरी और रिश्वतखोरी होती है और बढ़ती है ? मैं एक बात जानना चाहूंगा कि यहां की प्रांविशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी है, वहां एक सिपाही को क्या तनख्वाह दी जाती है और उसकी उस तनख्वाह में से कितना उसके मेस खर्च के लिये हर महीने में निकल जाता है ? उसको ६ छटांक राशन मिलता है और जो आदमी तीन चार पांच सेर की बंदूक लेकर आठ आठ घंटे ड्यूटी करता है वह कैसे अपना पेट भर सकता है ? इस तरह से उसको ब्लैक मार्केट से अनाज खरीदना पड़ता है और उसकी २५ रुपया तनख्वाह कट जाती है, जो ५० रुपया पाता हो और उसमें से २५ रुपया कट जाते हों तो आप समझ सकते हैं कि वह २५ रुपये में कैसे गुजर कर सकता है। सिविल पुलिस चोरी करती है, रिश्वत लेती है ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन यह पी०ए०सी० वालों को तो ऐसी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती है। क्या कभी इस प्रश्न को इस तरह से मंत्री जी ने सोचा है और विचार किया है ? जो पुलिस का बजट सन् ३७-३८ में एक करोड़ ६५ लाख के करीब था वह आज बढ़कर ७ करोड़ १६ लाख का हो गया है और उसमें से एक कानिस्टिबिल क्या पाता है ? और वह पुलिस के नीचे का आदमी जो गांव में रहता है जिसका सीधा संबंध वहां की जनता से है उसकी जिन्दगी के बारे में भी कभी सोचा गया है कि वह भूखा भेड़िया हो कर गांव में न जाय। क्या आप आज पटवारी को और पुलिस को भूखा भेड़िया बना कर गांवों में भेजना चाहते हैं ? नतीजा यही होता है कि वह भूखा भेड़िया गांव में जायगा, खायेगा, खोजेगा, इसलिये सरकार को इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि आज का आर्थिक ढांचा स्वयं देश को अपराध के

लिये मजबूर करता है। इस चीज को छिपाने से काम नहीं चल सकता है, सरकार को इस चीज को अपने सामने रखना चाहिये और इस रोग का अनुदान जब ठीक होगा तभी ऐसे रोग का इलाज हो सकता है। आज जिस ढांचे से और जिस रास्ते से सरकार चल रही है उससे तो न रिश्वत में कमी हो सकती है और न अपराध ही घट सकते हैं। कहा जाता है कि ज़मीदारी अबालिशन के बाद विशेष तौर पर देहात की व्यवस्था पर ध्यान रखना चाहिये लेकिन जो अव्यवस्था हो रही है वह सबको मालूम ही होगी। आजमगढ़ से तार आया है कि वहां दिन दहाड़े किसानों के खेत काटे जाते हैं और इन्द्राजों के लिये तमाम झगड़े काश्तकार और जमींदारों में होते हैं बलवे होते हैं और पुलिस उनमें मदद करती है। इन मसलों पर सरकार को गौर करना चाहिये और बुनियादी तौर से देखना चाहिये कि किस तरह से इनका हल निकल सकता है। एक विरोधाभास जरूर मालूम होता है, माननीय वीरेन्द्र शाह की सारी सद्भावना के साथ भी माननीय गृह मंत्री जी सफल हैं इस ऐडमिनिस्ट्रेशन में लेकिन वह सफल हो पावेंगे इसमें मुझे संदेह है। वह सफलता से जो इस वक्त आर्थिक ढांचा और उस ढांचे का रूप है उसको ढो रहे हैं। वह उसके विरुद्ध है, लेकिन मजबूरी है। द्रोणाचार्य की तरह से उनकी मजबूरी है कि वह उसको ढोयें। मैं समझता हूं कि इस पुलिस का सुधार माननीय गृह मंत्री के जमाने में बुनियादी तौर पर कोई सुधार संभव नहीं है। मैं आखिर में इतना निवेदन करूंगा कि बुनियादी तौर पर उनके आर्थिक ढांचे को बदलने की कोशिश की जाय तभी संभव है कि हमारे प्रांत का ऐडमिनिस्ट्रेशन खूबी के साथ चल सके।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो इस सदन के उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिनका भाषण कि कल से आज तक हमको सुनने को मिला। हो सकता है कि जो बातें यहां कही गयीं उनमें से किसी वजह से कुछ बातें मुझको पूरे तौर से समझ में न आई हों, या उन पर पूरे तौर से अमल करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं, परन्तु एक बात तो है ही। एक बात के विषय में तो कोई भी मतभेद नहीं है और वह यह कि हम सब चाहे उधर बैठे हों और चाहे इधर बैठे हों इस बात को चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वह सचमुच आदर्श पुलिस हो और सचमुच उत्तर प्रदेश की पुलिस इस प्रदेश के, इस देश के अनुरूप हो। इसके मानी यह हैं कि उसकी एफ़िसियेंसी जो ऊंची से ऊंची हो सकती है वह एफ़िसियेंसी हो। कार्य-क्षमता उसकी ऊंची से ऊंची हो। उसकी ईमानदारी ऐसी हो जिस पर उंगली उठाने का मौका हमको न हो, वह देशभक्त हो।

एक बात की चर्चा यहां पर कई बार हुई और वह यह कि कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है और ऐसा कहना है कि पुलिस कुछ कांग्रेस कमेटियों के या कांग्रेसजन के इशारों पर चलती है। कुछ दूसरे सदस्यों ने यह कहा कि कांग्रेसजन की उपेक्षा करती है खास तौर से। मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि पुलिस हो या फौज हो, उसको किसी भी पार्टी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिये। वह तो स्टेट और गवर्नमेंट की सर्वेंट है। जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी पावर में हो गवर्नमेंट उसी के हुक्म के मुताबिक उसे चलना चाहिये। किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वह कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो किसी के साथ भी उसका संबंध नहीं होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि हमारी पुलिस में यह गुण होगा और अगर नहीं है तो होना चाहिये।

जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वह पुलिस की इमदाद की मुहताज नहीं है। वर्षों कांग्रेस ने भी जमाना देखा है जब पुलिस की मुखालिफत करने पर भी कांग्रेस अपने काम को चला सकी। जो उस ज़माने में अपना काम चला सकी उस पुलिस की इस समय मदद की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, बल्कि पुलिस की मदद कांग्रेस के लिये घातक और नुक्सानदेह हो सकती है।

हमारे एक मित्र उपाध्याय जी एक बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं और मैं बड़े शौक से कहने के लिये तैयार हूं। क्योंकि जो बात मैंने पहले कही थी और जो अब

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कही उसमें कोई विरोध नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई आदर्श पुलिस है। हां, यह मैंने अवश्य कहा कि पुलिस में बहुत सी खराबियां हैं बावजूद उन खराबियों के उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और इस देश की कहीं भी पुलिस ऐसी नहीं है जो इससे अच्छी हो। लेकिन पुलिस में बुराइयां और कमियां हैं। अगर यही कहलवाने की बात है तो मैं कहता हूं कि जब तक वह खराबियां और कमियां रहेंगी तब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस आदर्श पुलिस नहीं होगी। हम सब चाहते हैं कि वह कमियां दूर हों।

यहां पर पुलिस के साथ हमदर्दी दिखलाई गयी। जिन कठिनाइयों में पुलिस को काम करने का मौका मिलता है उसकी ओर ध्यान दिलाया गया। उस सबसे हम सब की सहानुभूति है। हम पुलिस की तनख्वाह बढ़ा सकें, यह सोचने की बात हो सकती है। पुलिस के अलाउंस बढ़ा सकें यह सोचने की बात हो सकती है, उनको सुविधायें दे सकें या न दे सकें उसमें देश की प्रदेश की आर्थिक अवस्था और कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि इस सदन में प्रायः सभी लोगों का ऐसा ख्याल है कि पुलिस को बड़ी मेहनत के साथ काम करना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों की हालत में काम करना पड़ता है और इस वक्त जो रुपया हम उनको देते हैं, जो काम पुलिस को करना पड़ता है उसको देखते हुये वह बहुत कम है, मैं भी सहमत हूं। मैंने कहा कि चाहे हम इन सुझावों पर काम न कर सकें लेकिन जब भी हम लायक होंगे तो सदन की राय से हमको ताकत मिलेगी।

बहुत सी बातें यहां पर जिलों की और दूसरी बातें कही गयीं। उन सब का चर्चा करने में बहुत समय लगेगा। केवल इतना ही कहता हूं कि अलग अलग जिलों की बातों और अलग अलग घटनाओं का जो जिक्र किया गया उनको हम अलग अलग देखेंगे। हमने उनको नोट कर लिया है।

मुझको यह सलाह दी गयी कि जो सूचना दी जाती है, आप कहीं देहात में चले जाइये और देखिये जाकर कि सही है या नहीं। लेकिन यह सोचने की बात है। इतना बड़ा तो हमारा सूबा है, इतने जिले हैं, इतने थाने हैं, मैं अपनी आंख से क्या क्या देखूंगा? लेकिन इस बात की जरूरत नहीं कि मैं अपनी आंख से देखूं। आखिर इस सदन के इतने सदस्य हैं, उनकी आंखें मेरी आंखें हैं। कोई वजह नहीं कि यहां जो कहा जाता है वह ग़लत समझा जाय। जो बातें यहां कही जाती हैं उनसे फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिये। इस सदन में बहुत सी ऐसी बातें मालूम होती हैं जिन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं इस बात का बराबर कृतज्ञ रहा हूं और रहूंगा कि जो ग़लतियां देखने में आयें उनका यहां जिक्र किया जाय।

अभी श्री गेंदासिंह जी ने समाज के ढांचे को बदलने का जो जिक्र किया मैं उनसे बहुत अंश तक सहमत हूं। जितनी भी खराबियां हैं, जितने भी दोष हैं, जब तक समाज का ढांचा पूरी तौर से बदला न जाय उन ख़राबियों को दूर करना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम एक सीमित परिधि में ही बात कर सकते हैं उस सीमिति परिधि में ही विचार कर सकते हैं। जो आज परिस्थितियां हैं उसको देखते हुये जो कुछ बन पड़े करना चाहिये।

मैं दो चार ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो जनरल रूप की हैं। खासतौर से इंटेग्रिटी और करप्शन का जिक्र हुआ। यह कहना बड़ा मुश्किल है और कोई भी नहीं कह सकता कि पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है। आप अखबारों में देखते होंगे कि फलां को यह सजा हुई, फलां सब-इन्स्पेक्टर को यह सजा हुई। बराबर इसके आंकड़े निकलते रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में निकलते रहते हैं। जहां पर हमारे सामने कोई चीज आती है, वहां हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है। जो क़ायदे बने हुये हैं उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मारली विश्वास हो जाय लेकिन सजा न दे सकते हों। लेकिन आम-तौर से इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि अपराधी के साथ दया करना समाज के साथ घोर अन्याय करना है। कभी किसी ऐसे आदमी के साथ रिआयत नहीं होनी चाहिये जो कि अपराधी

हो। एक पुलिस अफ़सर के बारे में जिक्र किया गया जो गोंडा में एक बड़े पद पर हैं। ऐसे ही एक और आदमी का जिक्र किया गया। इसके लिये मैंने रिपोर्ट मांगी है। इतने थोड़े समय में तो जांच नहीं की जा सकती। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अगर बातें सही हैं तो मुझे सुनकर उतनी ही तक़लीफ हुई जितनी किसी और को हो सकती है। अगर सचमुच ऐसा है कि किसी आदमी को अपराधी पाया गया और फिर उसको किसी तरह से तरक्की दे दी गयी तो यह बहुत ही ग़लत बात है। मैं समझता हूं कि ऐसी बातों को कंडोन नहीं करना चाहिये। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर किसी आदमी ने रिश्वत वगैरह का कसूर किया हो और उसको थोड़े दिनों के लिये लाइन के अन्दर रख कर वापस कर दिया जाय, या दूसरे जिलों को तबादला कर दिया जाय यह कोई सजा नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी तरह की रिआयत नहीं होनी चाहिये। यह माना कि उनकी तनख्वाह कम है। लेकिन जब तक वह काम करता है उस वक्त तक उससे उम्मीद की जाती है कि तनख्वाह कम होते हुये भी अपना काम ईमानदारी से करे। अगर नहीं कर सकता तो अपने घर जा कर बैठे। लेकिन जब तक काम करता है और कोई कुसूर करे, उसको इस वजह से माफ कर दिया जाय कि उस आदमी की तनख्वाह कम है यह क़ायदे की बात नहीं है। जो कुछ यहां कहा गया मैं उससे इस संबंध में पूरे तौर से सहमत हूं।

हां, एक बात हमारे मित्र गेंदासिंह जी ने और कुछ और सदस्यों ने कहीं। यह बात जरूर ध्यान में रखने की है कि अगर यह बात सही है कि सारे समाज में खराबी फैल गयी है तो पुलिस भी उसी समाज में आती है। हम उसे कहां तक उठा सकेंगे यह सोचने की बात है। कोशिश हमें करनी चाहिये। निरन्तर हमको कोशिश करनी चाहिये। लेकिन जो कठिनाई है उसको भी ध्यान में रखना चाहिये। एक बात का मुझे अफ़सोस हुआ। श्री ज्वालाप्रसाद ने नैतिक स्तर की बात और न जाने क्या क्या कहा। वह तो भगवद्गीता और उपनिषद् से कम बात ही नहीं करते। लेकिन अच्छी से अच्छी चीज को भी भाष्यकार उसकी टीका करते समय चौपट कर सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि नेता लोगों की वजह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शायद एक आध ने और कहा। शायद उनका मतलब नेता लोगों से कांग्रेसजन से है। अगर किसी को कहने का मतलब यह हो कि कोई करप्शन समाज में फैला हुआ है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेसजन पर है तो मैं एक क्षण के लिये भी मानने को तैयार नहीं हूं। अच्छे बुरे आदमी हर जगह होते हैं। लेकिन अगर आज समाज में और ज्यादा खराबी नहीं है, समाज और ज्यादा चौपट नहीं हो चुका है तो इसकी वजह यही है कि कांग्रेस का एक छोटे से छोटा वालंटियर भी समाज को बहुत ऊंचा रखे हुये है। यह कहना ग़लत है कि समाज में जो खराबी है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है या कांग्रेसजन के ऊपर है।

एक बात और है। जब पुलिस या किसी विभाग के कार्य में सुधार करने लगें तो एक बात करनी चाहिये। सुधार वही कर सकता है जो कि अपने सामने एक सही तस्वीर रखे। ग़लत तस्वीर रखने से काम बिगड़ जाता है। अगर हम यह समझने लगें कि पुलिस में कोई खराबी नहीं है तो यह ग़लत तस्वीर होगी। उसी तरह से अगर हम यह समझने लगें कि पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ है, चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं, और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस आज भी वैसी है जैसी सन् ४२ में थी तो यह सोलहो आने ग़लत तस्वीर हो जायगी। न तो जो आदमी सिर्फ तारीफ़ करता है वह उसको दुरुस्त कर सकता है और न वही दुरुस्त कर सकता है जो समझता है कि उसमें सिर्फ खराबियां ही खराबियां हैं। हमको दोनों बातें देखनी चाहिये। जो अच्छी बात हो वह भी देखनी चाहिये और जो बुराई है वह भी देखनी चाहिये। कल यहां पर एक मित्र ने कानपुर की पुलिस का कुछ जिक्र किया। उनको कानपुर की पुलिस में कोई अच्छी बात नहीं मिली। उन्होंने कानपुर की पुलिस की जितनी बुराइयां थीं कीं, लेकिन इतना न कर सके कि दो शब्द उसकी अच्छाई के भी कहते। वहीं दूसरे और सदस्यों ने भी कानपुर की पुलिस का जिक्र किया और उन्होंने उसकी अच्छाई भी बतलाई। तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जिस किसी से भी हमें काम लेना होता है, उसकी अगर बुराई है तो जरूर कीजिये लेकिन अगर वह अच्छा काम करता है, भला काम करता है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो दो शब्द उसकी तारीफ़ के भी अगर कहें तो उससे उसको बल मिलता है इसकी हिम्मत बढ़ती है लेकिन अगर सिर्फ शिकायत ही करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि किसी ने सोच रखा है कि सिर्फ शिकायत ही करेगा और हमको सिर्फ शिकायत ही करनी है। तो मैं कहता हूं कि जब हम तस्वीर रखें तो ऐसी बात न समझी जाय कि सिर्फ ऐब ही दिखाई पड़े क्योंकि अगर यह बात सही हो कि आज भी पुलिस की हालत वैसी है तो इसके माने यह हैं कि सन् ४२ के बाद एक हद तक देश में तब्दीली हुई, लेकिन समाज का एक अंग जो कि हमारे ही बीच से निकलता है, हमारे ही आप के लोग उसमें हैं, वह ऐसा है कि हमारे साथ नहीं आया और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। जो तब्दीली यहां हुई उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ा। यह असम्भव बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिये। जैसा मैंने बतलाया कि जो भी ऐब हों, जो भी शिकायतें हों, पुलिस डिपार्टमेंट की बाबत, उनका आप जिक्र करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बराबर मैं उनको दूर करने की अपने भरसक पूरी कोशिश करूंगा।

एक जिक्र कुछ और हुआ कि क्राइम्स को छिपाने की बात कही गई। मैं फिगर्स के शास्त्रार्थ में नहीं पड़ूंगा कि कौन सही है और कौन ग़लत है क्योंकि मैं यह कह दूं कि जो आंकड़े सरकार की ओर से आये हैं वह सही हैं और दूसरे कह दें कि वह ग़लत है तो इस शास्त्रार्थ से यह तय नहीं होता। कुछ दिन पहले श्री नेकराम शर्मा जी ने एक मिसाल दी थी कि कहीं उनको अलीगढ़ में एक मिसाल मिली कि एक सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि हमको इस किस्म की हिदायत है कि फिगर्स को छिपाया करो। उन्होंने एक गवाह का भी जिक्र किया कि उसके सामने कहा था। मैंने उसकी इन्क्वायरी करवायी। अभी कल एक सदस्य ने कहा कि एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने उनसे ऐसा कहा कि इस क़िस्म की हिदायत है कि फिगर्स छिपाया करो। मैं इतना ही कहता हूं कि कोई भी हो चाहे सब-इंस्पेक्टर हो, चाहे सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हो जो भी आदमी ऐसा कहता है वह गवर्नमेंट का नमकहराम नौकर है। बेइमान आदमी है जो ऐसी बात कहता है। हो सकता है अपनी वाहवाही के लिये ऐसी बात की जाती हो कि फिगर्स छिपाया करो लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इसका नतीजा क्या होगा जैसा अभी श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि अगर किसी के शरीर में कोई रोग है और अगर कह दिया जाय कि रोग नहीं है तो एक दिन तो रोग फूटेगा ही और इस बुरी तरह फूटेगा कि सम्हाले नहीं सम्हलेगा। उसी तरह अगर समाज में खराबी है, बुराई है, अगर क्राइम्स हो रहे हैं तो छिपाने से क्या होगा। एक रोज क्राइम फूट पड़ेगा और इस बुरी तरह से फूट पड़ेगा कि सारी की सारी पुलिस और सारी की सारी फौज सम्हाल नहीं सकेगी। हमारी स्ट्रेंथ इसी बात में है कि क्राइम्स पूरी तरह से हमारे सामने आयें। अगर छिपाते हैं और उसमें अपना फायदा समझते हैं तो मुमकिन है कि कुछ टेम्पोरेरी फायदा किसी को मिल भी जाता हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, जरा कड़े अल्फाज हैं, कड़े लफ्ज हैं लेकिन मैं फिर दुहराता हूं कि वह स्टेट के साथ नमकहरामी करता है, वह ऐसे काम करता है जिसका नतीजा स्टेट के लिये बुरा होने वाला है। हम किसी तरह नहीं चाहते कि इस क़िस्म की कोई बात की जाय जिससे क्राइम्स छिपाये जायं। फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जो होती है, उसका जिक्र हुआ कि वह ठीक नहीं लिखी जाती है। जितने माननीय सदस्य कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि बात ग़लत होगी, लेकिन मैं अपनी कठिनाई सबके सामने रखना चाहता हूं। आखिर हमारे पास क्या साधन है आप यह देखें कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ पहले सन् १९४८ में गया। उस वक्त एक नोटिस निकाली गयी, मैं उसको पढ़ता हूं। (१) थानों में रिपोर्ट (रपट) लिखाने की कोई फीस नहीं ली जाती है। यह बड़े-बड़े टाइप में छपा हुआ ताकि हर आदमी पढ़ सके। (२) रपट देवनागिरी लिपि में लिखी जायगी और उसकी एक नकल रपट लिखाने वाले को बिना फीस दी जायगी। (३) यदि थाने का प्रधान लेखक रपट लिखना अस्वीकार कर दे, तो उसकी सूचना देने वालों को रपट स्वयं लिख कर या किसी से लिखा कर जिला कप्तान को रजिस्ट्री के द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये देना चाहिये। और उस रपट की एक नक़ल अपने पास रख लेनी चाहिये। यह नोटिस हर थाने में भेज दी गयी और वहां नोटिस बोर्ड में चिपका दी गयी। उसके बाद जो जो शिकायतें होती रहीं, उसको दूर करने का प्रयत्न

किया गया। एक यह शिकायत थी कि लोगों को रिपोर्ट की ठीक नक़ल नहीं मिलती है। उसकी वजह यह बतलायी गयी कि कार्बन पेपर ठीक नहीं होते हैं, इस वजह से शब्द उभरते नहीं। कार्बन पेपर भी भेज दिये गये। जो कुछ हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं ताकि रिपोर्ट ठीक लिखी जाय और लोगों को उसकी ठीक नक़ल मिले। कल कुछ मित्रों ने कहा कि वह नोटिस बहुत पुरानी हो गयी है, इसलिये उस नोटिस को फिर छपवा कर गांव पंचायतों और पोलिटिकल ग्रुप्स के पास भी भेज दिया जाय। मैं इसे फिर भेजवाने के लिये तैयार हूं ताकि लोगों को इसके संबंध में पूरी जानकारी हो जाय। इसके अलावा और कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है। यदि कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने लाया जाय कि कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, या उसके लिये रुपया मांगा गया, तो जो लोग उसके लिये दोषी होंगे, उनको मैं सज़ा देने के लिये तैयार हूं। कुछ सुझाव आये कि गांव में पहली रिपोर्ट लिखी जाय। जिन माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है, वे ख़ुद गौर करें कि इससे बड़ी दिक़्क़त हो जायगी। पहली दिक़्क़त तो यह होगी कि जब वह रिपोर्ट गांव में लिखी जायगी, तो वह किसी न किसी थाने में तो जायगी ही, क्यों कि हर गांव में तो थाने होते नहीं हैं। बहुत से केसेज ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट में थोड़ी देर हो जाने से तफतीश में गड़बड़ हो जाती है, लाश हट जाती है, सामान हट जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट थाने में लिखी जाय। अगर ऐसा किया जाय कि रिपोर्ट गांव में लिखी जाय तो ज़ाहिर बात है कि उस रिपोर्ट के थाने तक पहुंचने में देर हो जायगी, और मेरा ख़याल ऐसा है कि इसमें दिक़्क़त बढ़ सकती है। इसको भी सब लोग सोचें। इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा ऐसा उपाय बतलावें, जिससे फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट ठीक ठीक लिखी जा सके, तो मैं हर उस उपाय पर ग़ौर करने के लिये तैयार हूं और यदि कोई ठीक उपाय हुआ तो उसको चालू करने के लिये भी तैयार हूं।

कल कुछ जिक्र हुआ कम्प्लेंट के संबंध में। इसके लिये मैं एक बात बतलाऊं। लेकिन मालूम नहीं कि उस पर अमल होता है या नहीं, आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का एक आर्डर गया था कि हर विभाग का जो हेड हो ज़िले में, उसके दफ्तर में एक कम्प्लेंट बाक्स रहे। लिहाज़ा पुलिस सुपरन्टेन्डेन्ट के दफ्तर में भी कमप्लेंट बाक्स रहना चाहिये और जिस किसी को किसी थाने की किसी बात की बाबत शिकायत हो, वह उस कमप्लेंट बाक्स में डाल सकता है। मेरे पास उसके बारे में न कोई शिकायत आयी और न कोई तारीफ़ आयी और मुझे मालूम नहीं है कि वह हर दफ्तर में है या नहीं है, उस कमप्लेंट बाक्स में कोई कमप्लेंट डालता है या नहीं डालता है, और यदि कोई कम्प्लेंट डालता है तो उस पर कोई ऐक्शन होता है या नहीं होता है? मैं माननीय सदस्यों को केवल इतनी सूचना दे रहा हूं और उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पर अमल कराने की कोशिश करें कि लोग उसमें अपनी कमप्लेंट्स डालें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—जब यहां हमारी कमप्लेंट्स पर कोई ऐक्शन नहीं होता है, तो वहां क्या होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका आसान तरीक़ा यह है कि जो उसमें अपनी कमप्लेंट्स डालें, वे उसकी एक कापी अपने पास रख लें। यदि रिजनेबिल टाइम में उस पर कोई ऐक्शन न हो, तो आप मुझे ख़बर दे दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो रुपये में १६ आने नहीं तो ६ आने या ४ आने तो कार्यवाही होगी ही।

आदर्श थाने का बहुत ज़िक्र आया। आदर्श थानों में ख़राबियां हैं और मैं इस शास्त्रार्थ में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। कल से जो यहां बातचीत हुई, उसके बहुत पहले मैं स्वयं इस परिणाम पर पहुंच गया हूं कि यह प्रयोग जिस आशा से किया गया था वह आशा पूरी नहीं हुई। यह प्रयोग असफल हुआ और सच बात तो यह है कि आदर्श थाने का नाम लिख कर आदर्श लफ्ज़ के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, मैं ख़ुद इस परिणाम पर पहुंच चुका हूं।

एक सदस्य—आदर्श थाने वालों को कुछ सज़ा मिलेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर कोई स्पेसिफ़िक केस होगा तो वह भी होगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मुझको ऐसा ख़याल होता है कि अगर एक बात हो सकती, वह यह कि अगर किसी ज़िले में कोई थानों का सचमुच बहुत अच्छा काम है तो उस थाने को घोषित किया जाय कि यह आदर्श थाना है, सब पब्लिक की राय से। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको शील्ड दी जाती है लेकिन जो आदर्श थाना है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें कोई ख़ास तरीक़े से ट्रान्सफर वग़ैरह नहीं किये जाते हैं, जैसे सब जगह किये जाते हैं वैसे वहां भी किये जाते हैं। इस चीज़ में अटर फ़ेल्योर रही है, इस चीज़ को हटाना चाहिये, मैं इस बात को पूरे तौर से स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—पुराने आदर्श थाने ख़तम कर दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—थाना तो रह जायगा, आदर्श शब्द हटना है।

कल डाक्टर जवाहर लाल ने ज़िक्र किया कि ग्वालियर की तरफ अपराध रोक थाम ऐसी कोई चीज़ उन्होंने देखी। अपराध रोकथाम की बात तो ठीक ही है मगर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी दो तीन ज़िलों में जहां तक मुझे जानकारी है मसलन मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर और अलीगढ़ में लोगों ने नान आफ़िशल तरीक़े पर ऐसी बाडीज़ बनायी है जो कि ऐसे कई तरह से काम करती हैं। जैसे खेत जला देने की बात है जो पार्टीबन्दी में एक तरीके से हो जाता है। उस तरीके का लोगों ने एक संघठन सा किया है और वहां पर पुलिस अफ़सरों की तरफ से पूरा सहयोग है। जहां तक मुझे जानकारी है, मुझसे खुद लोगों ने बयान किया है और कोई वजह नहीं है कि इस किस्म के संगठन और जगह क्यों न किये जायं। अगर ऐसा ही संघठन किया जाय तो मैं आशा करता हूं कि और जगह भी पुलिस की तरफ से सहयोग होगा। फिर वह ग्वालियर में चीज़ जैसी है वैसी हो, या जैसी हमारे यहां दो तीन ज़िलों में प्रयोग हो चुकी है वैसी हो, और उस तरह से की जाय तो मैं समझता हूं कि चीज़ सफल हो सकती है।

हमारे कुछ भाइयों ने हरिजनों का ज़िक्र किया। हरिजनों के संबंध में दो तरह की बातें कही गयीं। बल्कि ढ़ाई बातें कही गयीं, आधी बात पर बहुत जोर नहीं दिया गया लेकिन वह कही गयी। एक तो यह कि हरिजनों की भर्ती जैसी होनी चाहिये वैसी काफी नहीं हो रही है। दूसरी बात यह कही गयी कि हरिजन जो भरती हुये भी वह किसी न किसी जुर्म में लगा कर सर्विस से हटा दिये गये। तो मैं दो बातों का ज़िक्र करता हूं। मैं समझता हूं कि हम जो इस वक्त इस संबंध में कर रहे हैं उससे और कुछ ज्यादा करना सम्भव नहीं है। मैं मानता हूं कि हरिजनों को सब लोगों के बराबर पूरा हक़ होना चाहिये लेकिन हममें से कोई भी इस बात को नहीं पसन्द करेगा कि महज़ उन लोगों को इसलिये भरती कर दिया जाय कि वे हरिजन हैं या कुछ और हैं और इस तरह से एफीशेन्सी सर्विस ही चौपट कर दी जाय। एकआदमी क्वालीफिकेशन रखता है तो उसको होना चाहिये। चूंकि हरिजनों की कमी थी इसलिये गवर्नमेंट ने कुछ परसेन्टेज उनके लिये रिज़र्व कर दिया है कि उनको लिया जाय अगर वह क्वालिफिकेशन रखते हैं। जो लोग जिस काम को करते आये हैं उनकी प्रवृत्ति उधर अधिक होती है। शिक्षा भी थोड़े दिनों से हरिजनों में बढ़ी है। इन सब कारणों से जितने केन्डीडेट्स आने चाहिये क्वालिफिकेशन रखने वाले उतने कैन्डीडेट्स प्रायः नहीं मिलते। इसमें किसी को शिकायत नहीं कि ज्यादातर लोग अनक्वालीफाइड आते हैं और अगर उनको रख लिया जाय तो इसका सर्विस के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और इसके अलावा उनके ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि लोग यह कहेंगे कि यह तो ख़ैराती तरीक़े से रखे गये हैं। इस साल हमने १२० सब इन्स्पेक्टर्स रखे हैं। यहां कई बार ज़िक्र हुआ कि ऊपर के जो आफिसर्स हैं वह तो अच्छे हैं लेकिन सब इंस्पेक्टर्स में ख़राबियां हैं। कुछ हद तक ख़राबियां हैं सही बात है। इससे कुछ अन्दाज़ा मिलेगा। हमारे यहां ३००,४०० के लगभग ऐसे सब-इंस्पेक्टर्स हैं जो हेड कांस्टेबिल से तरक्क़ी हो कर आये हैं। हेड कांस्टेबिल के मानी होते हैं कांस्टेबिल। लेकिन अगर वे बहुत ऊंचे स्तर तक न पहुंच सकें तो उसमें बहुत आशा नहीं करनी चाहिये और उनकी जगह दूसरे आदमी रखने चाहिये। ३००,४०० आदमियों को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। हमने इस साल क़रीब १२० आदमियों को ट्रेनिंग के लिये लिया है और हमारा विश्वास है कि इस तरह से २,३ साल में हमारे अच्छे आदमी आ जावेंगे जिस तरह के हम चाहते हैं।

जहां तक मुरादाबाद ट्रेनिंग की बात है, उसके लिये एक मित्र ने कहा कि वहां केवल यही सिखाया जाता है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है और उनको कैसे गालियां देनी चाहियें। मैं यह तो जरूर ही जानता हूं कि वहां गाली देने की कोई क्लास नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि यह कोशिश की जाती है कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाय। जो ट्रेनिंग के लिये सलेक्शन हुआ उसमें सेलेक्ट करने वालों ने केवल फ़र्स्ट क्लास लड़कों को ही लेने की कोशिश की और जो सेकिंड या थर्ड क्लास रखे उसमें बड़ीमुश्किल से ३,४ हरिजन ले पाये। नहीं मालूम क्या कारण है परन्तु मजबूरी है। ऐसी बात नहीं है कि यदि कोई हरिजन है तो महज इसी वजह से न लिया जाय। हमने चाहा कि कुछ हरिजन अवश्य हों लेकिन हम फिर भी काफ़ी तादाद में नहीं पासके। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग हमारे हरिजन भाई हैं वह इस बात की कोशिश करें कि पढ़े लिखे हरिजन इधर भी आने की कोशिश करें। दूसरी बात यह कही गयी कि कुछ जुर्मों की वजह से हटा दिया गया। जरूर कुछ हटाये गये। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग हटाये गये वे इसलिये नहीं हटाये गये हैं कि वे हरिजन थे। उनका चाहे दूसरे अफ़सरों के साथ कैसा ही बरताव रहा हो इसके लिये मैं कुछ नहीं कह सकता ; हां यह अवश्य कहूंगा कि प्रायः उनके केसेज को मैंने खुद देखा है। यह कि महज झूठा इल्जाम लगा कर हटा दिये गये हों, ऐसी बात नहीं है। अगर झूठा इल्जाम लगा हो और वह पूरे पूरे तौर पर साबित हो जाय तो उसे सही मानना चाहिये। यह हो सकता है कि वे अपनी नातजुर्बेकारी से हटा दिये गये हों या उन्होंने ऐसे जुर्म किये हों जिसमें किसी को भी हटाया जा सकता है। बहरहाल, ऐसे जुर्मों में वे हटाये गये हैं जिनमें हर किसी को हटना जरूरी था चाहे वह हरिजन हो या कोई भी हो। मैं आशा करता हूं कि आगे चल कर लोग ऐसी गल्तियां नहीं करेंगे।

एक सजेशन यह हुआ, जैसा मैंने कहा कि ढाई बात कही गईं थीं, वह यह था कि हमको सबको एक साथ खाने को मजबूर करना चाहिये। बड़ी अच्छी बात है यदि सब एक साथ खाने लगें। मैं खुद तो खा ही लेता हूं। लेकिन कानूनन तो चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया भी चाहे या हम चाहें कि फौज में या पुलिस में हम किसी को मजबूर करें कि तुम फलां के साथ खाना खाओ तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे, बहुत अधिक संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है जो न खाना पसंद करें। यदि हम कहें कि सब एक साथ खावें तो इससे डिसिप्लिन खराब होगी और यह इस लिये करने लायक चीज नहीं है।

दो बातों का जिक्र और करूंगा। एक तो सेक्शन १०९ की बात कही गई और कई मित्रों ने उसका जिक्र किया। ऐसा तो नहीं है कि किसी मुल्क में इस किस्म का कोई कानून न हो। इंग्लैंड में भी वैग्रेंसी ऐक्ट था और अब भी मौजूद है। लेकिन समाज की हालत वहां ऐसी हो गई है कि वह करीब करीब डेड सा हो गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि एक आदमी जो जेल से आया है उसे सुधार का मौका देना चाहिये। अगर हमारे नोटिस में आजावे तो हम बराबर इस बात की रोकथाम करते हैं। आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा १०९ के केसेज कम हो गये हैं और जिन जगहों पर हमारे प्रोबेशन आफिसर जाते हैं वहां जरूर इसमें और भी कमी हुई है। लेकिन इस कानून को उठा देना तो बड़ा मुश्किल है। जहां गलत ढंग से पकड़ कर लोग आजावें वहां हम देखभाल करने की कोशिश करते हैं।

यही ५,७ मुख्य मुख्य बातें थीं जिनका जिक्र करना मैंने जरूरी समझा। मैं फिर कहता हूं कि जो खराबियां हों माननीय सदस्य उन्हें हमारे नोटिस में लावें। हम उस पर ध्यान देंगे। हां, एक बात का खयाल रखना चाहिये जो उपाध्याय जी को देख कर याद आ गई। एक कहावत है कि कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी यह कहकर कि कौवा कान लेकर भाग गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़ता है। यह नहीं देखता कि कान मौजूद है या नहीं और इसी तरह २,३ कौवों की शिकायत करने चले साइमल्टेनियसली मसलन् यह कि कहीं उन्होंने अखबार में पढ़ लिया होगा कि अल्मोड़ा में वायरलेस होने वाला है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि जो बजट में लिखा है वही काफी है जो अखबारों में लिखा है उसमें अपना दिमाग क्यों खपावें। फिर उन्होंने कहा कि इंग्लैन्ड से कुत्ते आयेंगे....।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अखबार में निकला था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं तो जरा ओल्ड फैशन्ड आदमी हूं बहुत जर्नलिज्म वगैरः की बात तो नहीं जानता लेकिन अखबार वाले लखनऊ में रहते हैं और यहां इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहते हैं, मिनिस्टर रहता है उन्हीं से पूछ लेते कि क्या आप कहीं से कुत्ते मंगवा रहे हैं? लेकिन जो कुछ भी अखबार में निकला हो हम विश्वास दिलाते हैं कि कुत्ते और बिल्ली वगैरह पर एक पैसा भी हम खरीदने के लिये खर्च करने वाले नहीं हैं। शायद अखबार वाले बिना वेरीफाई किये ही खबरों को छाप देते हैं। जब हमें पता चला तो हमने उसका कंट्रे-डिक्शन अखबारों में छपने के लिये भेजा। तो या तो उसे अखबार वालों ने छापा नहीं या किसी कोने में छाप दिया और वह कुत्ते और बिल्ली की बात वैसे ही चली आ रही है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी बातें सब गलत हैं और हमारी तरफ से ऐसी कोई खरीद वगैरह का इरादा नहीं है।

इतना ही नहीं, यह रस्मी बात नहीं है लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा कि मेरे एक बुजुर्ग मित्र ने कहा था कि इस विभाग में आये हुये मुझे बहुत थोड़े ही दिन हुये हैं और मुझे इसका ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है लेकिन लोगों के अनुभव से फायदा उठाऊंगा। उसी तरह मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि आप के अनुभव से पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता हूं और करूंगा। इस बात के साथ मैं आशा करता हूं कि जिन मित्रों ने हमारे बहुत से छोटे ग्रांट में एक रुपये की कटौती करने की कोशिश की है वे हमें एक रुपया वापिस कर देंगे और अपने कटमोशन को वापस ले लेंगे।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का भाषण सुनकर बड़ी खुशी हुई और खास कर इस बात से कि आजतक माननीय मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गर्व था वह खत्म हो गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वह आज भी है।

श्री कमला सिंह--ठीक है, लेकिन जिस हद तक था उस हद तक नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उतना ही गर्व अब भी है।

श्री कमला सिंह--लेकिन कुछ हिचक है मैं जानता हूं कि आई०जी० का चुनाव बेस्ट हुआ है और उनके होते हुये वह तमन्ना जिसको इस साल कमी रही है अगले साल पूरी हो जायगी। और माननीय मंत्री जी को पुलिस की बुराई के कारण जो बातें सुननी पड़ती हैं, वह भविष्य में न सुननी पड़ेंगी।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मुझे अभी राम सुन्दर जी ने कुछ तार दिये हैं जिस में जिक्र है कि कुछ ठाकुरों, भूमिहारों ने जबर्दस्ती इन्द्र देव वगैरह जो छोटी जाति के लोग हैं उनकी फस्लों को काटा है। उनको बुरी तरह पीटा है इस तार की प्रति माननीय मंत्री जी को भी मिली है जैसा कि राम सुन्दर जी ने मुझे बतलाया है। इसी तरह के बहुत से समाचार हैं और उनके आधार पर यह कहा जा सकता है और मैं भी इसको मानता हूं कि हर जाति में चोर और बदमाश होते हैं यह किसी जाति पर मुनहसर नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे। तो जो जाति वगैरः की बात है वह दूर रख कर जो वास्तविक चोर है, डकैत है या कुछ अपराध करता है उसको दंड मिलना चाहिये।

करप्शन के बारे में तो सदन में बहुत कहा गया लेकिन किसी ने भी यह नहीं बतलाया कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। मेरा यह व्यक्तिगत ख्याल है कि जिलों में जो एस०पी० और डी० एस० पीज० हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादातर करप्शन के लिये है। इसलिये जिले में जो एस०पी० और डी० एस० पीज० हैं उनको करप्शन की शिकायत मिलने के साथ ही सस्पेंड करना चाहिये और दो-तीन बार इस तरह की बातें हों तो उनको बरखास्त करने की भी जरूरत है, और जब ऐसा होगा तो सब-इंस्पेक्टर पुलिस, कांस्टेबिल या चौकीदार के खिलाफ जो बातें सुनाई देती हैं वह नहीं सुनाई देंगी।

ये जो जिले के एस० पी० और डी० एस० पीज० हैं हमेशा अपने लिये दो तीन चीजों की शरण लेते हैं। एक तो वे अखबारों के संवाददाताओं की शरण लेते हैं क्योंकि उनसे उनका काफी प्रोपेगेन्डा हो जाता है कि उनका काम बहुत सुन्दर हो रहा है। दूसरे जितने टाउट्स (दलाल) हैं उनकी भी शरण ये लेते हैं। यह कहा जाता है आजकल कि गुंडे और बदमाश और मफ़रूर तो थाने की दीवालों के पीछे छिपे रहते हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस के अन्दर बहुत सी खराबियां हैं। अगर पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट चरित्रवान हैं तो हमारे सिपाही और थानेदार कभी भी निकम्मे नहीं हो सकते हैं। यह मेरा दृढ़ मत है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही सिपाही, थानेदार चरित्रवान और पवित्र बनाये जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्राप कटिंग होता है और माननीय मंत्री जी के कान भरे जाते हैं कि कुछ जातियां बदमाशी करती मैं कहता हूं कि दुश्मनी की वजह से यह सब होता है और ५० प्रतिशत झूंठे केसेज बना करते हैं। आफिसरान के कान भर कर झूंठे आदमियों के चालान कराये जाते हैं और सजा कराने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि अगर सब-इंस्पेक्टर ईमानदारी के साथ जांच करे और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दबाव न डाले तो पब्लिक के साथ न्याय हो सकता है। और आप कहते हैं कि हमारे मुकद्दमे खराब हो रहे हैं तो इस चीज का भी सुनने का मौका नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही साथ अदालतों में जो केसेज जाते हैं उनमें दो-तीन खराबियां हैं। पहली तो यह कि गवाहान होस्टाइल हो जाते हैं। उसके लिये मुख्य कारण तो यह है कि गवाहों को जो खूराक वगैरह का खर्चा मिलता है वह काफी नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि दो एक बार तो वह अदालत में चला जाता है लेकिन तीसरी बार वह अदालत में जाने की हिम्मत नहीं करता है। यदि पुलिस का आफिसर करप्ट प्रैक्टिस करता है तब तो ठीक है, वह अपने पास से पैसा दे देता है वर्ना ऐसे आदर्श आदमी हों जो सजा कराने के लिये पुलिस की इम्दाद करने के लिये अदालत में अपने खर्चे से जायं तो ठीक है। इसके मुताल्लिक बहुत से सदस्य बतला चुके हैं कि जनता का भी सवाल है। आज जनता का नैतिक पतन बहुत हद तक हो चुका है लेकिन जहां तक गवाहान का सवाल है उनको पूरा खर्चा मिलना चाहिये।

इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि जितने केसेज भेजे जायं हम चाहते हैं कि जब पुलिस वालों को मौका है तो फाइनल रिपोर्ट लगा दिया करें ताकि जनता अपना मुकद्दमा कम्पलेंट के जरिये ठीक तरह से लड़ सके और न्याय करा सके, उसकी कोई शिकायत बाकी न रहे। फिर क्या वजह है कि हमारे पुलिस के कप्तान वगैरह प्रेस करते हैं कि फाइनल रिपोर्ट कम होनी चाहिये और चार्जशीट ज्यादा जानी चाहिये। मैं कहता हूं कि गो कम केसेज जरूर जायेंगे लेकिन सच्चे केसेज जायेंगे और प्रासीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर्स को जिन तकलीफों या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसका मौका नहीं रहेगा और साथ ही साथ पुलिस के साथ जनता का सहयोग रहेगा और मैजिस्ट्रेसी का भी पुलिस में बिश्वास बढ़ेगा।

इतना ही नहीं बल्कि एक खास चीज और मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आदर्श थानों के मुताल्लिक बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं कहता हूं कि हमें आज आदर्श थानों की जरूरत नहीं है बल्कि आदर्श थानेदारों की जरूरत है ताकि जहां वह जायं वहीं आदर्श थाने बनायें। जौनपुर में एक सब-इंस्पेक्टर जुबेर अहमद हैं उनके कारनामे सब जानते हैं। उसी तरह से एक वीर बहादुर सिंह सी० आई० डी० में इन्सपैक्टर हैं। यह लोग एक पैसा भी नहीं लेते हैं और हमेशा गरीबों के लिये अपनी जान लड़ा देते हैं। उनके संबंध में हम देखते हैं कि उनको ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है और प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिये।

मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में एक चीज की कमी है। हमारा जो पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम प्रासीक्यूशन ब्रांच में लूपहोल पाते हैं। इस ब्रांच का तिरस्कार किया जा रहा है। यह एक ऐसी ब्रांच है जो मजिस्ट्रेसी और पुलिस का कनेक्टिंग लिंक है। साथ ही हम देखते हैं कि इस प्रासीक्यूशन ब्रांच में ए० पी० पी० और पी० पी० रखा जाता है उसके लिये हम आगे कोई स्कोप

[श्री कमलासिंह]

नहीं रखते हैं । सिर्फ एक स्कोप रहता है कि अगर सात सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर्स में से यदि कोई सीनियर प्रासीक्यूटर मर जाय तो उसको प्रमोशन मिल सकता है वर्ना कोई प्रोमोशन के चांसेज नहीं रहते हैं । लेकिन जहां तक इंवेस्टिगेशन ब्रांच का सवाल है उसके लिये आप कहते हैं जैसा कि श्री शुक्ल जी ने कहा कि इंटरमीजियेट से कम क्वालिफिकेशन का आदमी सब-इंस्पेक्टर की जगह पर रखा जाय । हमारी राय तो यह है हाईएस्ट क्वालीफिकेशन का आदमी रखा जाना चाहिये क्योंकि एफ० आई० आर० और इन्वेस्टिगेशन होता है उसी को मजबूत करना है अप स्टेंडर्ड लाना है । और उसी को मजबूत करके आप सफलता पा सकते हैं । इसलिये जरूरी है कि प्रासिक्यूशन ब्रांच के लोग जो ला ग्रेजुएट हैं, और अप्टूडेट रूलिंग वगैरह से वाकिफ हैं वे आयेंगे तो ज्यादा भला होगा । सी० आई० के प्रोमोशंस के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि जितने सब-इंस्पेक्टर्स या ए० पी० पी० है, उन्हीं में से लिये जायं और जिले में एक कमेटी बना दी जाय जिसमें नान आफिशियल्स एम० एल० एज०, एस०पी० और डी० एम० रक्खे जायं और जिसको वह सी०आई० के लिये रिकमेंड करे उसी को आई० जी० नामीनेट करें तभी सबइंस्पेक्टर्स अच्छा से अच्छा काम करने और ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ।

श्री कमलासिंह---जी नहीं । यदि पार साल पुलिस की समस्या हल हो गई तो अवश्य वापस लूंगा ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं माननीय गृह मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अब समय नहीं है । आप बाद में पूछ सकते हैं ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्यय में अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २९---पुलिस के अन्तर्गत ७,१६,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या)

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग (श्रम और संख्या) के अन्तर्गत २५,०९,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार ही रोज हुये जब कि बजट के संबंध में जनरल डिस्कशन हो रहा था तो मुझे श्रम विभाग के संबंध में कुछ बातें कहने का मौका मिला था । उन बातों को फिर से दोहराना पृष्ठपेषण होगा और इस सदन का समय नष्ट करना होगा । अतः उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता । हां, दो तीन बातें कहूंगा । उनमें पहली बात तो यह है कि कल मैंने इस सदन के सामने दो मागें पेश कीं, एक तो पुलिस विभाग की और एक जेल विभाग की और दोनों को पेश करते हुये मैंने इस बात के लिये अपनी तारीफ की कि मैंने खर्च घटाने का यत्न किया है और पिछले सालों से कुछ न कुछ खर्च घटाने में सफल हुआ हूं । परन्तु इस श्रम विभाग की मांग को पेश करते हुये इसके ठीक विपरीत बात कह रहा हूं और इस बात के लिये अपनी कुछ तारीफ कर रहा हूं कि श्रम विभाग का बजट घटने के बजाय कुछ न कुछ बढ़ा है । सन् १९५१-५२ में वह १८,७४,००० रुपये था, पिछले साल एस्टिमेंट था २०,९०,००० रुपये का और रेवाइज्ड हुआ २३,३२,००० रुपये का और इस साल का एस्टीमेट है २५,०९,००० रुपये का । यदि और रुपया होता तो

इस में संदेह नहीं कि हम इसको और ज्यादा बढ़ाते लेकिन हम इसको और नहीं बढ़ा सके तो इसका कारण यही है कि रुपया नहीं है। मैं केवल दो तीन बातों का जैसा कि मैंने कहा, जिक्र करूंगा, ऐसी बातों का जिनकी काफी चर्चा रहती है। एक तो खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट की बात । यह एक सेंट्रल ऐक्ट है और इस ऐक्ट के अनुसार इस राज्य सरकार को खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेज निश्चित करना चाहिये। परन्तु उसमें दो शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५३ तक उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस कानून को लागू कर देना होगा, यानी इस क़ानून के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेज तय कर देने होंगे खेतिहर मजदरों के लिये। यह मार्च का महीना है, ९ महीने और बाकी हैं। दूसरी चीज यह है कि ३१ दिसम्बर के पहले स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का अख्तियार है कि जिन एरियाज में चाहे उनमें लागू करे, यानी सारी स्टेट में एक साथ लागू न करे। तो हमने एक प्रयोग के लिये १२ जिलों में इस कानून को लागू किया है। ये वे जिले हैं जिनमें सारे प्रदेश के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि ऐग्रीकल्चरल वेसेज सब से कम हैं। सब से पहले हमने उन्हीं १२ जिलों में इस कानून को लागू किया। और सब बातों का ब्योरा तो जो एक किताब बांटी गयी है उसमें माननीय सदस्यों ने देख लिया होगा इसलिये मैं फिर उनको नहीं दोहराता । अगर यह देखा गया कि कानून सही है और हमारा प्रयोग सफल हुआ तो फिर बाकी जिलों में ३१ दिसम्बर तक हम उसको लागू कर देंगे, या तो एक साथ ही करेंगे या थोड़े थोड़े में करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हमने सब जगह एक साथ लागू क्यों नहीं किया ? उसकी बाबत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वजह है और स्पष्ट वजह है । मैं चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर ठंडे दिल से सोचें। इस वक्त हमारे यहां जो दशा है वह गौर करने के काबिल है। जमींदारी अबोलिशन हमारे यहां हुआ और देहात की सोशल और इकोनामिक जो स्थिति थी उसमें जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन किसी न किसी किस्म का अवश्य हुआ और आजकल के जो गल्ले के दाम हैं वे भी किसी दूसरी तरफ ही जा रहे हैं। इन सब बातों के बिना सोचे समझे कुछ कर देना अक्लमंदी की बात न होगी ।

दूसरी वजह यह है कि किसानों का हजारों वर्षों का दस्तूर चला आता है, कहीं मजदूरी नक़द में दी जाती है और कहीं अन्न के रूप में दी जाती है। प्रायः ऐसा होता है कि थोड़ा सा अन्न के रूप में दे दिया जाता है और कुछ नक़द दे दिया जाता है। जिस वक्त किसान के पास पैसा होता है, उस वक्त जब कि अनाज के दाम ज्यादा होते हैं तो काश्तकार को इस बात में आसानी होती है कि वह पैसा दे और वह अनाज को बेचकर मजदूर को नक़द देना चाहता है। बाज वक्त ऐसा होता है कि उसे अनाज देने में आसानी होती है। इसलिये इस बात को सोचने की पूरी कोशिश करनी होगी कि अगर कैश में दिया जाय तो कितना दिया जाय और अगर काइंड में दिया जाय तो कितना दिया जाय जिससे काश्तकार और मजदूर दोनों को सुविधा हो ?

फैक्ट्रियों के जो लेबरर्स हैं उनकी कुछ दूसरी ही प्राबलम है क्योंकि फैक्ट्रियां सब एक जगह होती हैं जिनमें कई हजार मजदूर काम करते हैं। अगर किसी की तरफ से कोई बेकायदा बात होती तो उसके साथ डील करने में आसानी होती है। एक दो लाख मजदूर एक जगह काम करते हैं और उनके मालिक सिर्फ १-२ होते हैं लेकिन ऐग्रीकल्चरल लेबर का क्षेत्र पहाड़, जंगल, पश्चिम, पूर्व सब जगह फैला हुआ है । अगर आज हम उनके लिये कोई मिनिमम वेजेज के बारे में तय कर दें और किसी वजह से वह कुछ कम हो तो लेबरर्स में असंतोष होगा लेकिन अगर किसी वजह से कुछ ज्यादा हुई तो किसान जो इम्प्लाई है उसको दिक्कत होगी। फिर यह सोचना होगा कि उसको इन्फोर्स करने के लिये क्या करना होगा। क्या हर जगह अदालतें कायम की जायं। काश्तकार और लेबरर्स करोड़ों की संख्या में हैं। उनके ऊपर किस तरह से इसको लागू करें। खाली किसी सेंट्रीमेंट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

से कोई कानून बना देने से काम नहीं चल सकता। कोई भी कानून बनाया जाय उसका एन्फोर्स होना अत्यावश्यक है। फिर एम्प्लायर्स सौ दो सौ की तादात में नहीं हैं लाखों की तादाद में हैं उनके ऊपर कैसे ऐन्फोर्स किया जायगा ? हमें यह सोचना है और ठंढे दिल से सोचना है न कि एक दम किसी सेंटीमेंट में आकर सारे उत्तर प्रदेश में आग लगा दें यह बात समझ में नहीं आ सकती। हम कोई कानून पास कर दें, वह एन्फोर्स न हो सकें या बहुत सी दिक्कतें पैदा हों तो ऐसी बात हमें नहीं करना चाहिये। प्रदेश में यों ही काफी चीजें ऐसी हैं जो टेंशन पैदा कर रही है। हम तो इस पक्ष में हैं कि अगर कोई कानून बनाया जाय तो उसका एन्फोर्समेंट ठीक तरह से हो। इसलिये थोड़े से जिलों में पहले उसको करके हम देखना चाहते हैं कि उसकी वजह से कितने मुकद्दमे आते हैं, कितने झगड़े पैदा होते हैं या नहीं होते। फिर अगर कानून है तो ३१ दिसम्बर तक सब जगह लागू हो ही जायगा।

दूसरी चीज शाप ऐक्ट की है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसको भी लागू कर दिया जाय। उसमें एक दिक्कत है वह यह कि कामर्स इंस्पेक्टर रक्खा जाता है यह देखने के लिये कि दरअसल कानून के मुताबिक ठीक अमल हो रहा है या नहीं। इसके बारे में कई बार मैं यह भी कह चुका हूं कि यह एक प्रकार का सोशल लेजिस्लेशन है। ख्वामखाह मुकद्दमे चलाने की हमारी मंशा नहीं है। बाज दूकानदारों के पास घड़ी नहीं होती, बाज एम्पाईज के पास घड़ी नहीं होती, और इसलिये हमें घड़ी के अनुसार काम करने की आदत भी नहीं है। अब कानून में यह लिखा है कि फलां वक्त दूकान खुलना चाहिये और ठीक इतने बजे दूकान बन्द हो जाना चाहिये। लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि बिलकुल सोलह आने ठीक ठीक पालन होता है, ऐसा नहीं होता होगा। अगर नियम है कि ८ बजे दूकान खुले तो कहीं ८ बजे के पहले भी दूकान खुल जाती होगी, अगर नियम है कि १० बजे दूकान बन्द हो जाय तो कहीं कहीं १० बजे के बाद बन्द होती होगी। तो मैं भी सोचता हूं और इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि समाज ही ऐसा है कि जिसमें बिलकुल सोलह आने कड़ाई के साथ कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर बार बार वायलेशन होता है तो मुकदमे भी चलाये जाते हैं, काफी चल भी रहे हैं। जहां तक हफ्तेवारी छुट्टी का सवाल है इसका ठीक ठीक पालन हो सकता है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा कि इस कानून को हमारे जिले में भी लागू कर दीजिये लेकिन इस में दिक्कत यह है कि आर्थिक कठिनाई की वजह से हम इतने इंसपेक्टर्स नहीं रख सकते हैं। कई जगह के लोगों ने कहा कि सिटी मैजिस्ट्रेट या किसी और मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द इस काम को कर दीजिये लेकिन यह तो आप सबों को भी मालूम है कि मैजिस्ट्रेटों के पास पहले ही से इतना काम रहता है कि वे और काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। लेकिन मेरे पास कई मित्रों ने आकर कहा कि चाहे आप पूरा कानून लागू न कीजिये लेकिन हफ्तेवारी छुट्टी का कानून जरूर लागू कर दीजिये। जहांतक हफ्तेवारी छुट्टी का सवाल है इसमें दूकानदारों को दूकानों के खोलने या बन्द करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं इस बात को सोच रहा हूं कि हफ्तेवारी छुट्टी के अंश को लागू कर दिया जाय।

एक बात और है जो लेबर हाउसिंग के बारे में है। जहां तक हमारे शुगर के कारखानों की बात है वहां तो मकान बन रहे हैं, कई सौ मकान बन भी गये हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें इस काम के लिये ७५ लाख रुपया इस शर्त पर दिया था कि आप इस साल के अन्दर मकान बना लें। आप कानपुर जाकर देख सकते हैं और मैंने खुद जाकर देखा है कि वहां तीन जगह मकान बन रहे हैं। दो जगह तो काफी ऊंचे बन गये हैं। लेकिन तीसरी जगह चूंकि देर में काम लगा है, फिर भी उम्मीद है कि वहां भी जल्द से जल्द मकान तैयार हो जायेंगे। यह हमारे लिये खुशी की बात है कि

दो हजार से ज्यादा मकान बन गये हैं। इसके अलावा यह और भी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जब और रटेटों को भी इस काम के लिये रुपया दिया तो इतने समय के अन्दर जहां वे मकान नहीं तैयार कर सके, वहां हमारे यहां बहुत पहले ही इतने मकान तैयार होगये। इस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बिना हमारे कहे हुये हमको एक करोड़ ३५ लाख रुपया और इस काम के लिये दिया है। यह जाहिर है कि यह रुपया ७५ लाख के अलावा है और हमारा उनसे तय है कि बाद में भी हम इस रुपये को खर्च करेंगे क्योंकि मार्च के अन्दर तो मकान बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ७ रोज पहले तो यह मंजूर हुआ है। हमारा उनसे तय हो गया है और मकान बनना शुरू भी हो गया है। यह भी हमारे लिये खुशी की बात है। सब मजदूरों के लिये मकान चाहे न बन जायं लेकिन जो ७५ लाख रुपया मकानों के लिये है और १ करोड़ ३५ लाख के मकान बन जाने पर हम समझते हैं कि इससे सिचुएशन काफी आसान हो जायगी। इस वक्त मुझे इतना ही निवेदन करना है सदन के सम्मुख। जैसा कि मैंने कहा जो कुछ थोड़ा बहुत सीमित साधन के भीतर मुझसे हो सका है उसे मैंने करने की कोशिश की है इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह जो १ करोड़ ३५ लाख रुपया है वह केवल कानपुर के मजदूरों के लिये है या सब मजदूरों के लिये है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर में मजदूरों के लिये मकान बन रहे हैं। इसके आलावा फिरोजाबाद व आगरा के लिये भी मजदूरों के लिये मकान बनाने में इसे खर्च किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। अभी माननीय श्रम मंत्री जी ने खेतिहर मजदूरों के बारे में कहा कि उनकी मजदूरी के बारे में सरकार विचार कर रही है और कुछ ही दिनों के भीतर उनकी कम से कम मजदूरी तय कर दी जायगी और जो उन्होंने यह कहा कि कानून बना देने से काम नहीं चलेगा हमको यह भी देखना पड़ेगा कि उन कानूनों की कहां तक पाबन्दी होती है यह उन्होंने सही कहा। जब कि इंडस्ट्रियल लेबर कुछ ही मिल मालिकों के हाथ में है और उनके बारे में कानून का ठीक से अमल नहीं हो सकता है तो उनका कहना सही है कि इतने बड़े क्षेत्र के मजदूरों के लिये कानून बनाने से उनको लाभ कैसे पहुंच सकता है। लेकिन लोगों की राय लेकर जहां तक हो सके खेतिहर मजदूरों के बारे में ऐसा कानून बनायें जिससे कानून बनने के साथ लोग उसकी पाबंदी भी जरूर करें। मैं तो यह समझता हूं कि अगर कानून बनता है और उसकी पाबन्दी मजदूरों के हक में नहीं की जाती है तो ऐसे कानून के बनाने से क्या फायदा हो सकता है। जनरल डिस्कशन के समय माननीय श्रम मंत्री ने बतलाया था कि हमने जितने भी इस संबंध में कानून बनाये वह सब मजदूरों के फायदे के लिये ही बने। मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि आपने कानून जरूर बनाये और आप कहते हैं कि मजदूरों के लिये फायदेमन्द हुये लेकिन मैं यह कहने जा रहा हूं कि जितने कानून आपने बनाये उनसे मजदूरों का बहुत कम भला हुआ। उनसे ज्यादातर मिल मालिकों का ही भला आज हो रहा है। आप कानून बनाते हैं मजदूरों का भला करने के लिये लेकिन उनसे उनका भला नहीं होता है। दरअसल उनका भला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उनके संगठन को ऐसा न बनायेंगे कि जिससे कोई गड़बड़ किसी किस्म से उनमें न होने पाये। मैं आपकी आज्ञा से, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस रोज श्री बेविन के बारे में जिकर किया था उनकी क्या राय है वह मैं आपके सामने उन्होंने जो भाषण बम्बई में १८ फरवरी को दिया उसको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने यह कहा कि "यह समझना भूल है कि अधिनियमों द्वारा मजदूरवर्ग की रक्षा की जा सकती है। उसी सिलसिले में आगे चलकर उन्होंने कहा कि

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

"मजदूरों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूख वैसा ही है जैसा की बृटिश लेबर पार्टी का है और मुझे आशा है कि नेहरूजी मेरे इस कहने का गलत अर्थ नहीं निकालेंगे"। यह उनकी राय है। उस रोज माननीय मुख्य मंत्री ने इसका जिकर किया था कि उनकी क्या राय है इसलिये मैंने भी यह उचित समझा कि उनका जो राय है उसका भी जिकर करूं। यह तो हमारे मंत्रियों की आदत है कि वह अपने फ़ायदे की बात तो कह देते हैं लेकिन जो असल बात होती है उसको नहीं कहते हैं। इन कानूनों के बारे में जो कहा जाता है कि वह फायदे के हैं तो मैं आपको बताऊं कि जहां तक कोई फैसले या अवार्ड का सवाल है अगर कोई फैसला मजदूरों के हक में होता है तो २५ मर्तबा शिकायत लेकर यहां भेजने पर भी कोई अमल नहीं किया जाता है। बहुत से केसेज हैं उनका दृष्टान्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पडरौना मिल के बारे में एक अवार्ड हुआ मजदूरों के हक में लेकिन उसको अभी तक इम्लीमेंट नहीं किया गया। हम लोगों ने इसकी खबर वहां के अधिकारियों को दी और यहां पर दी लेकिन उसके बारे में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। कहा जाता है कि साहब ऐक्शन लेने से क्या होगा? मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इस प्रकार से किसी कानून के बना देने से क्या हो सकता है जब कि आप ऐक्शन न लें। इस तरह से कहने से हमारा काम नहीं चल सकता है।

दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि कानूनों के बारे में बड़ी अदालत में फैसले हो जाते हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी फैसला हो जाता है, लेकिन बाद में उसको मिल मालिकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है और बाज मुकदमें अदालत में ३,४ साल तक पड़े रह जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि छितौनी मिल का मामला था वहां से कुछ मजदूर निकाले गये थे उसके बारे में अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ लेकिन उसके होने पर भी कुछ नहीं किया गया। इस तरह से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी एक और चीज बताऊं कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में वह कुछ क्लर्कों की रिटेंनिग का मामला था। २,३ साल से वह केस अदालत में पड़ा हुआ है। अब आप बतलाइये कि मजदूर कहां तक मुकदमों को लड़ सकता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और हमारी सरकार की जो नीति है उस नीति से सिवाय इसके कि मजदूरों का नुक्सान हो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़े में यह भी बतला दूं कि जो मामले कंसिलियेशन बोर्ड में जाते हैं उनका भी कंसिलियेशन नहीं होता है। जब वह मामले ऊपर भेजे जाते हैं तो सरकारी रिपोर्ट यह बतलाती है कि आधे से ज्यादा मुकदमें गलत सलत बतला कर रिजेक्ट कर दिये जाते हैं और मैं सरकार पर साफ साफ यह आक्षेप लगाना चाहता हूं कि उसने तमाम तरफदारियां की हैं कि जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक मामला मैं आपको बतला दूं कि जिसके तमाम कागज पत्तर मेरे पास मौजूद हैं। सिसवा मिल के सात मुकदमे कुल आये। ६ केस जिन का संबंध हिन्द मजदूर सभा के साथ था वह सब रिजेक्ट हो गये और जो सात में से एक केस आई० एन० टी० यू० सी० से संबंधित था केवल वही लिया गया। इस तरह से तमाम दूसरी यूनियनों के मामले रिजेक्ट कर दिये जाते हैं जो सरकार के साथ सहमत नहीं हैं या उस की नीति पर नहीं चलती हैं। इसी तरह से सहारनपुर का मामला है। वहां पर भी हमारी यूनियन हैं और उन के प्रेसीडेन्ट वहां ताराचन्द सेठी हैं। मैं आपको बतला दूं कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मजदूरों से कहा कि अगर तुम ताराचन्द सेठी या हिन्द मजदूर सभा के किसी वर्कर को प्रेसीडेन्ट रक्खोगे तो तुम्हारे किसी मामले पर गौर नहीं किया जायगा और विचार उस वक्त होगा जब तुम किसी कांग्रेसी या किसी ऐसे आदमी को प्रेसीडेन्ट रक्खोगे जो हमारी नीति पर चलता हो तब तुम्हारा मामला सुना जायगा। इस तरह की शिकायत भी भेजी गयी कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। इसके अलावा मैं आप को कटुकुइयां का मामला बतलाऊं, वहां का जिक्र पहले भी हो चुका है। वहां ऐसा हुआ कि वहां एक चीफ़ केमिस्ट साहब थे, उनका काम काफी अच्छा था, रिकार्ड देखने से भी यह साबित होगा। उनका हमारे आई० एन० टी० यू० सी० के नेताओं से मेल न था

इस पर यहां से टेलीफोन द्वारा हुक्म गया जिस की अगर मंत्री जी खुद इन्क्वायरी करें तो मैं सबूत दूंगा कि उनको हटा दिया जाय, क्यों हटा दिया जाय यह कुछ नहीं मालूम। इसी पर वह हटाये गये दूसरा केमिस्ट आया। जिसके कारण मिल को काफी नुकसान हुआ। जब लेबर कमिश्नर इन्क्वायरी पर गये थे तो वह दृष्टांत मौजूद है।

दूसरे मिल मालिक किस तरह से गड़बड़ी करते हैं, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अभी अभी लेबर कमिश्नर साहब कठकुइयां इन्क्वायरी करने गये थे वहां हजारों रुपये के मामले ऐसे मिले जिसमें मिल मालिकों ने चार चार हजार और पांच पांच हजार रुपया ऊंचे अधिकारियों के इनाम की मद में दिखला कर खुद रख लिया और जिसके सबूत का भी पता लग गया था कि वह रुपया इस तरह से खाया गाया। इस सब से मालूम होता है कि सरकार मजदूरों के हक में कोई चीज नहीं करती। इतना मुझे यह मालूम है इस के अलावा दूसरी मिलें ऐसी हैं कि जिन में मजदूरों की तीन तीन, चार चार महीने की तनख्वाह बाकी है। पडरौना, कटुकुइयां और खड्डा में यही हालत है लेकिन जब मामला सरकार के पास आता है तो सरकार कह देती है कि हम क्या करें, सरकार इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेती। इस तरह से मैं तो नहीं समझ पाता कि मजदूर बेचारा क्या करे। सरकार को बेचारे मजदूर की मजबूरी को भी समझना चाहिये। कठकुइयां मिल में मुनेश्वर सिंह का अनशन चला और बहुत हल्ला गुल्ला हुआ जो सब को मालूम है। अभी भी पडरौना में २० लाख रुपया गन्ने के दाम और ३ लाख रुपया मजदूरों के बाकी हैं, लेकिन इस पर भी कोई चीज नहीं हुई और कोई ध्यान देने वाला इस ओर नहीं मालूम होता। आखिर इस पर किसानों को हड़ताल करनी पड़ी। इंडस्ट्री के ग्रांट के वक्त सब बात बतलाऊंगा कि कैसे क्या हुआ और हमारी गलती थी या किस की गलती थी, वह खुद ही सोचें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि सम्पूर्णानन्द जी ने बतलाया कि भई, पुलिस में तो अभी हम बच्चे हैं। लेकिन श्रम में तो आपको बच्चा नहीं कहा जा सकता। यह विभाग तो आप के हाथ में बहुत पहले से है। इसमें अगर इस किस्म का कार्य हो तो यह तो बड़े शर्म की बात होगी। मैं यह नहीं कहता कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी करते हैं लेकिन यह चीज होती है। उसको कौन करता है यह पता लगा कर जो इस किस्म का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। अगर्चे आपकी नीति बहुत साफ है, अगर्चे आप चाहते हैं कि सबको उचित न्याय मिलना चाहिये तो फिर आप उसका पता लगाइये कि कितनी कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं।

श्री सीता राम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन का तरीका है कि सिर्फ नाम ले कर पुकारा जाय, माननीय न कह कर, सिर्फ सम्पूर्णानन्द नाम लेकर पुकारा जाय ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैंने माननीय कहा। शुक्ल जी ने शायद सुना नहीं। वह साफा बांधे हुये हैं इस वजह से कान बंधे हुये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम लोगों में आपस में इतना सद्भाव होना चाहिये कि माननीय की जरूरत न रहे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—तो इस किस्म की चीजें हुईं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी, मैंने 'माननीय' दो दफा इसलिये कहा कि शायद कहीं भूल गया है, को चाहिए कि यह हमारा सुझाव है, माने य न माने, उनको चाहिये कि इन सारी चीजों को देखें।

यह भी जिक्र इस सदन में किया गया कि साहब वह तो शुगर सेंसस हुई और शुगर सेंसस में चूंकि शिब्बन लाल सक्सेना अनशन कर रहे थे इसलिये २७ हजार से जीत गये। खैर, लोग जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं, हिन्दू महासभा के उपसभापति होने के नाते इस सदन में चेलेंज करता हूं कि महज शुगर इंडस्ट्री के अन्दर नहीं, सारी इंडस्ट्री के अन्दर सरकार फिर से

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चुनाव करा लें और हमारी इस चुनौती को सरकार तथा आई० एन० टी० यू० सी० को मंजूर करना चाहिये। खाली कह देने से कुछ नहीं होगा।

और अनशन की बात आप कहते हैं। मैं कहता हूं कि आपके जो बड़े नेता लोग हैं आई० एन० टी० यू० सी० के हरिहरनाथ शास्त्री और काशीनाथ पांडेय वह भी अनशन पर बैठें और हमारी तरफ से कोई अनशन नहीं करेगा और फिर चुनाव का नतीजा देख लें। अनशन से जीते, यह कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह से कह करके वास्तविकता छिपाई नहीं जा सकती। माननीय सम्पूर्णानन्द यह कहेंगे कि आपस में झगड़ा हो गया, इसलिये हमने यह कर दिया, वह कर दिया, तो मैं आप को बताऊं कि वह सब कहना तो बेकार है। वह आप कहा करें, इस से कुछ होता जाता नहीं है। हमने २७ हजार वोटों से हराया है और आप को इसको कबूल करना चाहिये। इस तरह से बहाने बाजी करने से कोई काम नहीं होगा।

दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कहा यह जाता है कि साहब मजदूर ही काम नहीं करते, इसीलिये उत्पादन में कमी होती है। मैं सरकारी फ़ीगरों के द्वारा बताना चाहता हूं कि मजदूरों की वजह से काम कम होता है या मिल मालिकों की वजह से कम काम होता है यह सरकारी रिपोर्टों से मालूम होगा। यह वह फिगर है कि कितने वर्कर स्ट्राक और लाक आउट में इन्वाल्स थे। वह ३८,७९८ आदमी थे लेकिन प्ले आफ में जो मिल मालिक करता है, उस में ठीक उसके दूने आदमी थे यानी ७५,२२१ आदमी। अब कितने मेन डेज लास हुये इसके भी फीगर्स देख लीजिये। हड़ताल या लाक आउट से महज १,६६,७०९ मेन डेज लास्ट हुये और जो छटनी करने से, प्ले आफ करने से हुये वह ५,९६,८२६ हुये तो कौन कम प्रोडक्शन करता है इन आंकड़ों को देखने से ज्ञात होगा।

दूसरी चीज एक और बताऊं। मुझे खुशी है कि श्रम मंत्री जी ने अभी पिछली दफा पुलिस पर बोलते हुये आदर्श थानों के बारे में कहा था कि वहां गड़बड़ हैं। और कहा कि अब आदर्श थाने नहीं रहेंगे उसी तरह से इस रिपोर्ट में एक आदर्श फेडरेशन की बात भी कही गयी है कि वह बहुत अच्छा काम करती है जो कि बहुत बुरी तरह से हारी थी। मैं समझता हूं कि कुछ दिनों में आज भले ही माननीय मंत्री न मानें लेकिन आदर्श थानों की तरह आदर्श फेडरेशन के बारे में भी मानना पड़ेगा कि आदर्श फेडरेशन भी उसी तरह की है जैसे कि माननीय मंत्री जी के आदर्श थाने थे।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डा० सम्पूर्णानंद जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। आज हमारे राज्य में श्रम विभाग की स्थिति की तुलना यदि पश्चिमी बंगाल और बम्बई प्रांतों से की जाय तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे राज्य में श्रमिकों की स्थिति कहीं अधिक समुन्नत और सुन्दर है। मुझे पश्चिमी बंगाल का अनुभव है। मैं वहां के लेबर डिपार्टमेंट के काम को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे मालूम है कि वहां पर जिस प्रकार श्रमिकों के हितों के संबंध में उदासीनता या उपेक्षा की दृष्टि आनुपातिक क्रम से है हमारे यहां उस प्रकार की स्थिति नहीं है। जैसे अभी कुछ मित्र वेलफेयर स्टेट की बात कह रहे थे तो मैं कह सकता हूं कि हमारा लेबर डिपार्टमेंट इस बात का प्रमाण है कि हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट की ओर अग्रसर हो रहा है। जितनी श्रमिकों के हित के लिये सुन्दर से सुन्दर योजनायें, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इसके अलावा वेलफेयर सेंटर्स, उनको बसाने के लिये राज्य की सहायता प्राप्त, हाउसिंग स्कीम्स और उनकी चिकित्सा के लिये जो व्यवस्था की गई है, इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिये खेल कूद और इंटरटेनमेंट के लिये जितनी सुन्दर व्यवस्था हमारे राज्य में है हमारा ऐसा ख्याल है बंगाल में तो है ही नहीं, यही बड़े राज्य हैं बम्बई, बंगाल और हमारा प्रांत और श्रमिक समस्या भी इन्हीं तीनों प्रांतों में देश के और प्रांतों के अपेक्षा अधिक है, इसलिये इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें अपने माननीय श्रम मंत्री को बधाई देने की इच्छा

होती है कि उन के ही नेतृत्व में इस प्रकार का श्रमविभाग संगठित हुआ। अभी हमारे मित्र माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने बेवन साहब की एक स्पीच का जिक्र करते हुए जो उद्धरण यहां पर उपस्थित किया वह तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लिए एक प्रकार से कम्प्लीमेंट है। क्योंकि ब्रिटिश लेबर पार्टी की नीति यदि हमारी कांग्रेस की नीति है लेबर के प्रति तो ब्रिटिश लेबर पार्टी तो वहां की सोशलिस्ट पार्टी है और वह रुख अगर हमारी कांग्रेस सरकार का श्रमिकों के संबंध में है तो यह तो एक प्रशंसा की बात है। इसमें कोई ऐसी शिकायत की बात हमारा ख्याल है हमारे माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को नहीं होनी चाहिये और यह उनका कोटेशन जो है, उद्धरण जो है वह ग़लत जगह पर हो गया। यह तो कांग्रेस गवर्नमेंट के लिये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है कि वह हमारे यहां मिक्स्ड इकोनामी के होते हुये भी, हमारे यहां हमारी सोशलाइज्ड स्टेट न होते हुये भी कांग्रेस गवर्नमेंट का ज्यादातर सोशलिस्ट ऐटीच्यूड है। जहां तक लेबर का प्रश्न है अब मुझे इस संबंध में अधिक न कह कर के माननीय श्रम मंत्री से एक अनुरोध करना है और वह यह कि जैसे लेबर वेलफेयर सेंटर्स जगह जगह खोले गये हैं उसी तरह से एक उत्तरदायित्व शिक्षण मंडल भी खोले जाने की आवश्यकता है लेबर डिपार्टमेंट के लिये। जहां तक श्रमिकों के कार्यों का संबंध है, उत्पादन इत्यादि का संबंध है यह चीज अच्छी तरह से उनको बतायें, उनके अन्दर इस बात की शिक्षा देने की आवश्यकता है कि आज लेबर का रुख जहां तक उत्पादन या राज्य की नीति के प्रति है उस प्रकार का नहीं होना चाहिये जैसा कि स्वतंत्र होने के पूर्व था। माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में एक जगह पर कहा है मैं उसे पढ़ना चाहता हूं:

"आज राजा और प्रजा का अन्तर मिट चुका है। अब उसको एक समझना चाहिये और सभी को मिल जुल कर हिम्मत हौसले, उत्साह और पूर्ण विश्वास और यक़ीन के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिये। समय बदलते रहेंगे, हुकूमतें आती और जाती रहेंगी, परन्तु यह सच्चाई और यह सिद्धान्त कि देश का उभार बगैर सबों के सहयोग और सरकार और जनता के तआउन या कोआपरेशन के बगैर नहीं हुआ करता, अमिट और हमेशा क़ायम रहने वाला है। यह कभी न बदला और न आइन्दा बदलेगा। देश सब रहने वालों का है। इसका काम दलबन्दी और पार्टियों के राजनीतिक अन्तरों से बहुत ऊंचा है। वह किसी तरह का अन्तर किये बग़ैर हर एक से कुर्बानी मांगता है और हम सब का कर्त्तव्य या फ़र्ज है कि अन्तरों या इख्तलाफों को भूल कर उसकी यानी देश की सच्ची सेवा करे और प्रेम के साथ एक दूसरे का हाथ बटायें।"

इस प्रकार की स्थिति जहां तक श्रमिक और मालिक का संबंध है या श्रमिक और राज्य का संबंध है, इस प्रकार की स्थिति लाने का उत्तरदायित्व यदि श्रमिक नेता अपने ऊपर नहीं लेते तो राज्य को अपने हाथों में इस उत्तरदायित्व को लेना चाहिये। श्रमिकों के ऊपर देश के कल्याण का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। देश का कल्याण जो हमें करना है, बहुत बड़े पैमाने पर जो कल्याण करना है वह हमारे देश के श्रमिक जब देश के प्रति, राज्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेंगे तब हम उस कार्य को ज्यादा आसानी के साथ और ज्यादा तीव्र गति से कर सकेंगे। जहां तक इस बात के प्रमाण का सवाल है कि हमारे यहां की लेबर कंडीशंस आज अच्छी है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज देहातों के अन्दर खेतिहर मजदूर नहीं मिलते। खेतिहर मजदूर इस प्रकार काम करने वाले, मिलों में काम करने के लिये शहरों में दौड़े चले आते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जो देहातों में रहते हैं वह जानते हैं कि आज वहां पर खेतिहर मजदूर एक प्रकार से दुष्प्राप्य से हो रहे हैं। क्या वजह है कि जो देहात में रहते हैं, एक रुपया बीस आना रोजाना की मजदूरी उन्हें मिलती है, बावजूद इसके जो कंडीशन में परिवर्तन दिखलायी पड़ता है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर मिलों के अन्दर उनको कहीं ज्यादा अच्छी तनख्वाह, अच्छी लिविंग कैंडीशंस और दूसरे प्रकार की सुविधायें, बच्चों के लिये शिक्षा की, उनकी बीमारी वगैरह की व्यवस्था, चिकित्सा वगैरह की सुविधायें प्राप्त हैं। यह आकर्षण इस प्रकार के जो श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनको देहातों से खींच कर शहरों की तरफ ला रहा है और वह जितने कि आज शहर के अन्दर, मिलों के अन्दर और कल कारखानों के अन्दर काम करने वाले

[श्री देवदत्त मिश्र]

लेबर हैं वह शहरी लेबर नहीं हैं। आज शहर के लोग जो इस प्रकार के निम्न-कोटि के व्यक्ति हैं उनको यहां पर नौकरियां नहीं मिलतीं, इसलिये कि देहातों से हट्टे कट्टे और मजबूत आदमी मिलों और कल खारखानों में काम करने के लिये आते हैं। मेरा समय हो चुका। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज देहातों में खेतिहर मजदूर पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। यहां शहरों में कल कारखानों में काम करने वाले काफी से काफी संख्या में मजदूर मिलते हैं और इससे यह प्रतीत होता है कि यहां पर लेबर कंडीशन्स जो हैं वे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। इसलिये हमारे माननीय श्रम मंत्री, जिनके नियंत्रण में, जिनकी देख भाल में यह विभाग कार्य करता चला आ रहा है, बधाई के पात्र हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा आज मैं इस अनुदान पर बोलता हुआ बतलाना चाहता हूं कि ७८ करोड़ का बजट जहां है, वहां २५ लाख रुपया लेबर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। यह कम है क्योंकि जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि देश का उत्थान, देश का भविष्य मजदूरों के ऊपर निहित है और उन्हीं के ऊपर देश की नजर लगी हुई है यह बिलकुल सत्य है कि गांव में भी, शहर में भी और मिलों में भी, हर जगह मजदूर ही कमाता है और सब लोग खाते हैं। मजदूर ही की गाढ़ी कमायी पर यह भवन है, यह राज्य है, यह देश है, और सब हैं। यह बड़े-बड़े लोग और बड़े बड़े मिल मालिक जो मौज उड़ा रहे हैं, यह मजदूरों के कन्धे पर है। मैं गवर्नमेंट से निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट में लेबरों का ख्याल रख करके और अधिक पैसा रखा जाय। हमने फारेन कंट्रीज में देखा है कि उनके लिये दवा और उनके बच्चों के लिये शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाता है। साथ ही उनके रहने के लिये स्टेट की तरफ से मकानों का प्रबंध होता है। उनको इस बात का झंझट नहीं रहता है कि आज इस मकान में हैं और कल उस मकान में हैं। उनके लिये काम करने का निश्चित समय होता है लेकिन हमारे देश में यह सब बातें नहीं हैं माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपनी स्पीच में यह बतलाया कि वे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं यह ठीक है कि असमर्थता है, आज ५ साल से हमारा देश भुखमरी का सामना कर रहा है, पैसे की कमी है, इसको प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है, देश जानता है, लेकिन हमको यह भूल नहीं जाना है कि देश का भविष्य इन्हीं पर है। पिछड़ी जमातें जितनी हैं, जो छोटी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, उनकी जो दशा आज समाज में है, वह आये दिन उनके प्रदर्शनों से, उनकी हड़तालों से और उनके अनशन से देखने में आती है कि वे असंतुष्ट हैं। सरकार को सतर्क रहना है और इन तमाम आपदाओं से बचने का हमें उपाय सोचना है कि क्या किया जाय जिससे यह तमाम शिकायतें दूर हों।

एक बात मैं जरूर सरकार से कहना चाहता हूं कि मजदूरों में सिर्फ एक यूनियन होनी चाहिये और स्टेट के अन्दर २५ यूनियनें न बनायी जायं, और जो यूनियन बनायी जाय वह न कम्युनिस्टों के हाथ में हो, न सोशलिस्टों के हाथ में हो और न कांग्रेसियों के हाथ में हो बल्कि वह स्वयं मजदूरों के हाथ में रहे। हमने देखा कि जब मेंहतरों की हड़ताल हुई तो हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने सदन के अन्दर कह दिया कि हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं और एक कांग्रेसी एम० एल० ए० ने उसको स्टार्ट किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार मजदूरों की यूनियन को इन पोलिटिकल संस्थाओं से फ्री रखे और मजदूरों से भी कहे कि तुम अपने कदमों पर खड़े हो और अपना काम करो। देहातों का जिक्र आया कि देहातों के लोग शहर में भाग आते हैं। क्यों भाग आते हैं? साल भर तो कमाने का ठिकाना नहीं, दो महीने इस फसल और दो महीने उस फसल में बमुश्किल तमाम उनको काम मिलता है। हमारे गांवों में हमारे हरिजन बर्कर ही लेबर का काम करते हैं लेकिन उनको साल भर खाने को नहीं मिलता न साल भर कमाने को मिलता है। वह आधा आधा पेट खाकर और भुखमरे रह कर काम करते हैं। अगर सरकार उनकी ओर ध्यान दे तो उनको कम से कम एक वक्त ही भरपेट खाना मिले। और मैं समझता हूं कि जो पंचवर्षीय योजना है वह भी सफल हो सकती है। यह जो सड़कें बन रही हैं

वह भी बन सकती हैं। अगर ग़रीबों को खाना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जो फ़र्ज़ी लोग आते हैं और हड़तालें करते हैं यह उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन एक कानून के शिकन्जे में फंस कर सरकार का काम नहीं चल पाता और न लेबरों का चल पाता है। आज लाखों आदमी भूखों मर रहे हैं, उनकी मुसीबतों को हल करना है। गांवों में जो हरिजन और जो दूसरे मजदूर हैं उनको साल भर खाना नहीं मिलता। पहले हम लोगों ने नारा लगाया था कि (ग़रीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है)। वह आज नारा भूल गये, भूलना नहीं चाहिये, हमको पीछे पलट कर देखना चाहिये। हम लोगों ने उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखी है और हमें फिर उनके बीच में जाना है, हम उनके हैं और वह हमारे हैं। हमें पब्लिक ओपीनियन को किल नहीं करना है। पब्लिक ओपीनियन के साथ सरकार को चलना है, मिनिस्टरों को चलना है, देश को चलना है और हर आदमी को चलना है। मैंने इस अनुदान में जितना रुपया देखा है, मैं पुनः कहता हूं कि वह बहुत कम है। सरकार को देहात में जो लोग हैं उनकी शिक्षा और उनकी दवा का और मकानों का प्रबंध करना चाहिये। हरिजनों के मकानों की गांवों में क्या पोज़ीशन है? हरिजन बेलफेयर डिपार्टमेंट को रुपया दिया जाता है लेकिन वह रुपया उन मजदूरों को मिलता नहीं है। शहरों में रेफ्यूजी क्वार्टर्स बन रहे हैं, कानपुर में मज़दूर क्वार्टर्स बन रहे हैं परन्तु गांवों में नहीं बन रहे हैं और खासकर हरिजनों की कालोनी कहीं भी बनकर नहीं तैयार हुई। हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखे, खासकर बस्ती जिला जो हमारा है जहां २५ लाख के क़रीब आबादी है, बांसी के इलाके में एक जगह ओपेनिंग सेरिमनी हुई है कि हरिजन कालोनी बनायी जाय लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान दे और ग़रीबों की परवाह करे क्योंकि वह सरकार ग़रीबों की बनाई हुई है। पिछले एलेक्शन में सिवाय ग़रीबों के और किसी ने वोट नहीं दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस कार्य का समर्थन करता हूं और सरकार से सिफारिश करता हूं कि वह ग़रीबों की मदद करे।

श्री आर्थर ग्राइस (आंग्ल भारतीय नामनिर्देशित)---स्पीकर महोदय, मैं लेबर बजट को और लेबर डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने लेबर हाउसिंग के बारे में बहुत कुछ कहा है कि यह होगा और वह होगा। मैं सुनता हुआ आ रहा हूं सालों से और बरसों से कि लेबर हाउसिंग होगी। मेरे ख्याल से माननीय सम्पूर्णानन्द कानपुर बहुत दफा हो आये हैं, वह भी यू० पी० में हैं, परन्तु यहां इन्डस्ट्रियल हाउसिंग चैप्टर १५ में लिखा है "the growth of industries in India in general and in Kanpur and U. P, in particular" मालूम यह होता है कि कानपुर यू० पी० से थोड़ा बाहर हटा हुआ है इस वजह से लोग भूल जाते हैं। और यहां बिल्कुल साफ लिखा हुआ है "Kanpur and U. P, in particular" तो यह बहुत सारी स्कीमें हुई हैं इन्डस्ट्रियल हाउसिंग के लिये। जितनी स्कीम होती है वह बहुत दूरी पर होती हैं। हैलटनगर, जिसका नाम अब बदल दिया है गोविन्द नगर, वह बना रिफ्यूजी प्राबलम होने के पहले। एक भी मजदूर वहां नहीं गया रहने के लिये। डेवलपमेंट बोर्ड ने मिल्स को सरक्यूलर भेजा कि वहां भेजा जाय किसी को रहने के लिये। १०, १० इंच और २, २ फीट मिट्टी वहां भरी रहती है जब बरसात में नाला भर जाता है। ऐसी जगह छांटकर कोलोनी खोलने से क्या फायदा है? बेचारे रफ्यूजी वहां बसर करते हैं, कहते हैं कि गिव दि डाग ए बैड नेम। हम यहां पर भी सुन रहें हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर होपलैस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर राबिंग दि पब्लिक ऐंड दे राब दि वर्कर्स। यह होता ही है। हमारी सरकार को जब गाली दिया जाता है तो फिर मिल मालिक को गाली देना तो मामूली बात है। लेकिन मिल मालिकों के हाथ ऐसे बंधे हुये हैं कि वे लोग नहीं बनावेंगे। पहले मिल-मालिकों ने इंडस्ट्रियल क्वार्टर बनायें मगर अब यह हो गया है कि अगर किसी को मिल से निकाल दिया जाय तो उसे क्वार्टर से नहीं हटा सकते। इसका नतीजा यह है कि कोई क्वार्टर क्यों बनवायेगा। क्या उनके लिये बनवायेगा जो यह कहते कि हम १० दिन तुम्हारी मिल में काम करके फिर नहीं करेंगे? इन बातों को रफू करने के लिये हमारी सरकार ध्यान दे।

[श्री आर्थर ग्राइस]

मिलों में काफी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं। सरकार को उन्हें इनकरेज करना चाहिये। अगर मजदूरों को एडवांस दिया जाय तो वह एक प्रापर प्लान्ड स्कीम के मातहत मकान बनवा सकते हैं। हम जानते हैं कि कानपुर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां यह हो सकता है। उससे मजदूरों और सब का फायदा होगा।

फिर प्रावीडेंट फंड की बात है। मैं अपनी गा रहा हूं। लेबर के लिये तो दे दिया अपटू ४०० रुपया। परन्तु हम देखत हैं कि सुपरवाइजरी ग्रेड वगैरह के लिये कोई प्राविडेंट फ़ंड नहीं है। इंजीनियरर्स एसोसियेशन ने भी कहा है कि इसका कुछ होना चाहिये। अब यह है कि बिकाज ही इज ए डिपार्टमेंट हेड, ही इज क्लासीफ़ाइड विद दी मैनेजमेंट। ही इज क्लासीफाइड एज एन इंडस्ट्रियेलिस्ट। यह बात ग़लत है। वह भी मजदूर है। उसका भी किसी को ख़याल करना चाहिये। मैं कह सकता हूं कि कानपुर में खाली ३, ४ मिलों में प्रावीडेंड फ़ंड की स्कीम अपर क्लासेज के लिये है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी सरकार इसमें ख़याल दे।

इंतक की बात कही गयी। हमारे भाई ने कहा है कि एक ही यूनियन होना चाहिये। मैं इससे बहुत खुश हूं। यह नहीं है कि हम कांग्रेसवाले हैं परन्तु उससे मजदूर को फायदा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, यदि आप की आज्ञा हो और माननीय मंत्री जी और सदन को आपत्ति न हो तो मुझे १० मिनट और प्रदान करने की कृपा की जाय क्योंकि यह बहुत ही अहम विषय है और १० मिनट काफी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप १५ मिनट बोलें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय श्री जगन्नाथ जी मल्ल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा यह दावा है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के लिये बिलकुल ही कोई काम नहीं किया या कोई कानून नहीं बनाया। जब मैं श्रम अनुदान को देखता हूं तो मुझे उस प्रस्ताव की याद आती है जिसको कि माननीय श्रम मंत्री जी ने अपने उदार नेतृत्व के और अपने सैद्धांतिक आधार पर सन् १९४६ में पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति के लिये और सभी उत्पादन के समाजीकरण के लिये इस सदन के सामने रखा था। तो सन् १९४६ से लेकर आज तक कितने श्रम अनुदान आये लेकिन उन सब को देखने के बाद जो माननीय श्रम मंत्री जी का उद्गार उस दिन हमारे सामने आया था हमें किसी भी अनुदान में या श्रम अनुदानों में या श्रम विभाग के कार्यों में कोई उसकी विस्तृत रेखा देखने को नहीं मिली कि इस प्रकार के समाजीकरण, उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के सिद्धांत कार्यरूप में परिणित होने जा रहे हैं। मिसाल के लिये कम से कम मैं जानता हूं कि परिस्थितियां ऐसी वैसी थी जो माननीय मंत्री जी समय समय पर कहते आये हैं लेकिन कम से कम यह तो हो सकता था, व्यवस्था इतनी तो बदली जा सकती थी कि जैसे खेतिहर मजदूर हैं माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतने आर्थिक साधन नहीं हैं कि हम कुछ इंस्पेक्टर्स बढ़ा सकें या शाप कमर्शल इस्टब्लिशमेंट ऐक्ट के प्रसाधनों को उसके स्कोप को बढ़ाने के लिये साधन नहीं हैं और इसलिये हम उस ऐक्ट का एन्फोर्समेंट नहीं कर पाये, तो जहां पर श्रम विभाग में लाखों रुपया अनुदान का बढ़ता है, जहां पर ऐसी व्यवस्था बनती है कि जो मेहनत करने वाले हैं उसके हाथ में शक्ति हो तो इस व्यवस्था के लिये क़दम उठाने के लिये आवश्यक था कि माननीय मंत्री जी रुपया निकालते। इसके लिये अगर कुछ रुपया बढ़ जाता तो हमें कोई एतराज न होता। अगर वे मिनिमम वेजेज ऐक्ट या शाप कमर्शल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट को, इस प्रदेश के लाखों खेतिहर मजदूरों और काम करने वाले कर्मचारियों के लिये लागू करते और जोरों से उस पर कार्य होता तो ख़र्च के बढ़ाने में हमें आपत्ति न होती। इस प्रकार के ढीलेपन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि माननीय मंत्री जी की चाहे कितनी ही ऊंची इच्छायें रही हों, चाहे अपने सिद्धान्तों के प्रति उनकी कितनी ही

आस्था रही हो लेकिन व्यवहार का प्रश्न जहां आता है कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बजट बनाते समय वे अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते। जहां तक आज की श्रम स्थिति का सवाल है यह सही है कि इस साल हड़तालें कम हुईं। लेकिन इसके लिये तो माननीय मंत्री जी को मजदूर संगठनों को बधाई देना चाहिये चाहे वह इन्टक हो, चाहे हिन्द मजदूर सभा हो या मजदूर फेडरेशन हो। हड़तालें कम हुईं लेकिन प्ले आफ्स और रिट्रेंचमेंट्स ज्यादा हुये यह देख लेना चाहिये। जो हमें सरकार की तरफ से आंकड़े दिये गये हैं उसके अनुसार सन् १९५० में ३२७ बार प्ले आफ्स हुये। ५१ में ठीक दूने हो गये बल्कि दूने से भी ज्यादा हो गये। ५१ में ७७१ प्ले आफ्स हुये। ५२ में ५१ के भी दूने हो गये यानी १७२१ प्ले आफ्स हुये। तो ५० से ५१ में दूने और ५१ से ५२ में दूने। इन प्ले आफ्स से जहां ५० से ५६ हजार मजदूरों पर असर पड़ा था। वहां इस साल ७६ हजार मजदूरों पर असर पड़ा। इन प्ले आफ्स की तो यह हालत है। अब रिट्रेंचमेंट को देखिये। सन् ५० में १७६४ मजदूरों की छटनी हुई, ५१ में २५७३ मजदूर की छटनी हुई। यानी एक हजार बढ़ गयी और ५२ की इस रिपोर्ट के अनुसार १६२ बार छटनी हुई जिसमें ३८४० मजदूरों की छटनी हुई। इनमें से केवल ७६ मजदूर दोबारा रखे गये सारे प्रयत्नों के बाद, ऐवार्ड्स के बाद और कन्सीलियेशन के बाद भी केवल ७६ मजदूर ही इन ३८४० में से दोबारा रखे गये। तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि कानून के जरिये मजदूरों को न्याय देने का सिद्धांत यह कसौटी पर खरा नहीं उतरता भले ही कितने महीने लग जायं, कितने ही डिपार्टमेंट रख दिये जायं, कितने ही काबिल अफसर रख दें लेकिन मजदूरों को न्याय, कानून की शरण लेकर नहीं मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि पैसे के बल पर थैलीशाह लोग अच्छे वकीलों को रखने या बैरिस्टर रखने का काम कर सकते हैं पर ऐसा तो मजदूर आन्दोलन कर नहीं सकता। तो मैं तो यह समझता हूं कि इक्विटी का ज्यादा ध्यान रखा जाय लेबर लेजिस्लेशन के बनाते समय बजाय एक लीगल एसपैक्ट को देखने के। बहुत से केसेज देखते हैं तो मालूम होता है कि सन् ५२ में डिसमिसल और रीइंस्टेटमेंट के केसेज सबसे ज्यादा कंसीलियेशन के दफ्तर में आये। ४६ फी सदी शिकायतें दी थीं। कुल मिला कर २२६४ शिकायतें आई। इससे साबित होता है कि इम्प्लायर्स का रुझान अब डिसमिसल करने का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आधे से ज्यादा शिकायतें डिसमिसल के बारे में आई हैं।

इसके साथ ही साथ एडजूडीकेशन एवार्डस को एंफोर्स कराने के लिये सरकार का ध्यान बहुत ही कम गया है। जब हम १९५१ की रिपोर्ट का १९५२ की रिपोर्ट से मुकाबला करते हैं तो १९५२ की रिपोर्ट में मुश्किल से १९५१ की रिपोर्ट के आधा मसाला है। १९५१ की रिपोर्ट में बतलाया गया था कि कितने एवार्डस एंफोर्स किये गये। इस साल यानी १९५२ की रिपोर्ट में केवल ५ के मुकदमों के नाम हैं और बाकी का कोई जिक्र नहीं है कि कितने में एडजूडीकेशन का एवार्ड हुआ और कितनों को लागू किया गया। जहां तक एवार्ड्स के एंफोर्स करने का सवाल है तो कोई बात इसमें नहीं है। मेरे पास एक ऐसे एवार्ड्स की लिस्ट है जिसमें लेबर ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ है। वह है अपील नंबर ३२१, ३२२ और ३२३। अक्टूबर २५ को लेबर ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ लेकिन आज तक वह एवार्ड एंफोर्स नहीं किया गया। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि एडजूडीकेशन एवार्ड्स को एंफोर्स न करने की ४४ शिकायतें आईं। लेकिन ५ को एंफोर्स करने की कार्यवाही की गई और बाकी में कुछ नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि एडजूडीकेशन के जो एवार्ड्स हों उनका अगर एंफोर्समेंट हो तब तो ठीक हो सकता है वरना ढीलमढाल रही तो जितनी यह एडजूडीकेशन की मशीनरी है वह एक प्रकार से बेकार रहेगी।

इसके बाद एक और बात पर नजर रखनी होगी। कंसीलियेशन बोर्ड्स के बाद एक एडजूडीकेशन संबंधी एक्सपीडियेंसी का सवाल आ गया है। लेबर कमिश्नर को अथारिटी दी गई है कि जो केसेज समझौते के द्वारा तय नहीं होते हैं उनके लिये यह तय किया गया है कि वह मामले एजजूडीकेशन में भेज दिये जायं। पिछले साल जिन केसेज में समझौता नहीं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुआ ऐसे २४५९ केसेज आये। उनमें से १६१० रिजेक्ट कर दिये गये और ५७७ केसेज केवल एडजूडीकेशन में भेजे गये। अब यह सोचिये कि कितनी मुसीबत और मेहनत मजदूर संगठनों को कंसीलियेशन बोर्ड में लड़ने के लिये उठानी पड़ी होगी और २४५९ केसेज में से १६१० रिजेक्ट कर दिये गये और २१० पैंडिंग हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह डिफाइन करें कि वह कौन से एक्सपीडियेंसी के आधार हैं जिनके ऊपर कंसीलियेशन बोर्ड के मामले जो एडजूडीकेशन के विचारार्थ लेबर कमिश्नर के पास भेजे जाते हैं वह किस आधार पर स्वीकार किये जाते हैं या रिजेक्ट किये जाते हैं। कानपुर में जूट, आयल और कैमिकल्स सिसवा बाजार काशीपुर चीनी मिल वगैरह के तमाम मामले पड़े हैं जिनमें महीनों से मामले एडजूडीकेशन में जाने हैं। लेकिन आज तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। इस प्रकार जिन मामलों में कंसीलियेशन बोर्ड में समझौता न होने पर, इस प्रकार का रवैया रहा डिले करने का और रिजेक्ट करने का तो मैं यह समझता हूं कि एडजूडीकेशन की यह सारी मशीनरी बेकार रहेगी।

दूसरी बात मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। वह पूल सिस्टम के बारे में है। कानपुर में उसकी बड़ी तारीफ की गई है। ठीक है और लगता भी ऐसा ही है कि सिद्धांत सही है। लेकिन वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसी कि मुझे सूचना मिली है वह यह है कि जेंटिलमैनली एग्रीमेंट एम्प्लायर्स और मजदूरों में हुआ था जिसमें यह था कि मिल मालिक एक लिस्ट दिखाते थे कि इतने मजदूर रखे जायेंगे और इम्प्लायमेंट एक्सचेंज एक नोटिस भेजता था और वह उस पूल में से रखे जाते थे। लेकिन इस पूल सिस्टम के होते हुये भी वही मजदूर लिये जाते हैं जो मिल मालिकों के फेवरिट्स हैं। सरकार ने स्वयं इस बात को माना है कि बहुत सी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। हमारी हिन्द मजदूर सभा ब्रांच व गंगा सहाय चौबे जी ने जे० के० काटन मिल की लिस्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इस पर दो आदमियों की कमेटी बनी थी जिसने जे० के० काटन मिल की ओर ध्यान दिलाया। वहां पर बजाय इसके कि मजदूर पूल सिस्टम में प्रायरिटी और सीनयरिटी के आधार पर लिये जाते, जो मिल मालिक के फेवरिट्स थे उनको रक्खा गया।

एक महत्वपूर्ण मामला यह है कि बहुत से लेबर एक्ट्स बने हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एन्ड स्टैंडिंग आर्डर्स, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट आदि ये सब सरकारी कर्मचारियों के लिये भी लागू होने चाहिये। सरकार ने कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजदूरों के लिये तो लेबर एक्ट्स लागू कर दिये हैं लेकिन जहां मेहतरों रोडवेज कर्मचारियों या अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी का सवाल आता है उनको लेबर एक्ट्स से बरी रक्खा है। वह समय अब आ गया है कि जब सरकार को स्पष्टतः अपने कर्मचारियों को वही सुविधायें प्रदान करना चाहियें जो सुविधायें व्यक्तिगत उद्योगधंधों के मजदूरों को लेबर एक्ट्स से मिलती हैं। मिसाल के लिये जब कभी मेहतरों की हड़ताल गैर कानूनी घोषित हुई तो लेबर कमिश्नर ने उसे गैर कानूनी घोषित किया। तो तारीफ की बात यह है कि जहां गैर कानूनी करने का सवाल आये वहां तो लेबर कमिश्नर को हक है लेकिन जहां पर मेहतरों की मांगों की जांच करने का सवाल आये उसमें लेबर कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं है यह कैसी बिडम्बना है। अब समय आ गया है कि हर प्रकार के सरकारी अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार लेबर ऐक्ट की सुविधायें मिलनी चाहिये।

जहां तक रोडवेज कर्मचारियों का सवाल है माननीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने, जब वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने जनवरी और मार्च, ५१ में इस बात का विश्वास दिलाया था कि वह रोडवेज कर्मचारियों के लिये लेबर ऐक्ट्स को अवश्य लागू करेंगे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बात के लिये इस सदन में अवश्य आश्वासन देंगे।

इसके अलावा एक और बात एडजुडिकेशन से संबंध रखती है। वह प्रेस वर्कर्स की मिसाल है। लेबर इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल है। उसके सामने बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के प्रेस के मजदूरों का मामला था लेकिन चूंकि प्रेस कमीशन के टर्मस आफ रिफरेंस में वह बात आ गई इसलिये उसे वापस ले लिया गया। यह मिसाल अभूतपूर्व है। इस प्रकार से एक मामला इंडस्ट्रिलय ट्रिब्युनल के सामने हो और उसे वापस ले लिया जाय क्योंकि वह कमीशन के टर्म्स आफ रिफरेंस में आ गया। बहुत से मामले गवर्नमेंट आफ इंडिया के कंसीडरेशन में होते हैं लेकिन जितने मामले उस सिलसिले में एडजुडिकेशन में चल रहे हों उनको वापस ले लेना यह कहां तक न्यायसंगत है। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। जैसे प्रेस वर्कर्स का मामला देखने में आया है केशवदेव मालवीय कमेटी बनी थी जो निम्बकर कमेटी की अंग थी। उसने प्रेस वर्कर्स के लिये मिनिमम वेजेज रिकमेंड कर दी थी। माननीय सूरज प्रसाद अवस्थी भी उसमें मौजूद थे। उनका भी बहुत सुन्दर सुझाव उसमें है लेकिन जितनी रिपोर्ट्स यहां आईं आज तक उस बारे में उसका कोई जिक्र नहीं आया। इस प्रकार के जो लेप्सेज हैं भविष्य में वे न होने चाहिये। इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो छोटे तबके के मजदूर हैं जिनको संगठन का ज्यादा मौका नहीं मिला है, जो छोटे उद्योग धंधों में हैं उनको भी काफी अवसर इस बात का मिलेगा।

इसके बाद मैं थोड़ी सी बात शाप्स एंड कामर्शियल इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट के एंफोर्समेंट क बारे में बतला देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास बहुत स्टाफ है जिसके जरिये हम उस ऐक्ट को एंफोर्स कर सकते हैं। मेरा एक सुझाव है कि अगर माननीय मंत्री जी इस संबंध में म्युनिसिपल बोर्ड्स से पत्र-व्यवहार करें और जिस प्रकार हमने एस० डी० ओ० को इंस्पेक्टर बनाया है उसी प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड के सेक्रेट्री या एग्जीक्युटिव आफिसर या उसके किसी अन्य कर्मचारी को जिसको म्युनिसिपल बोर्ड रेकमेंड करे और सरकार ठीक समझे यह अधिकार दें तो शाप ऐंड क़र्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट प्रान्त के सभी टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड्स में लागू किया जा सकता है। ऐसे ही मिनिमम वेजेज ऐक्ट का प्रयोग हो सकता है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट अभी प्रान्त के १२ जिलों में और उसमें ५० एकड़ से ज्यादा एकरेज वाले जो फार्म्स हैं उन्हीं के खेतिहर मजदूरों के लिये लागू किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि सारे उत्तर प्रदेश में ५० एकड़ से ऊपर के जो फार्म्स हैं उनके खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज तय कर देने चाहिये और कम के कम चाइल्ड लेबर को जिसको हमने मान लिया है उसको तो एबालिश ही कर देना चाहिये। इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि चाइल्ड लेबर के लिये भी मिनिमम वेजेज रख दिये हैं। तो जब हम बच्चों से काम कराने के सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम क्यों खेतिहर मजदूरों के बच्चों से इस प्रकार काम कराना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि यह चीज हमको हटा देनी चाहिये और कम से कम खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिये ऐसी पाबन्दी रखनी चाहिये जिससे वे मजबूरी का काम न करें।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो मांग पेश की है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये नहीं कि मंत्रिमंडल में आने के पहले वह एक मजदूर नेता थे बल्कि इसलिये कि इस प्रान्त में मजदूरों के संबंध में अब तक जो कुछ भी कार्य हुआ है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि वह दूसरे प्रान्तों के लिये अनुकरणीय है। हमारे मित्र श्री तिवारी जी ने जो जो बातें इस समय हाउस के सामने रखी हैं मैं चाहता यह था कि मैं उनका समर्थन करूं और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कुछ अंश में वही बातें आज मजदूरों के सामने हैं जो कि उन्होंने रखी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हल कैसे हों, और क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारी ये मांगें पूरी नहीं होतीं। जहां तक ट्रेड यूनियनों का संबंध है आशा इस बात की है और यदि सदन के सदस्य माननीय श्रम मंत्री के पिछले भाषण को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें बराबर श्रम मंत्री का यही कहना था कि अगर एक ट्रेड यूनियन आप बनालें तो बहुत कुछ यह मसला हल हो जाय। लेकिन हमें अफसोस है कि जिस तरीके के भाषण पिछली बार और आज विरोधी

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

बेंचों से हो रहे हैं उनसे बड़ी निराशा उत्पन्न होती है। मैं याद दिलाऊं उस आई० एन० टी० यू० सी० की, एक ही नमूना का कि अब रेलवेमेन्स फेडरेशन और आई० एन० टी० यू० सी० दोनों एक होने जा रहे हैं और यदि जयप्रकाश जी की कही हुई बात सच है तो उसके प्रेसीडेंट श्री हरिहरनाथ शास्त्री और सेक्रेटरी श्री गुरु स्वामी होने जा रहे हैं। यह है एक तरीका जिसके जरिये हम और वह एक जगह बैठ कर मोर्चा ले सकते हैं मिल मालिकों से और सरकार के उन कानूनों से जो मजदूरों के हितों के विरुद्ध हों। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी बराबर तरीके का चैलेंज किया जा रहा है। अतः मैं आपके द्वारा श्री जगन्नाथ मल्ल के सेन्सेस लेने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यदि उनकी अब भी यही इच्छा है कि मजदूरों के अन्दर फूट रहे, यदि अब भी वह चाहते हैं कि पूंजीपति फलते फूलते रहें, यदि अब भी वह चाहते हैं कि हमारे देश के मजदूर सुखी और संतुष्ट न रहें तो मैं उनके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं और चाहता हूं कि वह जिस तरीके का युद्ध चाहते हों वह एक बार फिर हो। उसका रिजल्ट क्या होगा उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसका नतीजा जो होगा वह उनको मालूम है। बटवारे में फूट पड़ी तो क्या दशा हुई, यह सब जानते हैं।

इसके बाद में कुछ उन चीजों की ओर माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे सूबे में चल रही है। जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है वह केवल उन मजदूरों के लिये है जो मिलों में या फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जहां एक जगह कुछ रुपया जरूर बढ़ा दिया गया है लेकिन दूसरी जगह २४३ हजार रुपया काट दिया गया है यह वह रुपया है जो इम्प्लायमेंट ऐक्सेंज के जरिये से खर्च होता था और उन जिलों में खर्च किया जाता था जो पिछड़े हुये जिले हैं। वहां से मजदूर भर्ती किये जाते थे, उनको काम सिखाया जाता था जिसके लिये सरकार ने बीस केन्द्र कायम किये थे अब उन केन्द्रों को खत्म किया जा रहा है। कहा यह जायगा कि वे तो उनके लिये थे जो फौज से वापिस आये थे। नहीं, ऐसा नहीं था। गत दो वर्षों से वे केन्द्र आम जनता की सेवा कर रहे थे। आप यदि देखें कि जिन जिलों में इन केन्द्रों को तोड़ा गया है उनमें भुखमरी की समस्या है। वे जिले इस प्रकार हैं—

बलिया, अलीगढ़, बनारस, बुलन्दशहर, देहरादून, फतेहगढ़, मथुरा, मिर्जापुर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, सहारनपुर, सीतापुर, आदि आदि।

मैं चाहता हूं कि इस मद को आप किसी न किसी दूसरी मद से पूरा करें और उन लोगों को जिनको रोजगार नहीं मिलता है काम दिलाने की कृपा करें। बेकारी दूर करने के लिये आपने १० लाख रुपया रक्खा है। मैं बहुत ही अदब के साथ जानना चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी कृपया हमें बतायें कि वह १० लाख रुपया किस काम में खर्च किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास ऐसे आदमी नहीं हैं जो काम को समझ सकें, ट्रेनिंग पाये हुये हों। पिछले बजट के सेशन में ग्राइस साहब ने कहा था कि नैनीताल में यह तय पाया था कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाय और ट्रेनिंग के लिये यह निश्चय किया गया था कि उनको गवर्नमेंट टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाय। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ट्रेनिंग को टैक्सटाइल मिलों से शुरू करें और माननीय ग्राइस साहब से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी मिल में इन लोगों को ट्रेनिंग देने की कृपा करें।

इसके अलावा दूसरी ऐसी जगहें भी हैं जहां श्रमिक काम करते हैं लेकिन उनके लिये कोई कायदे और कानून बने हुये नहीं हैं। इन मजदूरों के लिये भी जरूर कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये चाहे वह कंसीलियेशन का हो या एडजूडीकेशन का हो वह हैं, सरकारी कर्मचारी जिनके लिये कोई रास्ता नहीं है। रोडवेज के कर्मचारियों के लिये न तो पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट ही लागू है, और न फैक्टरी ऐक्ट ही लागू है और न कोई दूसरा ऐक्ट ही। ऐसी हालत में उनके लिये भी कोई प्रबन्ध होना निहायत ही जरूरी है।

आपने देखा कि मेहतरों की हड़ताल के संबंध में बार बार सरकार से प्रार्थना की गयी कि इस हड़ताल को वह अपने हाथ में ले ले लेकिन समझ में नहीं आता है कि सरकार की क्या पालिसी है ? शायद उसकी एक ही पालिसी है कि जब चाहे श्रम विभाग से काम ले ले और जब चाहे न ले। आप यह भी देखें कि प्रान्त में अशांति बढ़ती ही चली जा रही है, चाहे वह पटवारियों के नाम पर हों, मास्टरों के नाम पर हो या किसी दूसरे नाम से हो। आज भले ही स्वीपर्स स्ट्राइक को गैर कानूनी करार दे दिया जाय लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिये कि उसकी इस कार्यवाही से असंतोष तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी इन मामलों को अपने हाथ में लें। मैं जानता हूं कि वे इन चीजों को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि मुझे उनके साथ सरकारी और गैरसरकारी दोनों तरीकों से काम करने का मौका मिला है। इसी तरीके से पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों की हालत है। उनकी संख्या भी करीब करीब ४० हजार है। यानी ४० हजार आदमी इस तरह के हैं कि किसी दिन उनके मेट, या मिस्त्री चाहें तो उनको नौकरी से अलग कर दें। उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस का तो इन्तजाम कर दें और उनको वे ही अधिकार मिलें जो कि गवर्नमेंट सरवेंट को मिले हुये हैं।

इस तरीके से अब मैं चाहता हूं कि ज़रा इन मजदूरों की तरफ भी आऊं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी कि वह कमेटी बतलावे कि महंगाई का कितना अंश उनके वेजेज या तनख्वाह में मिला दिया जाय ताकि मजदूरों को आसानी हो। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार के सामने वह रिपोर्ट है। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी इस प्रश्न को भी इस संबे में लें क्योंकि अब वह वक्त आ गया है जब कि कोई आशा नहीं है कि इस तरह की महंगाई फिलहाल कुछ दिनों तक कम हो। उनका मिनिमम वेज २६ रु० तय हुआ है वह असंतोषजनक है और किसी न किसी तरीके से, ऐडजुडिकेशन के जरिये या किसी दूसरे तरीके से इसे बढ़ाया जाना चाहिये। कुछ केसेज में बढ़ाये भी गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप कोई कमेटी मुकर्रर करें जो उसी तरीके से महंगाई भत्ते को तनख्वाह में मिला कर उसका एक स्टैंडर्ड कायम करें।

एक प्रश्न और है और अभी अभी मेरे कुछ साथियों ने यह कहा कि देहात के लोग शहर में भाग भाग कर इसलिये आ रहे हैं कि शहर में उन्हें बड़ा आराम है। मेरे मित्रों को जानना चाहिये कि उसका कारण यह नहीं है बल्कि उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर उनके साथ सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं होता है और जो सुविधायें उनको शहर में हैं वे देहातों में नहीं है। मेरे मित्र जानना चाहते हैं कि यहां उनको क्या सुविधायें हैं। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जब वे देहात से शहर में आते हैं तो समझते हैं कि अब हम अपना सर उठा कर चल सकते हैं, वे समझते हैं कि अब यहां पर किसी का डर या दबाव नहीं है। लेकिन देहात की क्या परिस्थिति है ? मैं भी देहात का ही रहने वाला हूं इसलिये मैं चाहता हूं कि देहात में जो मजदूर रहें उनकी सामाजिक स्थिति को हम ऊंचा उठावें और उनको अपने साथ लेकर चलें, जैसा कि चलना चाहिये।

एक प्रश्न यह है कि कुछ दिन पहले हम एक नारा लगाते थे और हमारे श्रम मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले इस तरह का प्रस्ताव रखा था कि राष्ट्रीयकरण किया जाय। वह प्रस्ताव अब भी कायम है और उस पर धीरे धीरे कार्यवाही हो रही है, यह मैं मानने को तैयार हूं लेकिन अब वह वक्त आ गया है कि जब कि आपका वह नारा पूरा हो गया कि खेत उसी का है जो उसे जोते, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसी तरीके का नारा इंडस्ट्रीज के लिये क्यों न होना चाहिये कि "मिल उसी का जो मिल में काम करे" आवश्यकता इस बात की है, अगर आप चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों को पूरा अधिकार मिले तो चाहे कानून के जरिये हो, चाहे वह आपसी समझौते से हो, आपसी समझौते से तो ऐसे मामले तय होते नहीं, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से जमींदारी के संबंध में किया गया है उसी तरीके से इस तरह का कोई कानून समय के अनुसार बनाया जाय जिसमें फैक्टरी के मजदूरों को भी अधिकार मिले।

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

अब हमारे सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न 'हाउसिंग' का आ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि कानपुर में हाउसिंग का प्रबन्ध किया जा रहा है, लखनऊ में भी थोड़ा सा है और दूसरी जगहों में भी किया जायगा। एक दिक्कत हमारे सामने है कि वे मकान जो बनने वाले हैं या बन रहे हैं उनमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि जिनके लिये ये मकान बनाये जा रहे हैं वे कहां काम करते हैं। हालत यह है कि मकान बहुत दूर बन रहे हैं जहां कि मजदूरों को रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका किराया भी इस तरह का रखा गया है कि उसको मजदूर देने में असमर्थ होंगे। नतीजा यह होगा कि उन मकानों की हालत भी उन्हीं स्लम्प व गन्दे हातों की हो जायगी जैसा कि अक्सर देखने में आता है। तो इस दो तीन बातों को ध्यान में रखना है। एक तो किराया, दूसरे उनके आने जाने का प्रबन्ध और तीसरे उन लोगों के रहन सहन में इस तरह का कोई परिवर्तन न हो जैसा कि अभी ग्राइस साहब ने कहा कि आज रखे जायं और कल उनको अलग कर दिया जाय। एक बात और है वह यह है कि हमारे यहां श्रमिक हितकारी कार्य चल रहा है। इस सम्बन्ध में जो कुछ काम है वह ठीक है लेकिन इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि जो और जगह भी इस तरह का कार्य हो रहा है उन दोनों को एक में मिलायें उसके लिये यह आवश्यक है कि एक बोर्ड बनाया जाय और जो कार्य हो रहा है चाहे वह सरकार की तरफ से हो रहा हो या और जगह जो हो रहा है उसको मिला कर एक कर दिया जाय और वह एक तरीके का काम किया जाय। हालत यह है कि कहीं पर कुछ है और कहीं पर कुछ है। इसके लिये यह कहा जायगा कि एक कमेटी बनी हुई है। मैं समझता हूं कि वह कमेटी इस चीज के लिये नहीं है। इस बात की इसलिये जरूरत है कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कुछ काम हो रहा है, सरकार की तरफ से कुछ काम हो रहा है और कुछ सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से हो रहा है तो इन सब को मिला कर एक कर दिया जाय। इसके बाद मैं फिर इन सब चीजों के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और यह आशा करता हूं कि वह हमारी इन चीजों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे इस अनुदान को बड़े गौर के साथ पढ़ा और उस पर दिये गये भाषण भी बड़े गौर से सुनता रहा। माननीय श्रम मंत्री का भाषण हमने सुना जो उन्होंने इस विषय पर दिया और जो आश्वासन उन्होंने दिया और यह कहा कि मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये उनका प्रयत्न है और वह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दशा को सुधारा जाय इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैंने अभी माननीय जगन्नाथ जी का भाषण भी सुना जो उन्होंने मिल मजदूरों के सम्बन्ध में दिया। उनकी शिकायत है कि मिल मजदूरों की हालत खराब है और मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं हुआ है और यही नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि कोई क़ानून अभी तक ऐसा नहीं बनाया गया जिससे मजदूरों का कोई लाभ हुआ हो। उसी के साथ एक दूसरा भाषण माननीय नारायण दत्त जी का भी सुना जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मजदूरों की भलाई के कानून बने हैं और उक्त कथन का खंडन किया। उन्होंने यह कहा कि मजदूरों की दशा में सुधार करने का प्रयत्न गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। इसके पश्चात् अभी एक भाषण अवस्थी जी का सुना है। उन्होंने मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये बहुत कुछ कहा है। परन्तु मुझे एक बात खटकती रही है और वह यह है कि हमारे देहात के रहने वाले मजदूरों के बारे में बहुत कम कहा गया है। माननीय मंत्री जी ने अवश्य इस बात का आश्वासन दिया कि खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन यानी मजदूरी नियत करने का वह प्रयत्न कर रहे हैं और १२ जिलों के लिये वेतन सम्बन्धी कानून को लागू करने का इशारा भी उन्होंने किया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि १२ जिले कौन से होंगे। ठीक है यह १२ जिलों में लागू किया जायगा। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय

से पूछना चाहता हूं और वह यह है कि क्या आप यह समझते हैं कि न्यूनतम वेतन निश्चित कर देने ही से देहात के खेतिहर मजदूरों का सुधार हो जायगा। मैं इसका उत्तर स्वयं देना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन निश्चित कर देने से उनकी दशा में सुधार नहीं हो सकता है। उनकी दशा में कैसे सुधार किया जा सकता है इस पर विचार करने के लिये अगर आप ध्यानपूर्वक ग़ौर करें तो मैं यह कहूंगा कि जब तक मासेज की दशा में सुधार नहीं होगा जब तक, उनकी पेइंग कैपिसिटी नहीं बढ़ाई जायगी तब तक न्यूनतम वेतन निश्चित कर देने से दशा नही सुधर सकती है। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि क्योंकि मेरा देहात से सम्पर्क है और मैं जानता हूं कि देहात में जितने लोग बसते हैं उन सब लोगों में बहुमत यानी ९९ फीसदी लोग ऐसे हैं कि जिनको दोनों वक्त खाने को नहीं मिलता है। आप कुछ भी मजदूरी निश्चित कर दें लेकिन जब तक मजदूरी देने की जनता की कैपिसिटी नहीं होगी तब तक यह वेतन निश्चित करना बिल्कुल बेकार होगा। देखिये क्या हालत होती है देहातों में। जितने भाषण यहां दिये गये हैं सब में हमारे माननीय सदस्यों ने बतलाया है शहरी मजदूरों के लिये मकान बनवाइये, उनके बच्चों की तालीम का प्रबन्ध कीजिये। क्या माननीय मंत्री महोदय जी ने कभी इस तरफ ध्यान दिया कि देहात के रहने वाले खेतिहर मजदूर की दशा सुधारी जाय। उनके मकानों की दशा देख लीजिये, उनकी मजदूरी की दशा देख लीजिये, उनके बच्चों की शिक्षा की दशा देख लीजिये, उनकी रहन-सहन देख लीजिये। सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो उनकी दशा खराब ही पायेंगे। कुछ थोड़ा सा प्रयत्न मजदूरों और विशेषकर हरिजनों की दशा सुधारने का किया जा रहा है परन्तु मैं कहूंगा कि वह काफी नहीं है। खेतिहर मजदूरों में केवल हरिजन ही नहीं हैं। उनमें अन्य जातियां भी हैं परन्तु मैं यह देखता हूं कि उनकी दशा सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। हर एक खेतिहर मजदूर के लिये आवश्यक है कि उसके लिये मकान बनाये जायं, उसका पूरा खर्चा देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि शहर के मजदूरों को मकान बनवा कर दिये गये हैं। अगर थोड़ी सी सहायता मजदूरों को दी जाय तो वह अपने मकान बनवा सकते हैं। हरिजन विद्यार्थियों के लिए तो आपने फीस माफ की है। लेकिन खेतिहर मजदूर चाहे किसी वर्ग का हो उसके लिये आवश्यक है कि उनके बच्चों की तालीम बिना किसी फीस के हो। उनको पुस्तकें मिलनी चाहिये। जैसा कि अवस्थी जी ने कहा कि अभी यह सही है कि उनको सामाजिक बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन अवस्थी जी भी जानते होंगे और इस सदन के माननीय सदस्य सब जानते हैं कि उनकी सामाजिक दशा में दिन ब दिन फर्क आ रहा है। उनको वही सामाजिक हक दिये जा रहे हैं। यह बड़े से बड़े लोग मानने के लिये तैयार हैं। उसमें तो सुधार हो रहा है और गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं है। लेकिन जो सरकार को करना है वह यह है कि खेतिहर मजदूरों की दशा कैसे सुधारी जाय। उसके लिये वह कोई सक्रिय कदम उठाये। मिलों में, रेलवे में, रोडवेज में जो मजदूर काम करते हैं, यह सब खेतिहर मजदूरों की औलाद हैं। तो फिर खेतिहर मजदूरों की दशा आपको सुधारनी होगी और वह इस तरह नहीं सुधारी जा सकती है कि आप न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दें। उनकी दशा तभी सुधरेगी जब आप उस तरफ ध्यान देंगे। मैंने बजट के आंकड़ों को देखा है। निस्संदेह यह मानना पड़ेगा कि उत्तरोत्तर आपने उन्नति की है और पहले साल से ज्यादा रक़म इसमें रखी गयी है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि २५ लाख की रकम इस मद में बहुत कम है। मैं यह भी जानता हूं कि कठिनाइयां हैं मैं यह महसूस करता हूं कि अधिक रक़म कहां से आये। परन्तु जिस मद से भी हो उस मद से छांट कर मजदूरों की दशा सुधारी जाय और उसके लिये अधिक से अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है क्योंकि मजदूर ही सारे राष्ट्रीय कार्यों को करता है। बिना मजदूरों की दशा सुधारे हुए हम इस मुल्क की उन्नति नहीं कर सकते।

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की तरफ और दिलाना चाहता हूं कि देहात में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे मेहतर वर्ग। यहां शहरों के मेहतरों के लिये हड़ताल होती है। उनके लिये कई जगह मकान भी बनवाये गये हैं। क्या कभी आपने देहात की तरफ भी ध्यान दिया है? देहात में मेहतरों की दशा बहुत खराब है। उनके पास मकान नहीं है। शिक्षा का कोई साधन नहीं है। समय बहुत हो गया है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी से कि खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जावे।

श्री रामलखन (जिला बनारस)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने श्रम विभाग का जो अनुदान पेश है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान क्या दुनिया में मजदूर राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है लेकिन जब हमने इस बजट को देखा तो यह देखा कि जो मजदूर कि राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है उसके उत्थान के लिये यहां जो बजट रखा गया है वह तो उसकी और मखौल उड़ाई गई है। हमारे जितने नेता हैं वह सब कहते हैं कि देश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिये देश का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जहां कल-कारखानों का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है वहां खेती के द्वारा भी उत्पादन बढ़ाना उतना ही जरूरी है। जब हम इस कसौटी पर कस कर अपने बजट को देखते हैं तो हंसी आती है। एक तरफ तो इस तरह बजट दिया जाता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाओ लेकिन जिनके हाथों में देश का उत्पादन बढ़ाना है और जिनको सुखी और समृद्धिशाली बनाने का भार दिया जाता है उन्हीं की उपेक्षा की जाती है। जहां ७८ करोड़ का बजट है उसमें २५ लाख का बजट मजदूरों के उत्थान के लिये रखना, इससे न तो देश का उत्पादन बढ़ सकता है और न देश आगे बढ़ सकता है। अगर देश के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें अपने सूबे के बजट में से अधिक से अधिक रुपया मजदूरों की सुविधाओं पर खर्च करना चाहिये। सरकार अभी तक हमारे कारखानों के मजदूरों को ही ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की ओर अग्रसर रही है लेकिन वहां जितने लोग काम करते हैं वह हमारी आबादी का केवल १ फीसदी मात्र हैं लेकिन हमारे सूबे में जहां ६ करोड़ की आबादी है उनमें से करीब १ करोड़ खेतिहर मजदूर हैं जिनकी रोजी खेतों में काम करने पर हासिल होती है और जिनको केवल सेर भर या तीन पाव मजदूरी मिलती है और जितने भाई यहां हैं और जो देहातों से आते हैं वह सब जानते हैं कि इससे अधिक उचित मांग भी वह सामने नहीं रख सकते हैं। जो लोग खेतिहर मजदूरों का संगठन करने वाले लोग हैं उनको भी कम्यूनिस्ट कह कर और ग्रामीण शान्ति में खतरा पैदा करने वाला बता कर बदनाम किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने सिवा इसके और कोई चारा नहीं है कि उनको जो कुछ भी मिलता है उसी में अपनी गुजर करें, और कोई रास्ता उनके सामने नहीं रह जाता है। जिस मजदूर को आज सेर भर मिलता है वह कैसे अपने बच्चों को पढ़ाये, मकान बनाये और दवा दारू का इन्तजाम करे। यह आज की परिस्थिति है कि काम करने वाला भूखा है और कपड़ा बनाने वाला चिथड़े लपेटता है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं और मजदूरों का उत्थान करना चाहते हैं उससे काम नहीं चल सकता। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि माननीय लालबहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारे देश में केवल गल्ला मंगाने में जो खर्च होता है उसमें सिर्फ ट्रान्सपोर्ट चार्जेज पर ६० करोड़ रुपया खर्च होता है लेकिन दुःख की बात है कि यहां पर गल्ला पैदा करने वालों की उपेक्षा की जाती है। ११–१२ जिलों में खेतिहर मजदूरों की यूनियनें संगठित की जा रही हैं लेकिन वह वहीं की जा रही हैं कि जहां पर बड़े बड़े सरकारी फार्म हैं लेकिन जो और लाखों गांवों में खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये कुछ नहीं हो रहा है। हमारे कुछ भाइयों ने बताया कि जितने हट्टे-कट्टे लोग हैं शहरों में

चले आ रहे हैं और देहात में मजदूरों की निहायत कमी है। लेकिन आपको देहातों में लेबर कहां से मिले क्योंकि उनको तो कोदो और सावां खाने को मिलता है। सरकार की स्कीम चलती है कि अधिक गल्ला पैदा करो, लेकिन जब पैदा करने वालों को खाने को नहीं मिले, उसके बदन में दम नहीं हो, और उसका पेट हड्डी में लगा हो तो अधिक गल्ला कहां से पैदा हो? मैं तो कहता हूं कि जब तक खेतिहर मजदूर की समस्या हल नहीं होगी तब तक आप किसी भी इरीगेशन की योजनायें बनावें, कितना भी प्रोपेगेंडा पर खर्च करें अधिक अन्न नहीं पैदा होगा। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधायें खेतिहर मजदूरों को दें।

जहां तक मजदूरी बढ़ाने का सवाल है मैं भी मिश्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मजदूरी बढ़ाने से ही खेतिहर मजदूरों की समस्या हल नहीं होगी और न मिनिमम वेजज ऐक्ट को ही लागू करने से उनकी समस्या हल होगी। समस्या तो सब से बड़ी उनके सामने यह है कि जहां १० मजदूरों की जरूरत है वहां १०० मजदूर मौजूद हैं। तो जब तक १०० मजदूरों के लिये काम न हो तब तक आप भले ही लाख मजदूरी बढ़ाइये परन्तु वास्तव में वह नहीं बढ़ सकती। हमें पहले यह सोचना चाहिये कि जो सरप्लस लेबर खेतों में पड़ा हुआ है जो अब एक भार के रूप में है उसे हम किस तरह से काम में लगायें। कानून तो बहुत से ऐसे बने हैं जो कानूनों की पुस्तकों में शोभा बढ़ा रहे हैं मगर हमारी असली समस्या तो यही है कि सरप्लस लेबर को कैसे काम में लगाया जाय। जब तक इसका हल नहीं होगा तब तक हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती है। जितने भी सरकारी काम हैं उनके लिये मजदूरों की सोसाइटियां बनानी चाहिये जिन पर सुपरवीजन सरकार का हो। जितने भी इमारत के काम हैं, सड़कों के काम हैं या मकान बनाने के काम हैं वह सब इन सोसायटीज को मिलने चाहियें ताकि वह सरप्लस लेबर वहां जाकर काम करे। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं समझता हूं कि कानून मात्र बनाने से समस्या हल नहीं होगी।

अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। हमारे सूबे में मेहतर भाइयों की परिस्थिति को देखिये। उनके लिये आदर्श बस्ती बनाई जाती है, कहां? जहां म्यूनिसिपैलिटी की टट्टी है। उसे आदर्श कहा जाता है और उसमें केवल एक कमरा और एक छोटा सा बरामदा होता है। उसके बीबी, बच्चे और यदि कोई छोटा मोटा जानवर हो तो वह सब उसी में रहते हैं। हमारे वे भाई सारे शहर की सफ़ाई करते हैं। चूंकि दिन भर गन्दी वायु में परिश्रम करते हैं इसलिये उनके मकान भी ऐसी ही जगह में बनाये जाते हैं ताकि उन्हें स्वच्छ हवा और जलवायु मिलना मुश्किल हो जाय। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहूंगा कि जैसे और बस्तियां बसाने के समय आप सोचते हैं कि हवा और पानी साफ मिलना चाहिये तो उसी खयाल से मेहतरों की भी बस्तियां बसायी जावें। पैसा तो खर्च किया जाता है लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं जाता है कि उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद मैं खेतिहर मजदूरों के मकानों के बारे में बोलना चाहता हूं। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जितना पैसा उनके पास होगा उसी के अनुसार वे अपने मकान बनवायेंगे।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उसीके अनुसार वह अपन सारा कारोबार करेंगे। जब जमीन ही नहीं है तो घर कहां से बनाएं। वह तो काम करते हैं, अगर हल छोड़ दें तो घर से निकाल दिये जायं। तो कानूनन तो अख्तियार दे रखा है कि जो जमीन कोई आबाद हो तो वह उसके कब्जे में रहेगी लेकिन डंडे के बल से वह भगाये जाते हैं कि तुम अधिक मजदूरी मांगते हो, इसलिये हमारी जमीन छोड़ कर चले जाओ। इसलिये खेतिहर मजदूरों के मकान बनाने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। क्योंकि जहां वह इतना परिश्रम करते हैं, गरमी और वर्षा में दिन भर परिश्रम करने के बाद वह कम से कम रात को सो तो सकें। वर्षा में दिन भर तो

[श्री रामलखन]

काम किया और शाम को जब वह घर आये तो घर में पानी फैल रहा है। गरमी में काम करने के बाद घर आये तो घर पर फूंस ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें उनके सामाजिक जीवन को वास्तव में उठाना है तो हर प्रकार से खेतिहर मजदूरों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और जो सरप्लस लेबर है उसको दूसरी तरफ खींच कर उसको काम देना पड़ेगा।

श्री कमाल अहमद रिजवी (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सभी मानते हैं और शायद हमारे माननीय मंत्री जी भी मानें कि २५ लाख रुपया जो मजदूरों की हालत सुधारने के लिये रखा गया है वह जरूर कम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहूंगा कि सरकार ने दो एक कदम बहुत सही तरफ उठाये हैं। जैसे लेबर हाउसिंग के लिये सरकार सोच रही है और उसके अनुसार बहुत से मकान बन रहे हैं और आगे भी बनने की आशा है। इसके अलावा कम्पलसरी इंश्योरेंस की स्कीम, जो है इससे आगे चल कर मजदूरों को काफी फायदा पहुंचने वाला है और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह दोनों मुफीद चीजें हैं।

मुझे खास तौर से दो एक बातें जो कहनी हैं वह एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में है जैसा कि हमारे भाई अवस्थी जी ने कहा था कि २४५ हजार की रकम इसमें से जो उनको मिलती थी वह काट दी गयी है, मैं उसकी तरफ सरकार का और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा तो यह विश्वास है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज की इस डिपार्टमेंट की जो कार्यवाही वे लोग कर रहे हैं उसका होना हमारे सूबे में इस बात की खुद दलील है कि हमारा सूबा बहुत प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) सूबा है और यह भी मैं मानता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी एक प्रगतिशील इन्सान हैं और यह बात इसी लिये और ग़लत मालूम होती है कि सम्पूर्णानन्द जी के होते हुए एम्पलायमेंट एक्सचेंज जैसी एक प्रगतिशील चीज को खत्म किया जाय। यह अच्छा नहीं मालूम होता है।

अभी लेबर डिपार्टमेंट पर जो गवर्नमेंट की किताब छपी उस को मैंने पढ़ा। उस में एम्पलायमेंट एक्सचेंज की काफी सराहना की गयी है और जो कुछ उस ने काम किया है उसकी भी तारीफ की गयी है। अभी थोड़े दिन हुये जब इन तारीकों के सुनने के बाद यह पढ़ा कि ढाई लाख रुपया की ग्रांट बन्द कर दी गयी तो यह समझ में नहीं आया कि यह तारीफें दिखाने के लिये थीं या उस एम्पलायमेंट एक्सचेंज की कुछ यूटिलिटी भी है। अगर उसकी कोई यूटिलिटी है तो उसको चलना चाहिये।

अभी हाउस में जब जनरल डिस्कशन हो रहा था तो माननीय शाहिद फाखरी साहब ने एक सजेशन दिया था कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द कर दें और उसका रुपया दूसरी मदों में लगाया जाय। मुझे बहुत अफसोस है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज क्या चीज है, किस तरह से उसको चलाना चाहिये और उसका क्या काम है उसको माननीय सदस्य समझे नहीं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके साथ ही १० लाख की मद रखी गयी है अन एम्पलायमेंट को दूर करने के लिये। दोनों चीजें एक साथ समझ में नहीं आती हैं। एक तरफ तो अन एम्पलायमेंट दूर करने के लिये १० लाख रुपये की रकम रखी जाती है और दूसरी तरफ बना-बनाया एम्पलायमेंट एक्सचेंज खत्म किया जाता है और एक तरह से अनएम्पलायमेंट क्रियेट किया जाता है। यह बात समझ में नहीं आती है। अभी मालूम हुआ कि २० एम्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द हो रहे हैं जिस से करीब दो तीन सौ आदमी बेकार हो जायेंगे। तो यह समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो एम्पलायमेंट देने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ एम्पलायमेंट लिया जाता है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज के काम करने वाले आदमी जो कल तक एम्पलायमेंट दिया करते थे आज वह खुद बेरोजगार होंगे तो सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस तरफ सोचेंगे और जो गलती इस बजट

में हो रही है या जानबूझ कर की गयी है उसकी तरफ ध्यान देंगे और एम्पलायमेंट एक्सचेंज, ऐसी संस्था जो काफी मुफीद काम कर रही है, उसको कायम रखने में हमारे माननीय मंत्री जी काफी ध्यान देंगे।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर, जिस अनुदान पर विचार करने के लिये हम खड़े हुये हैं वह श्रम अनुदान है। यह विषय बड़ा गम्भीर है। विचार किया जाय तो यह मजदूर वे हैं जिन्होंने इस भारत का ही नहीं सम्पूर्ण संसार का निर्माण किया है कितने ही पहाड़ों को काट काटकर मैदान बना दिये। मनुष्यों के रहने के लिये निवास स्थान बना दिये, सड़कें बनाईं, जिस हाउस में हम बैठे हुये हैं वह हाउस भी मजदूरों का बनाया हुआ है, जितने भी काम हैं उन सब का निर्माण मजदूरों ने किया है। बड़ी बड़ी मिलें और बिल्डिंग्स बनी हुई है, नहरें खुदीं, बड़े बड़े खेत खोद डाले गये यह सारे काम मजदूरों ने ही किये हैं, लेकिन वही मजदूर जिसने कि इन सारी चीजों को बनाया है और इस दुनिया का निर्माण किया है उसी मजदूर के रहने के लिये मकान नहीं है, उसके खाने के लिये, उसके पहिनने के लिये, उसके बैठने के लिये उसकी हर जरूरत की चीज की उसे दिक्कत है, उसके लिये बहुत कम ध्यान हम लोग देते हैं। हम लोगों के कहने का अर्थ यह कि हम जिस समाज में निवास करते हैं उस समाज में उसका कोई ऊंचा स्थान नहीं है। जो गांवों में देहातों के अन्दर इस तरह का काम करने वाले लोग हैं, दरजी, धोबी, आपके जाटव, मेहतर, भंगी आदि यह बिलकुल छोटे समझे जाते हैं। और जो निकम्मे लोग हैं जो बिलकुल काम नहीं करते वे बड़े आदमी बोले जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें विचार करना है वह अनुदानों के लिये ही नहीं वह तो स्वीकृति हो ही जायगा। बल्कि सब से पहले हमें अपनी मनोवृत्ति बदलने की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो हम लोगों के रहने के लिये स्थान देता है, खाने की वस्तुयें देता है, जो हम लोगों का पानी भरता है, हमारे लिये कपड़े बनाता है, हमारे जूते बनाता है, और हमारी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति की सामग्री तैयार करता है उस मजदूर के लिये हम बहुत कम ध्यान देते हैं और अपने लिये बहुत ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हमें इस तरफ ध्यान देना है। जिन समस्याओं पर हम विचार करने के लिये बैठे हैं उनमें हम इतना ही कर दें कि जिस मजदूर की बनायी हुई चीजों का हम प्रयोग करते हैं, उनका भोग करते हैं उस मजदूर के लिये हम यह भी व्यवस्था कर दें देहात २ में, जिस तरह से कि श्री बृजबिहारी मिश्र जी ने आपके सामने पेश किया कि मिनिमम वेजेज तय कर दिये जायं तो उससे मजदूरों के लिये कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों एकड़ जमीन आप देखें तो सड़कों के किनारे बेकार पड़ी हुई हैं और वह जमीन उनको दे दी जाय, कोआपरेटिव बेसिस पर अगर हम जमीनों का बटवारा करें, उसका अच्छी तरह से निर्माण करके अगर मजदूरों के सहयोग की व्यवस्था की जाय तो हम बहुत बड़ा काम इन भूमिहीन किसानों लिये कर सकते हैं। वैसे तो कई विभागों की तरफ से कुछ न कुछ व्यवस्था उनकी दशा सुधारने के लिये भी की जाती है। परन्तु यदि हम कुटीर उद्योग द्वारा देहात में ऐसा कर सकें और ग्राम सभाओं के द्वारा या और किसी अन्य संस्था के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें खेती से बचे हुये उनके समय का उपयोग कर सकें और छोटे छोटे काम करके कुछ पैसा दैनिक कमा सकें तो यह उनके लिये सुविधा और राहत की बात होगी। लोग कहते हैं कि तमाम लोग देहातों से भाग कर शहरों में आते हैं क्योंकि उनके रहने वगैरह की व्यवस्था अच्छी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले समस्या पेट की है, मकान की समस्या बाद में आती है। मजदूरों को खाने के लिये रोटी नहीं है। बड़े बड़े आदमियों के पास एक एक हजार और पांच पांच हजार एकड़ जमीन मौजूद है, खेतिहर मजदूर के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है। हम इस बात के लिये श्री बिनोवा भावे को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक इस तरह की भावना तो पैदा की कि हम अपनी जमीन का कुछ भाग उन लोगों को दें जो कि खेतिहर मजदूर हैं या भूमिहीन किसान हैं। अगर इस तरह की बातें व्यवहार में हों जिनसे हमारा दिमाग बदले और सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश हो तो लोगों का दिमाग बदले

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

तभी हम कुछ कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से मजदूर बस्तियों के निर्माण का बजट रखा गया है कि कानपुर और लखनऊ में तो मजदूरों के मकानों की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके अलावा भी दूसरे शहर हैं जहां हजार दो हजार मजदूर रहते हैं वहां भी उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या प्रांविशियल गवर्नमेंट से कुछ और स्कीम इस मद में निकल सकती हो तो उन जगहों पर जहां मजदूरों के मकानों की किल्लत है मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा ये जितने केसेज मजदूरों और मालिकों के संबंध में चलते हैं उनके लिये एक कन्सीलियेशन अफसर तथा स्टेट ट्राइब्यूनल हैं। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी व्यवस्था है वह ठीक है हमारे उत्तर प्रदेश का काम दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा है। और जहां जहां पर इसकी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं वह भी ठीक हैं, लेकिन जब मजदूर का प्रश्न आता है तब एक तरह से बात की जाती है और जब मिल मालिक का प्रश्न आता है तब दूसरी तरह से बात की जाती है। अगर किसी मिल मालिक पर मजदूरों का दो महीने, चार महीने या छै महीने की मजदूरी बकाया है और वे अपना रुपया मांगते हैं तो यह कहा जाता है कि ला एन्ड आर्डर तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक ही आदमी की वजह से अगर हजारों आदमियों को परेशानी हो, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में विचार करना चाहिये। वैसे आप के यहां नियम बने हुये हैं कि प्रति महीने की ७ तारीख तक हर मिल में तनख्वाह बंट जानी चाहिये लेकिन कहीं कहीं लोगों की तनख्वाह तीन तीन और छै छै महीने की बाकी रह जाती है। मैं अपने यहां के हाथरस के दो मिलों के बारे में जानता हूं। एक मिल सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रही है, जिस में १ लाख ६५ हजार के करीब मजदूरों की वेजेज बाकी हैं। कुल मिलाकर इधर दो वर्षों में १३ महीने मिल बन्द रहा है। वह अनइकोनामिक मिल हो गया है और इसका कारण यह है कि छै-छै महीने मिल बन्द रहता है, मजदूर तो खाली बैठे रहते हैं काम नहीं मिलता फिर भी उनको मजदूरी दी जाती है। हमारा मतलब यह नहीं है कि बैठे-बैठे मजदूरों को मजदूरी दी जाय, परन्तु मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि मजदूरों को पारिश्रमिक समय से दिया जाय और उनसे काम लिया जाय। कोई ऐसा मिल न चलने दिया जाय जिसमें बराबर हानि हो। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में कोई मिल हो और वह प्रांविशल गवर्नमेंट की देख-रेख में चल रहा हो, तो उसमें इस प्रकार कार्य किया जाय कि लोगों के ऊपर इस बात का प्रभाव न पड़े ये अच्छा नहीं है। जो व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है वह खराब हो जाती है। पहले जो मिल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाते थे वे सुधर जाते थे, लेकिन अब अगर कोई मिल गवर्नमेंट के नियंत्रण में चला जाय और वह सुधरने के बजाय खराब हो जाय, तो जनता पर उसका क्या प्रभाव होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में सुधार करने की पूरी व्यवस्था शीघ्र की जाय। एक हफ्ता पहले मैंने माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि हमारे यहां यह व्यवस्था है। उन्होंने विशेष ध्यान देकर और बड़ी कृपा करके डिप्टी लेबर कमिश्नर को इंक्वायरी के लिये भेजा। उन्होंने वहां सब पार्टियों को बुला करके सब बातें मालूम कीं अब उनकी रिपोर्ट के आने पर कुछ न कुछ अवश्य होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां दूसरा रामचन्द न्यू काटन मिल्स है। वहां पर भी करीब करीब ३ महीने की मजदूरों की तनख्वाहें बाकी है। पिछले अप्रैल से लेकर जुलाई दो तक तनख्वाह नहीं दी गयी। बहुत कोशिश हुई, फिर वह केस अदालत गया और वहां से उक्त निर्धारित समय की डिग्री हुई, वह केस अभी अपील में है। उसके बारे में मुझे कोई खास शिकायत नहीं है क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो रही है। हो सकता है जैसा कि बताया जाता है कि मिलों में कोई मुनाफा नहीं हो रहा हो, स्लम्प आगया है, गांठें ढेर पड़ी हुई हैं, वह उठती नहीं हैं लेकिन मजदूर इन सब बातों को नहीं जानता है। दीपावली के दिन मजदूर अपने घरों

में दीपक जला सके और पूड़ी तो दूर रही, रोटी का भी प्रबन्ध नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, और अब उसे उधार भी नहीं मिलता। मैं चाहता यह हूं कि इन समस्याओं को किसी न किसी तरह से और जल्द से जल्द हल किया जाय। जब गम्भीर समस्यायें बढ़ती हैं तब यह कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टियां आकर के उपद्रव करती हैं। इसलिये चाहे गवर्नमेंट की तरफ से किया जाय चाहे किसी की तरफ से किया जाय मजदूरों को पारिश्रमिक जल्द से जल्द मिलना चाहिये।

एक बात और भी जरूरी है और वह यह है कि जब मजदूरों और मिल मालिकों के झगड़े का सवाल आता है तो मैं यह उचित समझता हूं कि जो काम काज के मसले हों उनके लिये एक कामन कमेटी बनायी जाय जिसमें मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव हों और मिल मालिकों के रिप्रेजेन्टेटिव हों। जब ऐसा किया जायगा तभी मजदूर भी अपनी भावनाओं, अपने ख्यालात और जो समस्यायें उसके सामने होती हैं उनको उस कमेटी के सामने अच्छी तरह से रख सकेगा।

चूंकि लाल झंडी आगयी है, इसलिये इतनी ही बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं कि जिन मिलों ने बहुत से प्ले आफ किये हैं और छुट्टियों के दिन काट लिये हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को पारिश्रमिक कम मिला है, उसके मुताल्लिक अगर कोई ऐक्ट बदलने की जरूरत हो तो ऐक्ट में तब्दीली करने की कोशिश की जाय।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस समय सदन के सामने जो अनुदान प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही प्रान्त के खेतिहर मजदूरों की दशा पर प्रकाश डालते हुए माननीय श्रम मंत्री महोदय से यह आशा करता हूं कि वह भविष्य में सरकार की नीति निर्धारित करते समय उन सुझावों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। जहां तक औद्योगिक मजदूरों की स्थिति के सुधार का संबंध है उसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय की मजदूरों के प्रति सहानुभूति, हमदर्दी और उन्होंने अपने मजदूरों के बीच कार्य के अनुभव के आधार पर जो सुधार किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और भविष्य में भी मिलों के मजदूरों के लिये जो योजनायें सरकार की ओर से बनी हैं या जिन योजनाओं की सफलता की आशा है उनके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु जब हम ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों की ओर दृष्टि डालते हैं और उनको देखते हैं तब एक बड़ी निराशा सी होती है कि आखिर यह अभी तक देहात के रहने वाले खेतिहर मजदूर हमारे माननीय श्रम मंत्री महोदय की दृष्टि से किस कारणवश ओझल रह गये हैं। उनकी ओर आजतक जबकि लगातार कई वर्षों से मजदूरों के सौभाग्य से श्रम विभाग हमारे माननीय मंत्री महोदय जैसे मजदूरों से प्रेम रखने वाले व्यक्ति के हाथ में हो और फिर भी हमारे प्रान्त के खेतिहर मजदूर इतने लम्बे समय में कोई लाभ इस सरकार से न उठा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय आज प्रान्त के खेतिहर मजदूरों की जो दशा है उसका चित्रण किसी व्याख्यान द्वारा नहीं खींचा जा सकता और इस वर्ष तो उनकी दशा विशेष रूप से दयनीय हो गयी है। उसका कारण भी छुपा नहीं है। कुछ जिलों में वर्षा की कमी के कारण किसानों की हालत उनकी पैदावार कम होने की वजह से खराब हुई है और खेतिहर मजदूर इन्हीं किसानों की उन्नति और अवनति पर निर्भर रहते हैं। आज देहात के किसानों में बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिन के यहां होली जैसे त्योहार पर खाना नहीं बना। मैं आज ही अपने क्षेत्र से लौट कर आया हूं तो फिर अब यह विचारने की बात होती है कि फिर उन खेतिहर मजदूरों की जो किसानों पर जिन्दा थे उनकी आखिर क्या दशा होगी। मैंने तो देहात में घूम कर देखा बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको आज एक समय भोजन मिल रहा है। फिर वह खेतिहर मजदूर जो उनके यहां से लेकर खाते थे आखिर उनकी क्या दशा हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से यदि खेतिहर मजदूरों की स्थिति पर विचार किया जाय तो आज समाज में जितने दुखी खेतिहर मजदूर हैं उतना दुखी कोई भी नहीं है।

[श्री महीलाल]

आज उनकी समस्या को हल करने के लिये एक बात सोची गई है कि उनकी निम्नतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाय। यह व्यवस्था उन मजदूरों के लिये जो बड़े-बड़े कृषि फार्मों के मालिकों के यहां कार्य करते हैं मिनिमम वेजेज ऐक्ट मुकर्रर करने की बात ठीक हो सकती है लेकिन जहां रोजगार नहीं है वहां अगर मजदूरी निर्धारित भी कर दी जाय तो भी मैं नहीं समझता कि उससे उन लोगों को क्या लाभ होगा? आज हमारे प्रान्त का जो एक करोड़ खेतिहर मजदूर है वे देहातों में खेती की उन्नति करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनकी हालत तो किसानों की अच्छी बुरी हालत होने पर ही निर्भर है। तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार कैसे आज खेतिहर मजदूरों की दशा से अनभिज्ञ होगी। लेकिन फिर भी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की ओर से कोई कदम खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये नहीं उठाया गया है। कपड़े को छोड़िये और मकान को छोड़िये आज खेतिहर मजदूरों के खाने की समस्या ऐसी है कि उनको एक वक्त नहीं, दो वक्त नहीं बल्कि लगातार कई-कई वक्त तक भोजन नहीं मिलता है। उनके छः छः साल के बच्चे, स्त्रियाँ, बड़े व छोटे सब काम करते हैं, युवक तथा बच्चे सब काम में लगे रहते हैं फिर भी उनका पेट नहीं भरता। तो जहां एक ओर मिल के मजदूरों की हालत सुधारने के लिये सरकार का ध्यान रहता है तो उनकी ओर भी विशेष रूप से सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत देहातों में बसने वाले मजदूरों के लिये बंजर भूमि की एक सुविधा दी है। लेकिन मैं सरकार को बता दूं कि जितने बंजर देहात में थे उनको बड़े छोटे सभी जमींदारों ने, जो गांवों में अथवा शहरों में रहते हैं केवल बंजर भूमि को ही नहीं बल्कि देवी-देवताओं के स्थानों तक को नहीं छोड़ा है उन्होंने सब को बेंच कर रुपया अपने घरों में रखा है। आज देहातों में बंजर बाकी नहीं है और अगर हैं भी तो जमींदार अपने ट्रेक्टर्स या दूसरे साधनों से उसको तुड़वा रहे हैं खेतिहर मजदूरों को भूमि नहीं मिलेगी इसके बाद अगर हम कार्यकर्त्ता खेतिहर मजदूरों में जाकर कोई भी ऐसी बात पैदा करते हैं तो चाहे अच्छे से अच्छा कार्यकर्त्ता हो चाहे अहिंसा का ही पुजारी हो उसपर हिंसा का लांछन लगाया जाता है और कहा जाता है कि ये कम्युनिस्टों से मिलकर मजदूरों को भड़काने चले हैं। तो मैं माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि खेतिहर मजदूर हमारे समाज रूपी महल की नींव है और यह अगर कमजोर हो जायगा तो पूरा समाज कमजोर हो जायगा। जो हमारी सरकार इस बात का दावा करती है कि वह जनता की है और जनता के भले के लिये ही काम करती है वह भी गलत हो जायगा। माननीय श्रम मंत्री ने एक बार कहा था कि खेतिहर मजदूरों का कोई संगठन नहीं है इसलिये उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। यह ठीक है। यह उनका दुर्भाग्य था कि लोगों का ध्यान उनकी ओर नहीं गया और उनका कोई संगठन नहीं बन पाया। मिल के मजदूरों को यह सुविधा भी थी कि वे एक जगह मिल जाते हैं और उनको समाज सुधार की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टिकोण से कहिये उनका संगठन बनाकर और हड़तालें कराकर इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता था और स्वभावतः उस तरफ लोगों का ध्यान चला जाता था। लेकिन दुख का विषय है कि उन खेतिहर मजदूरों का कोई ऐसा संगठन नहीं बन पाया। परन्तु आज सदन के माननीय सदस्यों के जो भाषण हुये हैं उनको सुनने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस सदन के जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं सभी ने खेतिहर मजदूरों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। मैं आशा करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री महोदय भूमि के संबंध में और दूसरी सुविधाओं के संबंध में अपना ध्यान दें जिससे उनके मकान की, रहने सहने की खाने की और पहनने की समस्या हल हो सके, इस प्रकार का वह कोई अवश्य कदम उठायेंगे।

इसके साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि केवल दो मिनट मुझको और प्रदान कर दिये जायं जिन में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के संबंध में माननीय मंत्री महोदय तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का संबंध है मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने भाषणों में इसकी प्रशंसा की है और लोग हमेशा इसकी सराहना करते रहे हैं। फिर

समझ में नहीं आता है कि इस विभाग में रुपया क्यों कम किया गया है। जबकि खेतिहर मजदूरों को मौका मिलता था कि मिलों में जाकर नौकर हो जाते थे। मैं समझता हूं कि अगर यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को तोड़ दिया गया तो फिर सर्विसेज के देने में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वहां के अधिकारी जिनको, नियुक्ति करने के अधिकार हैं वह अपनी मनमानी करेंगे और उन्हीं लोगों को नौकरी में रखेंगे जो उनके निकटवर्ती होंगे और इसके अतिरिक्त योग्य कार्यकर्त्ता सरकार को नहीं मिलेंगे और ईमानदारी के साथ नौकरियों में चुनाव नहीं होगा और ऐसे लोग जिनके पास सिफारिशें नहीं होंगी, वह नौकरी नहीं पा सकेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सवा बजे से पहले और सवा दो बजे के बाद के वातावरण में आकाश पाताल का फ़र्क़ है सवा बजे से पहले जिस समय पुलिस बजट पर विचार हो रहा था, ऐसा मालूम होता था कि दो फौजें एक दूसरे से लड़ने के लिये आमने-सामने खड़ी हैं, एक-दूसरे को हराने के लिये सामने खड़ी हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा वातावरण है जिससे प्रतीत होता है कि जो लोग यहां हैं वह अच्छे काम में कामरेड्स हैं, साथी हैं और उन सब की एक ही काम में दिलचस्पी है और एक दूसरे को इस प्रकार से सलाह मश्विरा देते हैं जिसमें सब की एक ही प्रकार की लग्न है और सफलतापूर्वक काम होगा।

जिन लोगों के भाषण हुये हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ काम और कुछ अधिक व्यापक क्षेत्र में मजदूरों के बीच में काम कर चुके हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं वह अपने अनुभव के आधार पर कही हैं, जिनका बहुत काफ़ी मूल्य है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूं कि कहने वाले स्वयं उन पर विचार करें तो देखेंगे कि उनकी बातें विशेष प्रासंगिक नहीं हैं।

देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिये, इसका संगठन कैसे होना चाहिये इसके विषय में मैं अपनी राय पहले दे चुका हूं और अन्य लोग भी दे चुके हैं। श्रम-अनुदान के संबंध में इस पर विस्तार के साथ कुछ कहना न तो उचित ही होगा और न उपयुक्त ही होगा।

खेतिहर मजदूरों का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। एक मित्र ने कहा कि उनको इस बजट को देख कर हंसी मालूम हुई कि कुल इसमें २५ लाख रुपये का बजट है। मैं अपने दुर्भाग्य को बतलाता हूं। मुझे उनकी स्पीच को सुन कर रोना आया। उन्होंने गौर किया होता, विचार किया होता और तब वह अपनी राय देते तो अच्छा होता। उनका अध्ययन कितनी दूर पहुंचता है यह उससे मालूम होता है कि उन्होंने कहा कि १२ जिलों में गवर्नमेंट यूनियन बना रही है। गवर्नमेंट यूनियन बनाने वाली कौन होती है। हमने तो यह कहा था कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के १२ जिलों में मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने जा रही है। लेकिन उसकी समझ में यह बात आयी कि गवर्नमेंट १२ जिलों में यूनियन बना रही है। इसका मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने यह बतलाया होता कि २५ लाख रुपयों के बदले ५० लाख, ७५ लाख या इतने करोड़ रुपये होने चाहिये और फलां-फलां बातें मजदूरों के लिये छोड़ दी गयी हैं। मजदूरों के लिये यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, देहात में काम करने वालों के लिये यह होना चाहिये। यह सब बातें होना चाहिये थीं। लेकिन यह चीज लेबर के बजट में कैसे आ जाती है कि २५ लाख के बदले इतना कैसे हो जाता है। अगर यह चीजें बतलायी जातीं तो मुझे कुछ मदद मिलती, इस आलोचना से। एक मित्र ने खेतिहर मजदूरों के बारे में बहुत सी बातें कहीं और वे ऐसी बातें हैं जिनसे इस प्रदेश के लोग परिचित हैं। वे जानते हैं कि वह चीज बिल्कुल १६ आने सही है लेकिन सोचना यह चाहिये कि वे कहां तक व्यावहारिक हैं। थ्योरी की दृष्टि से जरूर उन बातों को ओझल न कर देना चाहिये। थ्योरी ही एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस को गाइड करती है लेकिन थ्योरी के क्षेत्र में बहुत किया जाय तो आदमी आकाश में उड़ने लगता है और उससे उसकी वही गति होती है जैसे पतंग की गति होती है जिसकी डोर नीचे से कटी होती है और वह हवा में उड़ती है। खेतिहर मजदूरों की दशा बहुत खराब है लेकिन काश्तकारों की हालत भी अच्छी नहीं है। बहुत से काश्तकारो की होली के अवसर पर अपने बच्चों को तेल की पूड़ी खिलाने की सामर्थ्य नहीं थी, एक वक्त बहुतों को खाना भी नहीं मिल सका तो वह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

काश्तकार फिर अपने मजदूरों को क्या देंगे। काश्तकार अपने मजदूरों को मजदूरी देने में शरारत कर सकता है लेकिन अपने बच्चों को तेल की पूड़ी खिलाने में शरारत नहीं कर सकता। जब उस काश्तकार के पास पैसा नहीं होगा तो सोचने की बात है कि जब एम्पलायर की हालत ऐसी है तो एम्पलाई की हालत क्या होगी। हमको सुझाव देना चाहिये कि ये जो १ करोड़ काश्तकार हैं या ५० लाख मजदूर हैं उनकी दशा सुधारनी चाहिये। उनकी हालत नहीं सुधरती और जो खुद होली में अपने बच्चों को तेल की पूड़ी नहीं खिला सकते या पेट भर खाना नहीं खा सकते उनसे कैसे यह कहा जाय कि तुम अपने मजदूरों को इतनी वेजेज दो। जब तक हम इस बात का जिम्मा न लें कि जो इम्पलाइज हैं उनको कुछ मिनिमम वेजेज दिलवा सकें उस वक्त यह कहना कि अगले बजट में सब के लिये मकानों का इन्तजाम करा दो यह व्यावहारिक बात नहीं है। हां, यह जरूर होना चाहिये जैसे हो कि कोई एक डिसेंट लिविंग वेज दिलवाने का प्रबन्ध जरूर होना चाहिये। जब यह चीज हो जाय तब दूसरी बातों की ओर सोचना चाहिये। यह भी कोई आसान मसला नहीं है। करोड़ों आदमी तमाम सूबे में फैले हुये हैं। उनके लड़कों की फीस माफ कर दी जाय और उनके लिये मकान बनवा दिये जायं, जितनी उदारता दिखलायी जा सके उसे दिखलाया जाय, लेकिन सोचना यह है कि जो प्रदेश के बजट हैं, जो प्रदेश के साधन हैं, पंचवर्षीय योजना जो हमने बनाई है उन सब बातों के लिये पैसा चाहिये और इन बातों के लिये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां उत्पादन बढ़ जाय, पानी सब जगह पहुंच जाय ताकि अधिक अन्न उत्पन्न होने लगे और लोगों की हालत अच्छी हो। ऐसी अवस्था में आप यह कहें कि सब के लिये मकान बनवा दिये जायं यह जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो बहुत दुर्बल आदमी हूं, लेकिन इतना कहे देता हूं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि अगले वर्ष बजट के मौके तक खेतिहर मजदूरों के लिये मकान बनवा दिये जायं। मैं तो यह बात सोच भी नहीं सकता। शायद और कोई बहादुर आदमी हो सकते हैं जो ऐसा कर सकें और मैं यहां से हट जाऊं तो वह इस बात को सोचें, लेकिन मेरे लिये असंभव है। यह व्यावहारिक नहीं है। जो करने की बात है वह यह है कि डिसेंट लिविंग वेजेज उनको मिलनी चाहिये। हर आदमी को डिसेंट लिविंग वेजेज मिलने की बात होनी चाहिये। खाली कानून बनाने से मजदूरों की दिक्कत दूर नहीं हो सकती, लेकिन एक आधार जीवन के लिये मिल सकता है। इस पर कंसंट्रेट करने के लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट पर, हमने इसको १२ जिलों में लागू किया है। उन १२ जिलों के नाम पूछे गये। पेज १२१ पर १२ जिलों के नाम दिये हुये हैं। उन जिलों में हमने मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू किया है। बाकी जिलों में एंफोर्स करेंगे। हमें यह भी सोचना है कि किस पर एंफोर्स करना है। उस काश्तकार पर एंफोर्स करना है जो खाना नहीं खिला सकता, जो अपने बच्चों को तेल की पूड़ी नहीं खिला सकता, ऐसे एम्पलायर से हमें दिलवाना है। उस एम्पलायर से नहीं जो लखपती और करोड़पती हैं। अभी थोड़ा सा जिक्र आया एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज का। कई मित्रों को उसमें बहुत दिलचस्पी है। उसका इतिहास तो आप जानते हैं कि पहली लड़ाई के बाद यह चीज खोली गयी थी इसलिये कि सिपाही जो अलग हुये उनकी जीविका के लिये कुछ किया जाय, उनका नाम वगैरह दर्ज कर लिया जाय। उसके बाद फिर और लोगों के लिये गवर्नमेंट ने खोला, पोलिटिकल सफ़रर्स के लिये, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये। एम्पलायमेंट एक्सचेंज दो तरह के हैं। एक तो ऐसे हैं जिनका कुछ खर्च गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है। और कुछ एम्पलायमेंट एक्सचेंज ऐसे हैं जिनका पूरा खर्चा प्योरली स्टेट गवर्नमेंट देती है। ऐसे एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज कई जिलों में फैले हुये हैं। जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज ऐसे हैं कि जिनका खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देती हैं उनको कम करने की कोशिश नहीं हो रही है क्योंकि वह तो बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहां मिलें वगैरह हैं या और व्यापार होता है। परन्तु जो ऐसे एम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं जो छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और जिनका पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देती है उनकी बाबत इतने वर्षों के तजुर्बे में हमने देखा कि उनसे बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो शुरू में चाहे कोई बात रही हो, लेकिन अब कोई स्किल्ड वर्कर उनमें अपना नाम

दर्ज करवाता हो, ऐसा तो होता नहीं है। और स्किल्ड वर्कर जो होता है वह फ़ैक्टरी या मिलों वग़ैरह में काम चाहता है। तो वह तो सीधे कानपुर वग़ैरह आ जाता है। यह भी भ्रम है कि खेतिहर मजदूरों को वह फ़ायदा पहुंचाते हैं। खेतिहर मजदूर अगर कोई नौकरी चाहता है तो बड़े-बड़े शहरों में जाता है। तो हम जो बन्द करने जा रहे हैं वह केवल डिस्ट्रिक्ट एम्पलायमेंट एक्सचेंजज को बन्द करने जा रहे हैं और वह भी उनको जहां हमने इतने वर्षों के तजुर्बे के बाद देखा कि कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमने अभी कोई फ़िक्स्ड सूची नहीं बना ली है। जो मेम्बर साहबान हैं अगर वे समझें कि फलां एम्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द नहीं होना चाहिये तो वह मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम उसमें फेर बदल कर सकते हैं।

हाउसिंग का भी यहां पर कुछ जिक्र किया गया। एक मित्र ने कुछ मिलों की बाबत कहा। मिलों की बाबत तो हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं है। आज से कई वर्ष पहले कानपुर की कई मिलों ने जमीन लिया था और काफ़ी सस्ते दामों में उनको जमीनें मिली थीं इसलिये कि अपने मजदूरों के लिये वे मकान बनवायेंगे। लेकिन जहां तक मुझको मालूम है प्रायः मकान नहीं बने, शायद किसी ने बनवाये हों तो बनवाये हों,लेकिन मजदूरों के लिये नहीं के बराबर बनें। हां, कुछ मिल के बड़े-बड़े अफ़सरों के लिये जरूर मकान बनवा दिये गये हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि जो मिलों के बनवाये हुये मकान होते हैं उनमें मजदूर रहना पसन्द नहीं करते हैं। उसकी वजह उन मित्र ने खुद ही कह दी। मान लीजिये कि किसी मिल में हड़-ताल हो गयी तो मिल मालिक की तरफ़ से यह हुक्म होता है कि तुम बस्ती खाली करो। तो मजदूर यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह तो मिल मालिकों के हाथ में एक बहुत अच्छा कोड़ा है कि हम किसी तरह से हड़ताल ही न कर सकें। तो यह मिल मालिकों के हाथ में इस तरह की शक्ति है जिसकी वजह से आमतौर से मजदूर मिल द्वारा बनाये हुये मकानों में रहना पसन्द नहीं करते। यह जरूर है कि हमारे सामने लेबर डिपार्टमेंट के जरिये कोई मामला आ जाता है तो हम यह कहते हैं कि जब तक ऊंची से ऊंची अदालत से फैसला न हो जाय कम से कम तब तक उनको न निकालना चाहिये। एक बात उन्होंने यह भी कही कि ये मकान बहुत दूर हैं। तो ये तो जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके जरिये से बनवाये गये थे। कोशिश यह हो रही है कि वहां बस वग़ैरह का इन्तजाम हो जाय। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कानपुर ऐसे शहर में अगर शहर के आस-पास बनवाये जाते तो जमीन की क़ीमत इतनी होती कि सारे रुपये का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन खरीदने में ही लग जाता। फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं जिनमें कई कई सौ आदमी रहेंगे। इसलिये वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। जब इतने आदमी एक जगह रहेंगे तो वहां बाजार भी हो जायगा और सवारी वग़ैरह का इन्तजाम भी हो जायगा। अवस्थी जी ने कहा कि किराये का ख्याल करना चाहिये। यह ठीक है। आपको मालूम होना चाहिये कि गवर्न-मेंट आफ इंडिया से जो रुपया हमको मिला है उसमें से एक बहुत बड़ा-हिस्सा कर्ज के रूप में हमको मिला है। तो अगर हमें उसको चुकाना है तो हमें उनको ज्यादा से ज्यादा बसाना है। अगर वे खाली पड़े रहेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जो रेंट मजदूर आसानी से दे सकते हैं और जो उचित होगा वही लिया जायगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे क्वार्टर्स भी खाली पड़े रहेंगे। दूसरे मैं विश्वास दिलाता हूं, कि इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की जायगी कि मजदूरों को पूरी-पूरी ऐमीनिटीज मिलें और किराया वह हो जो वे दे सकते हों।

एक खुशी की बात है। अभी जब मैं बोल रहा था तो मेरे पास एक स्लिप आयी। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ९५ लाख रुपया और हमको दिया है और यह बिना मांगे दिया गया है। हमें यह जो रकम मिल गयी है वह भी लेबरर्स के मकानों पर खर्च की जायगी और यह उस रकम के अलावा होगी जो १ करोड़ ३५ लाख की इसके लिये रखी गयी है।

श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि चाइल्ड लेबर को बंद कर दीजिये। जहां तक चाइल्ड लेबर का सवाल है शहरों में भी कुछ हद तक चाइल्ड लेबर अलाउड हैं। आज हमारे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यहां की जो आर्थिक हालत है उसमें बच्चे से बिलकुल काम न लेना एक मुश्किल सी बात है। हमारे यहां इस किस्म की ग़रीबी है कि यह भी एक एकोनोमिक फैक्टर है इसलिये इसको बंद कर देना तो इस वक्त उचित नहीं मालूम होगा। हां, यह जरूर है कि बहुत छोटे बच्चे यानी ६-७ बरस के बच्चों से काम न लिया जाना चाहिये, लेकिन यह कि तमाम बच्चों से काम न लिया जाय यह इस वक्त एक ग़लत बात होगी। लेकिन यह मैं मानता हूं कि सिद्धांततः यह चीज अच्छी नहीं है, लेकिन मजबूरी की हालत में हमें ऐसा करना पड़ेगा।

लेबर वैलफेयर के संबंध में सुझाव दिया वह सुझाव गौर करने के काबिल है। किसी मित्र ने यह सुझाव दिया कि शाप्स ऐक्ट के लागू करने के संबंध में लोकल बाडीज से मदद ली जाय। उनके ऐक्जीक्यूटिव आफिसर्स के सुपुर्द यह काम किया जाय। क्योंकि यह सुझाव बिलकुल नया है और पहले पहल दिया गया है, इससे पहले वह मेरे सामने या मेरे दिमाग में नहीं आया इसलिये उसके संबंध में मैं इतना तो वायदा जरूर करता हूं कि उसके संबंध में गौर किया जायगा।

कुछ आई० एन० टी० यू० सी० का जिक्र हुआ। जहां तक मेरा निजी ताल्लुक है मेरी कुछ भी राय किसी के मुताल्लिक हो, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है गवर्नमेंट किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहती है और हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ पक्षपात न हो। मिसाल के तौर पर जिक्र हुआ कि दो वर्ष पहले चुनाव हुआ था और अवस्थी जी ने उसके चैलेंज को मंजूर किया था। क्या हुआ उसकी बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह चुनाव हुआ और यह भी सही है कि आई० एन० टी० यू० सी० उसमें हार गया और इसमें भी रत्ती भर संदेह की बात नहीं है कि दूसरा जो यूनियन था उससे उसकी हार हुई। लेकिन अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका कि जीता कौन? हार जाने वाले का निश्चय हो गया लेकिन जीतने वालों में दो साहब है जो कहते हैं कि हम जीते। श्री ब्रिज किशोर जी शास्त्री कहते हैं कि हम जीते और श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना कहते हैं हम जीते। श्री ब्रिज किशोर जी शास्त्री ने श्री शिब्बन लाल जी को निकाल बाहर किया और श्री शिब्बन लाल जी ने शास्त्री जी को निकाल बाहर किया। लेकिन यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका कि विजेता कौन है। हम विजेता को प्राइज देने के लिये तैयार हैं। इस परिस्थिति में हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस को प्राइज दिया जाय।

अंत में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं जिससे किसी को भ्रम न हो इंडस्ट्रियल पीस के बारे में श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा, मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसका श्रेय लेबर को ही है। कभी मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा श्रेय है। मैंने बार-बार कहा है और अब भी कहता हूं कि यह इंडस्ट्रियल पीस जो हमारे यहां रही है उसका सबसे बड़ा श्रेय लेबर को है, लेबर लीडर को है। जरूर लेबर में कई ग्रूप्स हैं और मैं किसी ग्रूप की तारीफ और किसी ग्रूप की शिकायत करना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इस संबंध में जो काम उन्होंने किया है उसका श्रेय लेबर को तथा लेबर लीडर को जरूर है। आज से दो-तीन वर्ष पहले कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि मजदूर कहीं-कहीं काम कम करते थे, लेकिन इस वक्त अगर कोई शख्श चाहे इम्पलायर्स हो या कोई हो कहता है कि मजदूर पूरी तरह से काम नहीं करते या किसी तरह से प्रोडक्शन में कमी है ऐसे तो प्रोडक्शन में कमी नहीं है अगर किसी जगह प्रोडक्शन में कमी दिखलाई पड़ती है तो कोई शख्श यह कहे कि उसकी जिम्मेदारी मजदूरों पर है तो यह गलतबयानी है। आज मजदूर पूरी तरह से काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं और अगर आज कोई भी गड़बड़ी है, तो उसकी जिम्मेदारी मजदूरों के ऊपर नहीं है। जो उचित बात हो उसे मानना चाहिये और हर शख्स को कहना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई

गलत तसवीर रखने से वह ठीक नहीं होता। जो बात हो उसे पूरी तरह से समझना चाहिये और उसे ईमानदारी से कहना चाहिये। लेबरक्षेत्र में जो काम करते हैं उन लेबर लीडर्स से मेरी बात होती रहती है और बराबर होती रहेगी। जैसा कि मेरे कई मित्रों ने कहा कि यह बहुत छोटा सा बजट है, इसे तो ६०-७० करोड़ का होना चाहिये था मुझे आशा है कि मेरे इस छोटे से अनुदान को ध्यान में रखते हुये एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने रखा है वे अपने उस विचारों को त्याग दें और वापस ले लेंगे।

श्री मही लाल—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि जो खेतिहर मजदूर अपने शारीरिक श्रम से अपने रहने के लिये मकान की व्यवस्था चाहें उनके लिये सरकार भूमि का प्रबन्ध कर सकेगी या नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो एक बड़ा व्यापक सवाल है। इसका जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब नहीं, यह तो सिलसिला चलता ही रहेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी बातें इस सदन में कही गयी हैं। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उन सारी बातों को सुना। माननीय अवस्थी जी ने एक आक्षेप हमारे ऊपर यह लगाया कि सदन में मैंने यह कह कर कि हर एक उद्योग के मजदूरों का सेंसस हो जाय, मैं मजदूरों में फूट पैदा करना चाहता हूं। मैं इस बारे में अपनी सारी बातों को कह दूं कि जिस तरह से कुछ लोग इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं और हर तरह से मजदूर संगठन में कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिससे चीनी उद्योग के मजदूरों में फूट पैदा हो सकती है। जिस वक्त पीलीभीत कान्फ्रेंस हुई थी उस वक्त भी पीलीभीत कांफ्रेंस में जाने के पहले हम श्री ब्रिज किशोर शास्त्री और श्री काशीनाथ जी पांडेय, ये सब लोग बैठे और हम लोगों ने लिखित एक अपना वह नियम बनाया कि भाई हम लोग बिना किसी पार्टी पालिटिक्स के कार्य करते रहें और मजदूर आंदोलन को चलाते रहें जैसा कि अब तक उसे चलाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन पीलीभीत कांफ्रेंस में जाने के बाद ऐसी परिस्थिति वहां पांडेय जी की तरफ से पैदा की गयी कि जिसके कारण हम लोग वहां पर अलग हो गये। उसके बाद में मैंने आपको बतलाया कि हमारा यह प्रयत्न बराबर जारी रहा। कठकुइयां मिल के बारे में भी मैं आपको बतलाऊं कि वहां दो मजदूर यूनियनें इकट्ठी हुईं। कठकुइयां की हालत देखकर वहां के मेम्बरान ने कहा कि यह मिल यू० पी० केन कोआपरेटिव फेडरेशन ले ले। उसके बाद दूसरे मजदूर संगठन के स्थानीय मजदूर नेता वहां के अफसरों और अधिकारियों के पास भेजे गये और फिर वहां जो हालत पैदा हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने वहां जाकर फिर फूट पैदा करने की कोशिश की। इस बात को सारे अफसर लोग भी जानते हैं कि इस तरह से कुछ लोग प्रयत्न करते रहे। अभी हाल ही में चीनी मिल के जितने भी मजदूर हैं उनकी एक कान्फ्रेंस इसी लखनऊ में बुलाई गयी थी जिसमें इस बात को सोचा गया था कि कोई मजदूर किसी भी यूनियन या किसी भी फेडरेशन के साथ हो, उसके पोलिटिकल व्यूज का बिना कुछ ख्याल किये हुये एक ऐसी पार्टी बनायी जाय और इसके लिये सब के पास न्योता भेजा जाय। लोग आये और वहां पर विचार किया गया और यह सोचा गया कि चीनी मिल मजदूरों का ठोस संगठन बनायें उस मीटिंग में भी पं० काशीनाथ पांडेय ने हमारी तरफ से खिल्ली उड़ाई हम तो यह सोचते हैं कि मजदूरों में एकता कायम हो। मैं अवस्थी जी को यह बतलाना

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चाहता हूं कि उसके संबंध में हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है, सारे कागजात मौजूद हैं और मैं उन सब कागजात को उनको देने के लिये तैयार हूं । इस वास्ते यह लांछन हम पर नहीं लगाया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सम्पूर्णानन्द ने इस बात का वायदा किया है कि अगरचे यह पुराना फेडरेशन था जिसमें मजदूरों के बहुमत का फैसला था और उसके सब नेताओं को बुलाकर कहा कि उसकी मान्यता हम मानेंगे। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी को बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त सब लोग इस राय के हैं चाहे कोई एक आध खिलाफ भी हो कि फेडरेशन बने। जब यह इस किस्म की चीज हो जायगी तो वह ठीक होगी। हमेशा हर जगह हमारी पार्टी और हम लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि एकता मजदूरों में कायम हो। अभी अवस्थी जी ने फेडरेशन का जिकर किया । हमने भी उसके लिये प्रयत्न किया है और हम नहीं चाहते हैं कि मजदूर छिन्न-भिन्न रहें और मिलमालिकों से दबाये जायं। जनरल डिस्कशन के मौके पर बहुगुना जी ने इसका जिकर उठाया था। तो उस सिलसिले में हमने कहा था कि हम नहीं चाहते कि मजदूरों के अन्दर इस किस्म की चीज चले।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक मिलमालिकों का सवाल है कहा यह गया है कि मजदूरों के नेता कुछ गलत बयान देंगे कि मिलमालिक क्या करते और हम क्या करते हैं। लेकिन जब चीनी उद्योग के बारे में माननीय श्रम मंत्री ने जितने इम्प्लायर्स कांफ्रेंस में आये थे उन सब लोगों से निवेदन किया था कि चूंकि इस वक्त बहुत दिनों से कोई इन्क्रीमेंट नहीं हुआ है तो इस बात का खयाल रखते हुये हर जगह चीनी उद्योग के मिल मालिक जो हैं वे एक थोड़ा सा इन्क्रीमेंट हर मजदूर को दें, लेकिन मुझे बतलाते हुये दुख होता है कि किसी ने शायद दिया होगा लेकिन हमारे जिले में कहीं भी यह इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के कहने के बाद भी उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मिलमालिक खुद चाहते हैं कि मजदूरों में बवाल रहे। वह मजदूरों को तनख्वाह ही नहीं देते और फिर किसी न किसी तरह से मजदूरों में गड़बड़ करते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि वह काम ठीक कर रहे हैं। अगरचे फैक्टरी को कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय तो मिलमालिकों से लेकर और उसको मजदूरों के हाथ में दिया जाय और किसानों के हाथ में दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आज जो यह उद्योग है यह बहुत अच्छी तरह से चलेगा और मजदूरों को यह महसूस होगा कि उनकी कमाई का पैसा उनको पूरा मिल रहा है और यह उद्योग बहुत सुन्दर ढंग से चलने लगेगा। मुझे खुशी है कि अभी मंगला प्रसाद जी की अध्यक्षता में कोआपरेटिव की मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ है कि जो मिल-मालिक कुछ गड़बड़ करें उनसे मिल ले लिया जाय और उसको कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय। आप एक-एक मिल को मालिकों से ले सकते हैं और अगर उनको कोआ-परेटिव बेसिस पर चलाया जावे मजदूरों के हाथ में और किसानों के हाथ में देकर तो फिर आप देखें कि किस तरह से मिल का काम चलता है। कठकुइयां मिल की क्या हालत हुई। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों पर आप ख्याल करेंगे और जो कुछ भी मैंने कहा उस पर ध्यान देंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पक्षपात चल रहा है और मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का पता लगावें कि ऐसी चीजें होती हैं या नहीं, मैं तो इसका सबूत भी देने को तैयार हूं मेरे पास हर तरह का सबूत है कि ऐसी चीजें की जा रही हैं जोकि न तो मजदूरों के फायदे में जाती हैं और न जिनसे उद्योगों को ही फायदा पहुंचता है और दोनों को ही इससे नुक्सान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०–श्रम और संख्या (लेखा शीर्षक ४७–विविध विभाग के) अन्तर्गत २५,०९,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
५ मार्च, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० स० यू० पी० ए० पी० १७९ एल० ए०–१९५३–८५०।